अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित विषयों पर अवधारणा पत्र

पृष्ठभूमि:

अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित हेग समझौता बच्चों के अभिरक्षा से संबंधित मुद्दों पर एक बहुपक्षीय संधि है, जो 1 दिसंबर, 1983 को अस्तित्व में आया। यह समझौता बच्चों की शीघ्र घर वापसी को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया प्रदान कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में अवस्थापन या गलत तरीके से उन्हें रखने जैसे खतरों से बचाने की कोशिश करता है। इसका उद्देश्य अभ्यस्त निवास स्थान पर होने वाली पहुंच और अभिगम के अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन और अभ्यस्त निवास स्थान से अवस्थापन या गलत तरीके से रखें गए बच्चे की शीघ्र वापसी को सुनिश्चित करना है। यह विदेशों में अवस्थापन या गलत तरीके से रखें गए बच्चों को रहने और संपर्क के मामलों पर उस देश की अदालतों को निर्णय लेने के लिए उनके मूल देश में भेंजने का प्रयास करता है। समझौते के उद्देश्य हैं:

- किसी भी अनुबन्धित देश में गलत तरीके से अवस्थापन या गलत तरीके से रखें गए बच्चों की त्वरित उनके देश सुरक्षित वापसी करने के लिए; तथा
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुबन्धित देश के कानून के तहत निगरानी और पहुंच के अधिकार का अन्य अनुबन्धित देशों द्वारा प्रभावी रूप से पालन किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण 1980 के नागरिक पहलुओं पर समझौता की एक प्रतिलिपि अनुलग्नक - । में संलग्न है।

1. वर्ष 2009 में, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (डा.) ए.आर. लक्ष्मण ने हेग समझौता को स्वीकृति देने के लिए सरकार के समक्ष सिफारिश की एक रिपोर्ट सौंपी थी। (भारतीय विधि आयोग , **अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरण (1980) के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौता को शामिल करने की आवश्यकता,** रिपोर्ट संख्या 218 (मार्च 2009)

यह सिफारिश की गई थी कि "सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि भारत को हेग समझौता पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए जो कि भारतीय परिवारों में उनके बच्चों के घर लौटने की संभावनाओं को बढाएंगा। " तदनुसार, इस मुद्दे पर मंत्रालय में जांच की गई और एक मसौदा बिल (अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण और प्रतिधारण विधेयक, 2016) तैयार किया गया। सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जून 2016 में महिला एंव बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर इस मसौदा बिल अपलोड किया गया था।

2. इस दौरान, सीमा कपूर बनाम दीपक कपूर के मामले में पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय ने नागरिक संशोधन सं. 6449/2006 24 फरवरी, 2016 को निर्णय देते हुए , भारतीय विधि आयोग को अंतर देशों , परिवारों में अंतर माता-पिता को बच्चे के अपहरण जैसे कई मुद्दों पर विचार रखने और उसके बाद बाल अपहरण पर हेग समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयुक्त कानून हेतु सिफारिशों को तैयार करने के लिए कहा। उच्च न्यायालय का आदेश **अनुलग्नक - ॥** के रूप में संलग्न है।

3. उपरोक्त आदेशों के अनुसरण में , भारतीय विधि आयोग ने रिपोर्ट संख्या 263 तैयार की। आयोग ने कहा कि "इस विधेयक (मंत्रालय द्वारा तैयार

किए गए मसौदा बिल , अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण और प्रतिधारण विधेयक , 2016) के अवलोकन के बाद विधि आयोग का मानना है कि उसे विधायी उदाहरणों और प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए बिलों का मसौदा तैयार करने और हेग समझौता 1980 के साथ अपने प्रावधान को सुसंगत करने के लिए संशोधन की आवश्यकता है।" विधि आयोग ने मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मसौदा बिल के कुछ खंडों में संशोधन की भी सिफारिश की, और कहा कि यह विधि आयोग के 263 वें रिपोर्ट का भाग है। रिपोर्ट की एक प्रति **संलग्नक- III** के रूप में संलग्न है।

4. इसके अलावा, मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए विधेयक के खिलाफ और पक्ष दोनों में टिप्पणियां प्राप्त हुई थी। कुछ व्यक्तियों/संगठनों ने इस विधेयक का समर्थन किया, जबकि कुछ अन्य ने इसपर भारतीय बच्चों के हित और उन महिलाओं को जो अक्सर अलग-अलग कारणों से तलाक के बाद देश में वापस आ जाती हैं, इसपर कुछ शर्तों की मांग की।

5. इसे देखते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 3 फरवरी, 2017 को माननीय महिला एंव बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इसे चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी , चंडीगढ़ के प्रमुख की अध्यक्षता में एक उपयुक्त कानून तैयार करने और यह सलाह देने के लिए कि भारत का हेग समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता होना चाहिए या नहीं बहु सदस्यीय कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया।

वैश्वीकरण के युग में भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ है , जहां दुनिया को एक वैश्विक गांव कहा गया है , और भारत इस वैश्विक गांव का हिस्सा बन गया है। वैश्विक नौकरी के अवसरों के साथ लोगों का सीमा पार आवागमन आसान हो गया। एक भारतीय नागरिक का किसी भारत की नागरिकता वाले प्रवासी

भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति से शादी करने के उदाहरणों को **'ट्रांस-नेशनल मैरिज'** के रूप में जाना जाता है और यह इस वक्त काफी देखने को मिलता है।

हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि पति-पत्नी अलग हो जाते हैं और विवाह टूट जाता है। ऐसे कई मामलों में , पति-पत्नी भारत में अपने परिवार में वापस आ जाती हैं , और स्वयं और अपने बच्चों के लिए मानसिक शांति की मांग करती हैं। हालांकि , ऐसे उदाहरणों में अक्सर हेग समझौता प्रावधानों के प्रकाश में इस तरह की विवाहित पति/पत्नी को अपने बच्चों का अपहरणकर्ता माना जाता है।

एक अन्य स्थिति में जहां पति-पत्नी दोनों भारतीय हो और उनके भारत में रहते हुए , पति-पत्नी में से कोई एक विवाह के टूटने के बाद विदेश चला जाए। ऐसी स्थिति में , पति या पत्नी के तलाक के बावजूद शिकायत का निवारण करने की प्रक्रिया में बच्चे को वापस लाना महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे मामलों में , हेग समझौता के हस्ताक्षरकर्ता देश अन्य संविदाकारी देशों के केन्द्रीय प्राधिकरणों तक इस तरह के मुद्दों के समाधान के लिए जा सकते हैं। यहां एक और पहलू है जो विचार के योग्य है , वो ये है कि टूटे विवाहों के कारण कई बार विवाहित पति या पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध बच्चे के अपहरण की शिकायत करते हैं, ताकि वे अपने व्यक्तिगत कारणों को पूरा कर सकें।

चूंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे मामलों का प्रभाव बड़े पैमाने पर पड़ने की संभावना है , इसलिए यह वांछनीय है की इसे सार्वजनिक किया जाए और विभिन्न क्वार्टरों से सुझाव आमंत्रित किया जाए। समिति विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें भी कर सकती है।

यदि कोई सुझाव हो, तो सचिव सदस्य यानि श्रीमती मीनाक्षी राज को 31/7/17 तक ई-मेल meenaxeeraj@gmail.com द्वारा भेजा जा सकता है।

अगर किसी कोई जानकारी या स्पष्टीकरण चाहिए , तो भी सचिव सदस्य से मांग की जा सकती है।

.....

अनुलग्नक - ।

अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौता

वर्तमान समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश,

आश्वस्त किया गया है कि बच्चों के हितों की रक्षा उनकी निगरानी से संबंधित मामले में सबसे महत्वूर्ण है , बच्चों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके गलत तरीके से अवस्थापन या गलत तरीके से रखने के हानिकारक प्रभावों से बचाने और प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए उनकी प्रथागत देश में शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने और साथ ही पहुंच के अधिकारों हेतु सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए,

इस आशय के लिए एक समझौता का गठन करने का निर्णय लिया गया है , और निम्नलिखित प्रावधानों पर सहमति हुई है -

अध्याय । - समझौते का क्षेत्र

अनुच्छेद 1

वर्तमान समझौता के उद्देश्य हैं -

क) किसी भी अनुबंधित राज्य में गलत तरीके से अवस्थापन या गलत तरीके से रखें गये बच्चों के शीघ्र वापसी को सुनिश्चित करना; तथा

ख) यह सुनिश्चित करना कि अनुबंधित राज्य के कानून के तहत निगरानी के अधिकार और पहुंच का प्रभावी ढंग से अन्य अनुबंधित राज्यों में पालन किया जा रहा है।

अनुच्छेद 2

अनुबंधित राज्य समझौता के लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु अपने क्षेत्रों के भीतर सुरक्षित करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय किए होंगे। इस प्रयोजन के लिए वे उपलब्ध सबसे तीव्र प्रक्रियाओं का उपयोग करेंगे।

अनुच्छेद 3

किसी बच्चे के निराकरण या प्रतिधारण को गलत माना जाता है जहां -

क) यह किसी व्यक्ति , संस्था या किसी अन्य संस्था के लिए जिम्मेदार कस्टडी अधिकारों का उल्लंघन है , या तो संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रुप से , राज्य के कानून के तहत, जिसमें बच्चा निराकरण या प्रतिधारण से पहले निवासी था; तथा

ख) निराकरण या प्रतिधारण के समय उन अधिकारों का प्रयोग वास्तव में किया गया था, या तो संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रुप से , या निराकरण या प्रतिधारण के लिए ऐसा प्रयास किया गया था।

ऊपरोक्त उप-पैराग्राफ में वर्णित निगरानी के अधिकार , विशेष रूप से कानून के संचालन या न्यायिक या प्रशासनिक निर्णय के कारण या उस देश के कानून के तहत कानूनी प्रभाव वाले समझौते के कारण हो सकते हैं।

अनुच्छेद 4

समझौता ऐसे किसी भी बच्चे पर लागू होगा जो निगरानी या पहुंच के अधिकारों के उल्लंघन से पहले अनुबंधित राज्य का नियमित रूप से निवासी हो। जब बच्चा 16 वर्ष की आयु का हो तब समझौता को लागू करने से रोकना होगा।

अनुच्छेद 5

इस समझौता के प्रयोजनों के लिए -

क) 'निगरानी के अधिकार' में बच्चे की देखभाल से संबंधित अधिकार शामिल हैं और विशेष रूप से इसमें बच्चे के निवास स्थान को निर्धारित करने का अधिकार भी शामिल है;

बी) 'पहुंच के अधिकार ' में बच्चा के मूल निवास स्थान के अलावा किसी जगह पर सीमित समय के लिए बच्चें को ले जाने का अधिकार शामिल होगा।

अध्याय II - केन्द्रीय प्राधिकारी

अनुच्छेद 6

करारकारी देश ऐसे प्राधिकारियों पर समझौता द्वारा निर्धारित किये गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण निर्दिष्ट करेगा।

संघीय राज्यों , एक से अधिक कानूनी प्रणाली वाले राज्य या स्वदेशीय क्षेत्रीय संगठन वाले राज्य एक से अधिक केंद्रीय प्राधिकरण नियुक्त करने और उनकी शक्तियों की क्षेत्रीय सीमा को निर्दिष्ट करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अगर कोई राज्य एक से अधिक केंद्रीय प्राधिकरण नियुक्त करता है , तो वह केन्द्रीय प्राधिकरण को

निर्दिष्ट करेगा, जिसके तहत उस देश के भीतर उपयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण को ट्रांसमिशन हेतु आवेदन किया जा सकता है।

अनुच्छेद 7

केन्द्रीय प्राधिकरण एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे और बच्चों के शीघ्र वापसी और इस समझौता के अन्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने संबंधित राज्यों में सक्षम अधिकारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे।

विशेष रूप से, या तो प्रत्यक्ष या किसी भी मध्यस्थ के माध्यम से , वे सभी उपयुक्त उपाय करेंगे -

क) किसी बच्चे का पता लगाने के लिए जिसका गलत तरीके से अवस्थापन किया गया है या गलत तरीके से रखा गया है;

ख) अनंतिम उपायों को अपनाकर या लागू कर बच्चे को किसी भी प्रकार की हानि या इच्छुक पार्टियों को पूर्वाग्रह से बचाने के लिए;

ग) बच्चे की स्वैच्छिक वापसी को सुरक्षित करने के लिए या मामले के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए;

घ) बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी का साझा करने के लिए , जहां वांछनीय हो;

ङ) समझौता के आवेदन के संबंध में अपने देश के कानून के अनुसार सामान्य स्वरूप की जानकारी प्रदान करने के लिए;

च) सुरक्षित ढंग से बच्चे की वापसी के लिए न्यायिक या प्रशासनिक कार्यवाही करने वाली संस्था से संपर्क करने या सुविधा प्रदान करने के लिए , पहुंच के अधिकारों के प्रभावियता को व्यवस्थित या सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने के लिए;

छ) जहां कानूनी सलाह और सलाहकारों की भागीदारी सहित कानूनी सहायता और सलाह के प्रावधान को प्रदान करने या सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता हो;

ज) ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करना जो आवश्यक हो और जिससे बच्चे की सुरक्षित वापसी सुरक्षित हो सके;

झ) जहां तक संभव हो, आवेदन में किसी भी बाधा को खत्म करने के लिए इस समझौता के संचालन के संबंध में एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करना।

अध्याय III - बच्चों की वापसी

अनुच्छेद 8

कोई भी व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय यदि यह दावा करता है कि उसके बच्चे को निगरानी के अधिकारों का उल्लंघन कर अवस्थापन या गलत तरीके से रखा गया है तो वह बच्चों के मूल निवास के केन्द्रीय प्राधिकरण को या किसी अन्य अनुबंधित राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण को बच्चे की वापसी के लिए सहायता हेतु आवेदन कर सकता है।

आवेदन में शामिल होगा -

क) आवेदक की पहचान के बारे में जानकारी , जिस बच्चे या जिस व्यक्ति ने बच्चे के अवस्थापन या गलत तरीके से रखने का आरोप है;

ख) जहां उपलब्ध हो, बच्चे के जन्म की तारीख;

ग) जिस आधार पर बच्चे की वापसी के लिए आवेदक दावा कर रहा है;

घ) बच्चे के मौजूद होने से संबंधित सभी उपलब्ध जानकारी और उस व्यक्ति की पहचान जिसके पास बच्चे के होने का दावा किया जा रहा है।

आवेदन निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है -

ड़) किसी भी प्रासंगिक निर्णय या समझौते की एक प्रमाणित प्रतिलिपि;

च) प्रमाण पत्र या केंद्रीय प्राधिकरण से प्राप्त हलफनामा, या बच्चे के मूल निवास वाले राज्य के अन्य सक्षम प्राधिकारी , या किसी योग्य व्यक्ति से उस देश के प्रासंगिक कानून के विषय में;

छ) कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़

अनुच्छेद 9

अगर केंद्रीय प्राधिकरण जो अनुच्छेद 8 में संदर्भित आवेदन प्राप्त करता है , और उसे इस बात का विश्वास हो जाता है कि बच्चा दूसरे अनुबंधित राज्य में है , तो वह प्रत्यक्ष रुप से और बिना किसी देरी के आवेदन को उस अनुबंधित राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण को प्रेषित करेगा और केंद्रीय प्राधिकरण या या आवेदक को सूचित करेगा, जैसा मामला हो।

अनुच्छेद 10

देश का केन्द्रीय प्राधिकरण बच्चे को जहां भी स्वैच्छिक रूप से ले जाया गया है वहां से वापसी के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेगा।

अनुच्छेद 11

अनुबंधित राज्यों के न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारियों को बच्चों की वापसी के लिए कार्यवाही में शीघ्रता से कार्य करना होगा।
यदि, संबंधित न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकरण किसी कार्यवाही के प्रारंभ होने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता , तो आवेदक या अनुरोधित राज्य का केन्द्रीय प्राधिकरण को अपनी स्वयं की पहल पर या अनुरोधित

राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण के अनुरोध पर देरी के कारणों पर बयान का अनुरोध करने का अधिकार होगा। यदि अनुरोधित राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा जवाब प्राप्त होता है, तो प्राधिकरण अनुरोधित राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण, या आवेदक को, जैसा भी मामला हो, उत्तर भेजेगा।

अनुच्छेद 12

ऐसे मामले में जहां बच्चे को अनुच्छेद 3 के संदर्भ में गलत तरीके से अवस्थापन या रखा गया है, अनुबंधित राज्य के न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर जहां बच्चा है, संबंधित प्राधिकरण बच्चे को तत्काल वापस लौटने का आदेश देगा।

न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकरण , यहां तक कि जहां पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद कार्यवाही शुरू की गई है , बच्चे की वापसी का आदेश भी देगा , जब तक कि यह न प्रमाणित किया जाए कि बच्चा अपने नए वातावरण में सुरक्षित है।

जहां अनुरोधित राज्य में न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकरण को यह विश्वास करने का कारण उचित है कि बच्चे को दूसरे राज्य में ले जाया गया है, वह यह कार्यवाही रोक सकता है या बच्चे की वापसी के लिए दिए गए आवेदन को खारिज कर सकता है।

अनुच्छेद 13

पूर्ववर्ती अनुच्छेदों के प्रावधानों के बावजूद , अनुरोधित राज्य की न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकारी बच्चे की वापसी का आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है , यदि व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय यह निर्दिष्ट कर बच्चे की वापसी का विरोध करता है, की -

क) बच्चे के व्यक्ति की देखभाल करने वाले व्यक्ति , संस्था या अन्य निकाय वास्तव में बच्चे के अवस्थापन या अवधारण के दौरान हिरासत के अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहे थे, या उन्हें बच्चे के अवस्थापन या रखने के लिए सहमति थी; या

ख) वो ये निर्दिष्ट करें कि बच्चे की वापसी से बच्चे को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाया जाएगा या अन्यथा वो ऐसी जगह जा रहा है जहां उसके लिए रहना ठीक नहीं होगा।

यदि, न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकारी को यह पता चलता है कि बच्चे को वापस लौटने से मना करने के लिए परिपक्व आयु का है जिसपर उसके विचारों को ध्यान में रखना उचित है, बच्चे की वापसी का आदेश देने से इनकार कर सकता है।

इस अनुच्छेद में संदर्भित परिस्थितियों पर विचार करते हुए , न्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण या बच्चे के अभ्यस्त निवास के अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी को ध्यान में रखेगा।

अनुच्छेद 14

यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या अनुच्छेद 3 के आशय के भीतर प्रतिधारण का गलत तरीके से अवस्थापन किया गया है, अनुरोधित राज्य के न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक या प्रशासनिक फैसले का संज्ञान लेंगे , चाहे यह बच्चे के अभ्यस्त निवास के राज्य में यह औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त हो या न हो, उस कानून के प्रमाण के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं को जाने बिना या विदेशी निर्णयों की पहचान किये बिना, जो अन्यथा लागू हो सकते हैं।

अनुच्छेद 15

अनुबंधित राज्य के न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारी बच्चे की वापसी के लिए आदेश देने से पहले अनुरोध करता है कि आवेदक बच्चे के अभ्यस्त निवास के राज्य के अधिकारियों से निर्णय ले या अन्य निर्धारित करते हैं कि समझौते के अनुच्छेद 3 के आशय के भीतर बच्चे का अवस्थापन या प्रतिधारण गलत था , जहां उस राज्य में ऐसे निर्णय या निर्धारण पत्र प्राप्त हो सकते हैं। अनुबंधित राज्यों की केन्द्रीय प्राधिकरण जहां तक हो सके व्यावहारिक आवेदकों को इस तरह के निर्णय या निर्धारण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं।

अनुच्छेद 16

अनुच्छेद 3 के आशय में बच्चे के गलत तरीके से अवस्थापन या अवधारण का नोटिस प्राप्त करने के बाद अनुबंधित राज्य जहां बच्चे का अवस्थापन किया गया है या रखा गया है, वहां के न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारी निगरानी के अधिकारों पर तब तक फैसला नहीं करेंगे जब तक यह निर्धारित नहीं हो जाता है कि इस समझौते के तहत बच्चे को वापस नहीं किया जाना है या जब तक समझौते के तहत नोटिस प्राप्त होने के बाद उचित समय के भीतर कोई आवेदन दर्ज नहीं किया जाता है।

अनुच्छेद 17

वास्तविक तथ्य यह है कि निगरानी से संबंधित निर्णय अनुरोध किये गये राज्य में मान्यता प्राप्त करने के लिए दिया गया है और यह इस समझौते के तहत किसी बच्चे को वापस करने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है , लेकिन अनुरोधित राज्य के न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारी इस समझौते को लागू करने में इंकार करने के कारण का विवरण मांग सकते हैं।

अनुच्छेद 18

इस अध्याय के प्रावधान किसी भी समय बच्चे की वापसी का आदेश देने के लिए किसी न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारी की शक्ति को सीमित नहीं करते हैं।

अनुच्छेद 19

बच्चे की वापसी के संबंध में इस समझौते के तहत निर्णय को किसी भी निगरानी मामले के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 20

अनुच्छेद 12 के प्रावधान के तहत बच्चे की वापसी को अस्वीकार किया जा सकता है यदि उसे मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित अनुरोधित राज्य के मौलिक सिद्धांतों के तहत अनुमति नहीं दी जाती।

अध्याय VI - पहुंच का अधिकार

अनुच्छेद 21

अनुवंधित राज्यों की केंद्रीय प्राधिकरणों को पहुंच के अधिकारों के प्रभावी नियमों को व्यवस्थित करने या सुरक्षित करने की व्यवस्था करने के लिए आवेदन को बच्चे की वापसी के लिए आवेदन जैसे ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

केंद्रीय प्राधिकरण , सहयोग के लिए बाध्य होते हैं , जो अनुच्छेद 7 में निर्धारित अधिकारों के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और उन शर्तों की पूर्ति को बढ़ावा देने के लिए बाध्य हैं जिन पर इस तरह के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। केंद्रीय प्राधिकरण को इस तरह के अधिकारों के प्रयोग में सभी बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाने होंगे। केन्द्रीय प्राधिकरण , या तो प्रत्यक्ष रुप से या मध्यस्थों के माध्यम से इन अधिकारों को संगठित या संरक्षित करने और शर्तों को लागू करने के लिए कार्यवाही करने वाली संस्था की मदद कर सकते हैं जिसके लिए इन अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है।

अनुच्छेद 22

इस समझौते के दायरे के भीतर आने वाली न्यायिक या प्रशासनिक कार्यवाही में होने वाले खर्चों और खर्चों के भुगतान की गारंटी देने हेतु कोई सुरक्षा राशि, बांड या अग्रिम जमा नहीं किया गया है।

अनुच्छेद 23

इस समझौते के संदर्भ में कोई वैधीकरण या इसी तरह की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है।

अनुच्छेद 24

अनुरोधित राज्य के केन्द्रीय प्राधिकरण को भेजे गए सभी आवेदन , संचार या अन्य दस्तावेज मूल भाषा में होंगे और जहां व्यावहारिक नहीं है आधिकारिक भाषा या अनुरोधित राज्य की आधिकारिक भाषा में अनुवाद के साथ या फ्रेंच या अंग्रेजी में अनुवाद की प्रति भी संलग्न की जाएगी।

हालांकि, अनुबंधित राज्य अनुच्छेद 42 के अनुसार निग्रह करके, केंद्रीय या प्राधिकरण को भेजे गए किसी भी किसी भी आवेदन , संचार या अन्य दस्तावेज में फ्रेंच या अंग्रेजी के उपयोग पर आक्षेप कर सकता है, लेकिन दोनों नहीं।

अनुच्छेद 25

अनुबंधित राज्यों के नागरिक और उन राज्यों में रहने वाले व्यक्ति , जो कि उन राज्यों के भीतर निवासी हैं , इस समझौते के आवेदन के संबंध में किसी भी अन्य अनुबंधित राज्य में कानूनी सहायता और सलाह के लिए संबंधित शर्तों में हकदार होंगे, जैसे कि वे उस राज्य के नागरिक और निवासी थे।

अनुच्छेद 26

प्रत्येक केन्द्रीय प्राधिकरण इस मसझौते को लागू करने में लगने वाली लागतों को खुद वहन करेगा।

केन्द्रीय प्राधिकरण और अनुबंधित राज्यों की अन्य सार्वजनिक सेवाओं द्वारा इस समझौते के तहत प्रस्तुत आवेदनों के संबंध में कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। विशेष रूप से, उन्हें आवेदक से लागत और कार्यवाही के खर्च के लिए या कानूनी सलाह या सलाहकारों की भागीदारी, जहां लागू हो, में लगने वाले किसी भी खर्च का भुगतान लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, उन्हें बच्चे की वापसी में किए गए खर्चों का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है।

हालांकि, अनुबंधित राज्य अनुच्छेद 42 के अनुसार निग्रह करके, यह घोषित करता है कि वह कानूनी सलाह या सलाहकारों की भागीदारी से या पूर्व अदालत की कार्यवाही के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती अनुच्छेद में निर्दिष्ट किसी भी लागत को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, चूंकि इन लागतों को कानूनी सहायता और सलाह के द्वारा कवर किया जा सकता है।

इस समझौते के अंतर्गत पहुंच के अधिकार के संबंध में किसी बच्चे की वापसी या उसकी वापसी का आदेश जारी करने पर न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकरण , जहां उपयुक्त हो, जिस व्यक्ति ने बच्चे का अवस्थापन किया हो या जिसने गलत तरीके से अपने पास रखा हो या जिसने पहुंच के अधिकारों में हस्तक्षेप किया हो, उसे यात्रा व्यय, किसी भी अन्य खर्च या बच्चे का पता लगाने के लिए किए गए भुगतान , आवेदक के कानूनी प्रतिनिधित्व की लागत , और बच्चे को लौटने वाले लोगों सहित आवेदक द्वारा या उसके द्वारा किए गए आवश्यक खर्चों का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

अनुच्छेद 27

अगर यह साबित होता है कि इस समझौते की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है या आवेदन पूर्ण रुप में नहीं है , तो केंद्रीय प्राधिकरण आवेदन स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे मामले में, केंद्रीय प्राधिकरण आवेदक या जिसके माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया गया था उस केंद्रीय प्राधिकरण को तुरंत सूचित करेगा।

अनुच्छेद 28

केन्द्रीय प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि आवेदक की ओर से कार्य करने के लिए, आवेदन करने के लिए या प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए आवेदन के साथ एख लिखित प्राधिकरण अधिकार पत्र जमा हो।

अनुच्छेद 29

इस समझौते में किसी व्यक्ति , संस्था या निकाय को नहीं रोकना चाहिए जो दावा करते हैं कि अनुच्छेद 3 या 21 के आशय के तहत अनुबंधित राज्य के न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकरण को सीधे आवेदन करने के बाद निगरानी या पहुंच के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, चाहें इस समझौते के प्रावधान तहत हो या न हो।

अनुच्छेद 30

इस समझौते की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय प्राधिकरणों को या प्रत्यक्ष रुप से अनुबंधित राज्य के न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारियों को किसी अन्य सूचना के साथ संलग्न दस्तावेज या किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया कोई भी आवेदन अदालत या अनुबंधित राज्यों के प्रशासनिक प्राधिकरणों को स्वीकार्य होगा।

अनुच्छेद 31

उन राज्य के संबंध में जिनमें बच्चों की निगरानी के मामलों में विधि की दो या दो से अधिक प्रणालियां विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में लागू होती हैं, वहां -

क)उस राज्य में अभ्यस्त निवास के लिए किसी भी संदर्भ को उस राज्य की एक क्षेत्रीय इकाई में अभ्यस्त निवास के संदर्भ में लाया जाएगा;

ख) अभ्यस्त निवास के राज्य के कानून का कोई भी संदर्भ उस राज्य में क्षेत्रीय इकाई के कानून के संदर्भ में लाया जाएगा जहां बच्चा आदतन रहता है।

अनुच्छेद 32

किसी राज्य के संबंध में, जहां बच्चों की निगरानी के मामलों में दो या दो से अधिक प्रणालियां अलग-अलग श्रेणियों में लागू होती हैं , वहां उस राज्य के कानून के किसी भी संदर्भ को उस राज्य के कानून द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रणाली के संदर्भ में लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 33

ऐसे राज्य में जिसमें बच्चों की निगरानी के संबंध में विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के कानून के अपने नियम हैं, वह इस समझौते को लागू करने के लिए बाध्य नहीं होगा, ये राज्य एक एकीकृत प्रणाली के कारण ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

अनुच्छेद 34

इस समझौते में 5 अक्टूबर 1961 के समझौते से संबंधित मामलों में प्रावधानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें बच्चों के संरक्षकों के संरक्षण के संबंध में दोनों पक्षों के समझौते के बीच प्राधिकरण और कानून लागू होंगे। अन्यथा, बच्चे की वापसी के प्रयोजनों के लिए जिसका गलत तरीके से अवस्थापन गया है या रखा गया है या पहुंच अधिकारों के लिए वर्तमान समझौता इसके मूल राज्य और राज्य के संबन्धित राज्य के अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के आवेदन को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 35

यह समझौता केवल गलत तरीके से अवस्थापन किये गये या रखे गये राज्य और अनुबंधित राज्य के बीच के पूरी तरह से लागू होने के बाद मान्य होगा।

जहां अनुच्छेद 39 या 40 के अधीन घोषणा कि गई है , अनुबंधित राज्य द्वारा पूर्ववर्ती अनुच्छेद के संदर्भ में क्षेत्रीय इकाई या इकाइयों का संदर्भ लिया जाएगा , जिसके संबंध में यह समझौता लागू होता है।

अनुच्छेद 36

यह समझौता स्वयं की सहमति से समझौते के किसी भी प्रावधान को मानने से इंकार करने के लिए प्रतिबंधों को सीमित करने हेतु दो या अधिक अनुबंधित राज्यों पर बाधित नहीं होगा, जो बच्चे की वापसी से संबंधित हो सकती है।

अध्याय V I - अंतिम उपधारा

अनुच्छेद 37

समझौता, उन राज्यों द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए ओपन होंगे जो चौदहवें सत्र के समय प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पर हेग सम्मेलन के सदस्य थे।

इसे स्वीकृति दी जाएगी , यह स्वीकार या अनुमोदित होगा और अनुसमर्थन , स्वीकृति या अनुमोदन के दस्तावेज नीदरलैंड्स के विदेश मामलों के मंत्रालय में जमा किए जाएंगे।

अनुच्छेद 38

कोई भी अन्य राज्य समझौते से सहमत हो सकता है। समझौते में शामिल होने के दस्तावेज नीदरलैंड्स के विदेश मामलों के मंत्रालय के पास जमा किए जाएंगे।

सहमति के दस्तावेजों के जमा होने के बाद तीसरे कैलेंडर माह के पहले दिन राज्य को समझौते को लागू होगा।

समझौते में शामिल होने का प्रभाव राज्य और ऐसे अनुबंधित राज्यों के बीच के संबंधों पर होगा, क्योंकि कि उनके समझौते में शामिल होने की स्वीकृति को घोषित कर दिया जाएगा। यह घोषणा समझौते की पुष्टि , स्वीकार या अनुमोदन करने वाले किसी भी सदस्य राज्य द्वारा करनी होगी। इस तरह की घोषणा नीदरलैंड के विदेश मामलों के मंत्रालय में जमा की जाएगी ; यह मंत्रालय राजनयिक चैनलों के माध्यम से प्रत्येक अनुबंधित राज्यों को एक प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएंगा।

स्वीकृति के घोषणापत्र जमा करने के बाद तीसरे कैलेंडर माह के पहले दिन समझौते में शामिल होने की स्वीकृति घोषित करने वाले राज्य और अन्य राज्यों के बीच समझौता लागू हो जाएगा।

अनुच्छेद 39

कोई भी राज्य , हस्ताक्षर, अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या समझौते में शामिल होने के समय यह घोषणा करता है कि वह समझौते को अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए सभी क्षेत्रों तक बढ़ाएगा , जिनके लिए वह ज़िम्मेदार है , या उनमें से एक या अधिक राज्य। इस तरह की घोषणा उस समय प्रभावी होगी जब यह समझौता उस राज्य में लागू हो।

इस तरह की घोषणा तथा साथ ही किसी भी बाद के विस्तार के बारे में नीदरलैंड के विदेश मामलों के मंत्रालय को सूचित किया जाएगा।

अनुच्छेद 40

यदि किसी अनुबंधित राज्य में दो या अधिक क्षेत्रीय इकाइयां हैं , जिसमें इस समझौते के तहत निपटाए गए मामलों के संबंध में कानून की विभिन्न व्यवस्था लागू होती है , तो वह राज्य हस्ताक्षर , अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के समय इस समझौते को उसके सभी क्षेत्रीय इकाइयों या केवल उनमें से एक या अधिक तक बढ़ाएगा और इस संबध में नई घोषणा को प्रस्तुत कर इसमें संशोधन कर सकता है।

ऐसी किसी भी घोषणा के बारे में नीदरलैंड के विदेश मामलों के मंत्रालय को अधिसूचित किया जाएगा और स्पष्ट रूप से उन क्षेत्रीय इकाइयों की जानकारी देगा जिन पर यह समझौता लागू होगा।

अनुच्छेद 41

अगर किसी राज्य में सरकार में ऐसा प्रणाली मौजूद है जिसके तहत कार्यकारी , न्यायिक और विधायी शक्तियां उस राज्य के मध्य और अन्य प्राधिकरणों के बीच वितरित की जाती हैं , तो उस राज्य द्वारा अनुच्छेद 40 के संदर्भ में हस्ताक्षर या अनुसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन या इस सम्मेलन में प्रवेश करने या किसी भी अन्य घोषणा का उस राज्य के भीतरी शक्तियों के आंतरिक वितरण में कोई प्रभाव नहीं होगा।

अनुच्छेद 42

अनुच्छेद 39 या 40 के संदर्भ में किसी भी राज्य को अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के समय से या घोषणा करने के समय में अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 26 के तीसरे पैराग्राफ में प्रदान किए गए एक या दो निग्रह करेगा। किसी अन्य निग्रह की अनुमति नहीं होगी।

कोई भी राज्य किसी भी समय किसी भी निग्रह को वापस ले सकता है। निग्रह वापसी के संबंध में नीदरलैंड राज्य के विदेश मामलों के मंत्रालय को सूचित किया जाएगा। पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्दिष्ट अधिसूचना के बाद निग्रह तीसरे कैलेंडर माह के पहले दिन से प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 43

अनुच्छेद 37 और 38 में उल्लिखित अनुसमर्थन , स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के तीसरे दस्तावेज के जमा होने के बाद तीसरे कैलेंडर माह के पहले दिन समझौता लागू हो जाएगा।
इसके बाद समझौता प्रभावी हो जाएगा -

1. प्रत्येक राज्य के लिए अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के दस्तावेज के जमा होने के बाद साल के तीसरे महीने के पहले दिन, उसके बाद, इसके अनुसमर्थन करना, स्वीकार करना या स्वीकृति देना;
2. किसी भी क्षेत्र या प्रादेशिक इकाई के लिए जिसे अनुच्छेद 39 या 40 के अनुरुप विस्तारित किया गया है , उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट अधिसूचना के बाद साल के तीसरे माह के पहले दिन से।

अनुच्छेद 44

43 के पहले अनुच्छेद के अनुसार समझौता उन राज्यों के लिए जिन्होंने इसमें शामिल होने की पुष्टि की है , स्वीकार किया है या इसे अनुमोदित किया है, शामिल होने के बाद यह पांच साल तक जारी रहेगा।

यदि कोई दोषारोपण नहीं होता है , तो हर पांच साल में इसे नए सिरे से नवीनीकृत किया जाएगा।

किसी भी दोषारोपण के संबंध में पांच साल की अवधि की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले नीदरलैंड्स राज्य के विदेश मामलों के मंत्रालय को सूचित किया जाएगा। यह कुछ प्रदेश या क्षेत्रीय इकाइयों तक सीमित हो सकता है , जहां पर समझौता लागू होता है।

यह दोषारोपण केवल उस राज्य के संबंध में ही प्रभावी होगा जिसने इसके बारे में अधिसूचित किया है। समझौता दूसरे अनुबंधित राज्यों के लिए लागू रहेगा।

अनुच्छेद 45

नीदरलैंड राज्य के विदेश मामलों के मंत्रालय ने निम्नलिखित 38 के अनुच्छेद 38 के अनुसार समझौते में शामिल होना स्वीकार करने वाले राज्यों के सदस्यों और राज्यों को सूचित किया है, कि -

1- अनुच्छेद 37 में निर्दिष्ट हस्ताक्षर और अनुसमर्थन, स्वीकृति और अनुमोदन;
2- अनुच्छेद 38 में निर्दिष्ट परिग्रहण;
3- अनुच्छेद 43 के अनुसार जिस समझौता लागू होता है;
4- अनुच्छेद 39 में निर्दिष्ट विस्तारण;
5- अनुच्छेद 38 और 40 में निर्दिष्ट घोषणा;
6- अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 26 , तीसरे पैराग्राफ में उल्लिखित निग्रह और अनुच्छेद 42 में उल्लिखित समझौते से हटना;
7- अनुच्छेद 44 में निर्दिष्ट दोषारोपण

साक्ष्य के रुप में अधिसूचित और विधिवत अधिकृत होने पर , इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता हेग में अक्टूबर , 1991 को अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में किया गया, जिसके दोनों मूलपाठ समान थे और एक ही प्रति में थे, इसे नीदरलैंड्स के राज्य सरकार की अभिलेखागार में जमा की जाएगी और चौदहवें सत्र के दौरान प्राइवेट इंटरनेशल कानून पर हेग समझौते के हर राज्य के सदस्यों को राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक प्रमाणित प्रतिलिपि भेजी जाएगी।

एससीसी ऑनलाइन वेब संस्करण, कॉपीराइट © 2017
पृष्ठ 1 शुक्रवार, जून 2, 2017
मुद्रित : नमन जैन, राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए
एससीसी ऑनलाइन वेब संस्करण: http://www.scconline.com

अस्वीकरण: हालांकि, इस दस्तावेज को बनाते समय किसी भी गलती या चूक से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है , लेकिन इस केसनोट/हेडनोट/फैसले/अधिनियम/नियम/विनियम/परिपत्र/अधिसूचना को एक विशेष में परिचालित किया जा रहा है और प्रकाशक किसी भी कारण से इस केसनोट/हेडनोट/फैसले/ अधिनियम /नियम/विनियम/परिपत्र/अधिसूचना में किसी भी गलती या चूक या इसके आधार पर लिया गया या लिया जाने वाला या किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इससे संबंधित सभी विवाद विशेष रूप से लखनऊ क्षेत्र में स्थित अदालतों , ट्रिब्यूनल और फोरम के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे। इस दस्तावेज की प्रामाणिकता को मूल दस्तावेज से सत्यापित किया जाना चाहिए।

सी.एमी. संख्या 2015 की 14931-CII

सीमा कपूर बनाम दीपक कपूर

2016 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 1225

पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में

(राहेल भलाला , जे. के समक्ष)

सीमा कपूर और अन्य

बनाम

दीपक कपूर और अन्य

श्री अनिल मल्होत्रा, वकील, एमिकस क्यूरीए

श्री प्रतिक गुप्ता, भारतीय संघ के वकील

श्री पी.एस. बाजवा, अपर ए.जी., पंजाब

श्री एस. एस. संधू, विशेष अभियोजक, सीबीआई

सी.एम. संख्या 2006 की सीआर -644 9 में 14931-CII

फरवरी 24, 2016 को फैसला

राजीव भाल्ला , **1-** एक नाबालिक बच्चे को 23.12.2006 को दिए गए इस न्यायालय के अंतरिम आदेश की अवमानना कर न्यायिक हिरासत से अवस्थापन कर लिया गया और इस न्यायालय द्वारा नाबालिग को पुनर्स्थापित करने के सभी प्रयासों की विफलता अदालत को भारतीय विधि आयोग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अग्रेषित करने के लिए मजबूर करता है कि, "बाल अवस्थापन" पर कानून के अभाव में किसी भी बच्चे को भारत से आसानी से अवस्थापित किया जा सकता है। एमीकस क्युरी और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रशंसनीय प्रयासों के बावजूद , नाबालिग का पता नहीं चल सका है।

2. सीमा कपूर और अन्य ने नाबालिग को प्रतिवादी के संरक्षण में रखने के दिए गए निर्देश को चुनौती देते हुए निर्णय में संशोधन करने का केस किया। याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनांक 23.12.2006 को अंतरिम आदेश पारित किया गया , जिससे उन्हें नाबालिग का संरक्षण बरकरार रखने की इजाजत दी गई , लेकिन जब सीमा कपूर को नाबालिग को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, तो वह देश से भाग गई और अवैध रूप से बच्चे को ब्रिटेन ले गई। 2008 में कोर्ट की सहायता के लिए श्री अनिल मल्होत्रा, वकील, एमिकस क्युरी को नियुक्त किया गया था और पुलिस को इस मामले की जांच के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद , इस अदालत द्वारा जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को हस्तांतरित कर दिया गया। पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर जवाबों से यह स्पष्ट हो गया कि नाबालिग को नकली पासपोर्ट के जरिए ब्रिटेन ले जाया गया था। अंततः स्टे आर्डर जारी कर दिया गया। पुलिस स्टेशन दसूया में मामूली बच्चे को अवैध रूप से अवस्थापित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 363 , 1 9 3 , 20 9 और 120-बी के तहत दिनांक 12.08.2008 को एफआईआर संख्या 86 दर्ज की गई और जाली दस्तावेजों पर पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए राजेश कपूर और अन्य के खिलाफ पुलिस स्टेशन दसूया में धारा 420, 467, 468, 120-बी और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के तहत एफआईआर संख्या 119 , 30.11.2008 को पंजीकृत किया गया था। इस कोर्ट द्वारा दोनों एफआईआर को सीबीआई को जांच के लिए सौंपा गया था।

3. दिनांक 06.11.2008 को अगले दिशानिर्देश जारी किए गए थे और सीमा कपूर और नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट जब्त किए गए थे। 2009 के 14.07.2008 और 06.11.2008 के आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष छुट्टी याचिका संख्या 725 को सर्वोच्च न्यायालय ने 01.05.2009 को खारिज कर दिया था , लेकिन फिर भी बच्चे का पता नहीं चल सका। आखिरकार, लंदन में उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न आदेश पारित किए जाने के बाद नाबालिक बच्चा बरामद किया गया। ब्रिटिश पुलिस कांस्टेबल, वरिंदर सुच 673 XB द्वारा साउथॉल पुलिस थाने , ब्रिटेन में 03.12.2008 को गवाह का बयान दर्ज किया गया और सीमा कपूर , नाबालिग बच्चे और राजेश कपूर को 03.12.2008 को गिरफ्तार किया गया था , गिरफ्तारी के वक्त वे भागने की कोशिश कर रहे थे।

सीमा कपूर और राजेश कपूर को ब्रिटिश पुलिस ने 05.12.2008 तक हिरासत में रखा था। हालांकि, बच्चे को पालक की देखभाल में रखा गया था।

4. दिनांक 11.12.2008 को पारिवारिक न्यायालय, लंदन के न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें राजेश कपूर ने लंदन उच्च न्यायालय से कहा कि वह नाबालिग को भारत न भेंजे। दिनांक 17.03.2009 की यह रिपोर्ट, निम्नानुसार है: -

"राजेश कोर्ट को सूचित करते हैं कि वो ऐशले की देखभाल करने के लिए अपनी बहन की मदद लेते रहेंगे। उन्होंने सीमा की अतीत में सहायता की और एशले की देखभाल पर अपने विचार साझा किए। हालांकि, मुझे इस बात की चिंता है कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के ऊपर इस बात को प्राथमिकता दी है, जो भारत में रहते हैं और उन्होंने ऐसा क्यों किया है इसका कारण नहीं जानता। न ही मैं पिता (उनके भाई) के साथ अपने रिश्ते के बारे में स्पष्ट करता हूं, जो ऐशले के बदले अपने खुद के बच्चे को उपहार देने जा रहा था।"

5. श्री अनील मल्होत्रा, वकील, एमिकस क्यूरीई, दिनांक 21.03.2009 को एक रिपोर्ट रिकॉर्ड करते हुए, फैमिली कोर्ट के फैमिली डिवीजन, लंदन में अनुरोध किया था कि नाबालिग और सीमा कपूर को भारत लौट आएं।

6. दीपक कपूर और ज्योति कपूर और प्रतिवादी जैसे सीमा कपूर, राजेश कपूर और ऐशले कपूर के बीच उच्च न्यायालय, पारिवारिक प्रभाग, लंदन द्वारा दिनांक 21.04.2009 को निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गया है: -

"23. मेरे सामने रखे गए तथ्यों के आधार पर मैं ऐशले की वापसी के लिए सीमा को निगरानी का आदेश नहीं दे सकता। ऐसा करना ऐशले के हित में नहीं होगा। मैं ऐशले को भारत अविलंबित लौटाने का आदेश दूंगा। मेरे आदेश में ऐशले को भारत लौटने और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा अनुरोध की प्रस्तावना के लिए व्यवस्था शामिल होगी।

24. यह आदेश इस फैसले से संगलन है और एमिशस क्यूरीई को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जाने और एशले को इस अधिकार क्षेत्र से निकाले जाने से पहले आदेश को दर्ज करने के लिए ई-मेल किया गया है। इस मामले के कागजात भारतीय न्यायालय को भेजे जाएंगे।"

7. दिनांक 21.04.2009 के उपरोक्त फैसले के खिलाफ लंदन कोर्ट में अपील दर्ज कराई गई थी, जिसे दिनांक 23.04.2009 को स्पष्ट किया गया था।

8. हालांकि, दिनांक 24.04.2009 को लगभग 9.30 बजे, ऐशले कपूर को एक अज्ञात एशियाई पुरुष ने स्कूल के एक खेल मैदान में छोड़ दिया। इसके बाद, ब्रिटिश पुलिस और उसकी तलाश करने वाली विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों से उसे अजीब हालातों में पाया गया।

9. केंद्रीय जांच ब्यूरो, चंडीगढ़ को सौंपी गई एफआईआर की जांच में इस बात पुष्टि हुई है कि राजेश कपूर ने इस तथ्य का खुलासा किए बिना दूसरे पासपोर्ट को धोखाधड़ी से प्राप्त कर लिया है कि उनके पास दिनांक 08.04.1996 को जारी पासपोर्ट क्रमांक A-544 912 पहले से ही मौजूद था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस बात पुष्टि कि है कि फर्जी अभिभावक और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट कार्यालय, जालंधर से ऐशले कपूर के संबंध में नकली पासपोर्ट तैयार किए गए थे और दिनांक 22.12.2007 को वह लंदन चले गए थें।

10. एमिकस क्यूरी और केंद्रीय जांच ब्यूरो के सभी प्रयासों के बावजूद और हर कदम पर विफल होने के बावजूद भारत अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौते, 1980 का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। इसके अलावा, भारत अंतर-देशीय बाल अवस्थापना को गलत या अपराध नहीं माना जाता है, न इसे ही किसी विशिष्ट या विशेष कानून के तहत परिभाषित किया गया है। हेग समझौते के तहत किसी बच्चे का अवस्थापन या अवधारण करना हिरासत के अधिकारों के उल्लंघन है, लेकिन भारत जबतक हेग समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता या कानून नहीं बनाता बच्चों का भारत से और भारत में अवस्थापन होना जारी रहेगा और अदालत और प्राधिकरण कुछ नहीं कर सकेंगे।

11. इस संदर्भ में , भारतीय विधि आयोग , 14 वीं मंजिल , हिंदुस्तान टाइम्स हाउस , कस्तूरबा गांधी मार्ग , नई दिल्ली-110001 और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय , शास्त्री भवन , ए विंग, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड , नई दिल्ली -110001 को अंतर-देशीय मुद्दों में मुद्दों की जांच करने के लिए , परिवारों में अंतर-माता-पिता के बच्चे के अवस्थापन और इसके बाद यह विचार करने के लिए कि उपयुक्त कानून बनाई जानी चाहिए की नहीं और बाल अपहरण पर हेग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सिफारिश भेंजी गई है।

12. इस न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए वकील , एमिकस क्यूरीए, श्री अनिल मल्होत्रा ने एक रिपोर्ट तैयार की और कानून निर्धारित करने के लिए इसे अग्रेषित किया। मैंने इस रिपोर्ट का रिकॉर्ड रख लिया हैं और श्री अनिल मल्होत्रा , वकील के अथक प्रयासों की सराहना करता हूं।

13. संचार के लिए इस आदेश की एक प्रतिलिपि , श्री अनिल मल्होत्रा , वकील, अमिकस क्यूरी और भारतीय संघ के वकील को सौंप दी गई।

14. दिनांक 30.03.2016 को स्थगित।

एससीसी ऑनलाइन वेब संस्करण, कॉपीराइट © 2017
पृष्ठ 2 शुक्रवार, जून 2, 2017
मुद्रित : नमन जैन, राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए
एससीसी ऑनलाइन वेब संस्करण: http://www.scconline.com

अनुलग्नक-A

चंडीगढ़ के पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में

2006 की सी.आर. सं. 6449

सीमा कपूर और अन्य..... याचिकाकर्ता

बनाम

दीपक कपूर और अन्य..... प्रतिवादी .....

अनिल मल्होत्रा, एडवोकेट, एएमिकस क्यूरिए द्वारा दायर

क्रम-सूची

भारत में बच्चों और परिवार के बच्चों के बीच हिरासत से संबंधित कानून

	पृष्ठ
क. परिचय	1-2
ख. बाल अवस्थापन की परिभाषा	2-3
ग. वैश्विक समाधान और उपाय	3-4
घ. 1980 समझौते में शामिल होने के लिए भारत को रुचि क्यों लेना चाहिए	4-6
ङ. निगरानी की कार्यवाही के लिए प्रासंगिक कानून और न्यायाधिकरण	6-8
च. अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिसूचना 1980 के नागरिक पहलुओं पर भारत और हेग समझौता	8-9
छ. बाल अपहरण पर भारतीय कानून की स्थिति	9-11
ज. कानूनों के विश्लेषण का निष्कर्ष	11-12
झ. भारत में विदेश न्यायालयों की स्थिति	12-13

ञ. भारत में नाबालिग हेतु आदेशों की लिए कोई व्यवस्था नहीं 13
ट. संभावित समाधान 13-14
ठ. सामान्य निष्कर्ष 14-16

दिनांक: 20 जनवरी 2016 (अनिल मल्होत्रा) एडवोकेट एंड एमीकस क्यूरिए)

चंडीगढ़ के पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में
2006 की सी.आर. सं. 6449

सीमा कपूर और अन्य.....याचिकाकर्ता

बनाम

दीपक कपूर और अन्य.....प्रतिवादी

अनिल मल्होत्रा, एडवोकेट, एएमिकस क्यूरिए द्वारा दायर
सम्मान प्रकट करते हुए:

एससीसी ऑनलाइन वेब संस्करण, कॉपीराइट © 2017
पृष्ठ 4 शुक्रवार, जून 2, 2017
मुद्रित : नमन जैन, राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए
एससीसी ऑनलाइन वेब संस्करण: http://www.scconline.com

भारत में बच्चों के निगरानी बच्चों और अवस्थापन से संबंधी कानून;

क. परिचय

15. माता-पिता द्वारा बच्चों का अन्तरमहाद्वीपीय (इंटरकांटिनेंटल) अपहरण अब एक समकालीन कानूनी समस्या है, जो राष्ट्रों के विभिन्न कानूनी प्रणालियों को विफल और अयोग्य बना देता है और जिनके बीच की परस्पर विरोधी स्थितियां बच्चों को अपने अभ्यस्त निवास वाले देश में लौटने से रोकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण , 1980 के नागरिक पहलुओं के हेग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन, उन पीड़ित माता-पिता का क्या दोष है जिनके देश समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के इस वैश्विक संगठन का हिस्सा नहीं हैं, जो एक दूसरे के कानूनों का सम्मान करते हैं। कोई भी वैश्विक परिवारिक कानून उन्हें नियंत्रित नहीं करता। इस तरह के न्यायालय के विभिन्न न्यायालयों में फैसले के लिए जाना न्याय व्यवस्था को अवरोधित करता है। निर्दोष बच्चे जो कानूनी व्यवस्था से पीड़ित हैं।

16. एक दशक पहले की तुलना में दुनिया अब बहुत छोटी हो गई है। अंतर देशीय और अंत महाद्वीपीय यात्रा पहले की तुलना में अब आसान और अधिक सस्ती है। इसके परिणाम स्वरुप विभिन्न देशों के व्यक्तियों और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के बीच संबंधों में सुधार हुआ है। तार्किक रूप से जिस दुनिया में हम और हमारे बच्चे रहते हैं वे इस कारण बेहद जटिल हो गए हैं। दुनिया अवसरों और जोखिमों से भरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता , दुसरे देश की सीमाओं में आसानी से आना-जाना , सीमा-पार पारगमन और अंतर सांस्कृतिक प्रतिबंधों का निराकरण ये सभी सकारात्मक बाते हैं लेकिन इससे सीमा पार स्थितियों में अपहरण किए गए बच्चों के लिए नए जोखिम पैदा हो गए हैं। हिरासत और पुनर्वास पर असफल विवादों के कारण टूटते रिश्तों के मामलों वृद्धि हो रही है क्रॉस फ्रंटियर चाइल्ड सपोर्ट हासिल करने के संघर्ष के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क में होने वाली परेशानियों ने अंतरराष्ट्रीय अपहरण के खतरे ने पुरानी समस्याओं को और बढ़ा दिया है। 1.2 अरब भारतीयों की आबादी में लगभग 3 मिलियन लोग अनिवासी भारतीय हैं , जो 180 अलग-अलग देशों में रह रहे हैं, जो विभिन्न न्यायालयों के तहत आते हैं उन्होंने पति-पत्नी से संबंधित अंतर-अभिभावक बच्चे के अवस्थापन और अंतर्राष्ट्रीय परिवार के विवादों की एक नई फसल पैदा कर दी है।

ख. बाल अवस्थापन की परिभाषा

17. एक से अधिक देशों के संपर्क रखने वाले परिवार अगर उनके रिश्ते टूट जाते हैं तो वो अनोखी समस्याओं का सामना करते हैं। इस मुश्किल समय में मानव की पहली प्रतिक्रिया बच्चों के साथ अक्सर परिवार और मूल देश में वापस लौटने की होती है। ऐसे मामले में अगर बच्चे को किसी अन्य संरक्षक या न्यायालय से अनुमति के बिना दुसरे देश लाया जाता है तो माता-पिता को एक देश से दूसरे देश में लाना आसान हो जाता है , यह चाहे अनजाने में हो या न हो , बाल अवस्थापन हो या अंतर-अभिभावक बाल अपहरण हो। इस अवधारणा को किसी भी प्रासंगिक कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। समझौते के मामले में इसका अर्थ यह है कि, किसी बच्चे को एक व्यक्ति की देख-रेख से हटा देना, जिसके साथ बच्चा सामान्य रूप से जीवन जीता है।

18. इसकी व्यापक परिभाषा बच्चा जहां रह रहा है उसे वहां से उसका अवस्थापन कर देना है , जहां अवस्थापन का माता-पिता के अधिकार या संपर्क करने के अधिकार के साथ हस्तक्षेप होता है। इस संदर्भ में अवस्थापन का मतलब माता-पिता या विस्तारित परिवार के सदस्यों द्वारा हटाया गया है। इसमें अजनबियों द्वारा स्वतंत्र रुप से अवस्थापन शामिल नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं के समझौते पर दिनांक 25 अक्टूबर 1980 को हेग में हस्ताक्षर किए गए , जिसमें आज दुनिया के सभी क्षेत्रों से 90 से अधिक अनुबंधित देश शामिल हैं , हालांकि, निम्नलिखित शब्द गलत तरीके से अवस्थापन या अवधारण को परिभाषित करते हैं:

“अनुच्छेद 3

किसी बच्चे का अवस्थापन या अवधारण गलत माना जाता है, जहां:

(क) यह राज्य के कानून के तहत किसी व्यक्ति , संस्था या किसी अन्य निकाय को या तो संयुक्त रूप से या अकेले कस्टडी के अधिकारों का उल्लंघन है, जिसका बच्चा अवस्थापन या अवधारण से पहले निवासी था; तथा

(ख) अवस्थापन या अवधारण के समय उन अधिकारों का प्रयोग किया जाता था , या तो संयुक्त रूप से या अकेले , या ऐसा बच्चे के अवस्थापन या अवधारण के लिएकिया जाता था। उप-पैरा (ए) उपर्युक्त में वर्णित कस्टडी के अधिकार कानून के संचालन द्वारा या न्यायिक या प्रशासनिक निर्णय के कारण या उस राज्य के कानून के तहत कानूनी प्रभाव वाले समझौते के कारण उत्पन्न हो सकते हैं।”

19. बच्चे के अवस्थापन या अवधारण को किसी भी भारतीय संहिताबद्ध कानून में परिभाषित नहीं किया गया है और चूंकि भारत हेग समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए हेग समझौते के लिए कानूनन शक्ति देने के लिए कोई समानांतर भारतीय कानून नहीं है। इसलिए , भारत में बाल अवस्थापन की अवधारणा के सभी अर्थों में भारतीय न्यायालयों द्वारा भारतीय और/या विदेशी मूल के माता-पिता के बीच विवादों के बीच विवादों के विरूद्ध कानून, कानून के उदाहरणों में न्यायिक नवीनता पर आधारित हैं।

ग. वैश्विक समाधान और उपाय

20. अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौता 1 दिसंबर , 1983 को लागू हुआ और अब इस में 93 अनुबंधित राष्ट्र हैं। इस समझौते के उद्देश्य हैं:

- किसी भी अनुबंधित राष्ट्र में गलत तरीके से अवस्थापन या अवधारण किये गए बच्चों की शीघ्र वापसी सुरक्षित करना; तथा
- यह सुनिश्चित करना कि अनुबंधित राष्ट्र के कानून के तहत हिरासत और पहुंच के अधिकार अन्य अनुबंधित राष्ट्रों में प्रभावी रूप से लागू किए गए हैं। यह समझौता एक प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करता है और अपहरण से पहले यथास्थिति को पुनर्स्थापित करने के लिए वास्तविक और व्यावहारिक तरीके प्रदान करता है , इसके अलावा, यह समझौता अपहर्ताओं को बच्चों के हितों के विरोध में किए गए किसी अधिनियम के लाभों को प्राप्त करने से रोकता है और माता पिता दोनों के साथ बच्चे का संपर्क बनाए रखने के लिए अधिकार प्रदान करता है और सद्भाव को बढ़ावा देता है जहां पहले अराजकता होती थी। द हेग , नीदरलैंड में प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पर हेग कॉन्फ्रेंस के स्थायी ब्यूरो , द हेग समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन और लगातार संचालन और उनके कार्यों की समीक्षा करने के लिए निगरानी और सहायता द्वारा एक अच्छी सेवा प्रदान करता है। चूंकि इस समझौते के लिए प्रवर्तन या व्याख्या की कोई केंद्रीकृत प्रणाली नहीं है, इसलिए हेग सम्मेलनों के सचिवालय ने राष्ट्रों को सम्मेलन सेवाओं के बारे में मार्गदर्शन दिया है। अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर द हेग समझौते के संदर्भ में सचिवालय ने तीन भाग में पुस्तक प्रकाशित किये हैं , अच्छे कार्य के लिए मार्गदर्शिकाएं , अर्थात् केन्द्रीय प्राधिकरण प्रैक्टिस , कार्यान्वयन और रोकथाम के उपाय , जिन्हें राज्यों द्वारा अनुबंधित करने के लिए अनुमोदित किया गया है। इस प्रकार सचिवालय संवेदी राज्यों का एक अंतरराष्ट्रीय माध्यम तैयार करने में मदद करता है , जो गलत तरीके से अवस्थापित किये गए बच्चों को वापस लाने के लिए एक दूसरे के साथ अनुबंध करते हैं।

घ. 1980 समझौते में शामिल होने के लिए भारत को रुचि क्यों लेना चाहिए

21. अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर बना हेग समझौता एक उल्लेखनीय दस्तावेज है, जिसका दुनिया में बाल संरक्षण नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। एक सभ्य समाज में जहां वैश्वीकरण और मुक्त बातचीत तेजी से बदलती हुई व्यवस्था का हिस्सा है , भारत विकासशील देशों के एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा है। अनिवासी भारतीयों ने जीवन के सभी क्षेत्रों में ख्याति अर्जित की है। लेकिन , इनकी घर वापसी की समस्याएं पारिवारिक कानूनों के सामने काफी हद तक अनसुलझे हैं। समय बदल गया है लेकिन कानून अभी भी वहीं हैं। भारत में विवाह, तलाक, हिरासत, रखरखाव और गोद लेने के कानूनों में एक कार्यप्रणाली की आवश्यकता है। बाल अवस्थापन अक्सर माता-पिता के बीच प्रमुख विवादों में से एक में माना जाता है, जो बच्चे के अधिकारों को सहज रूप से समझते हुए पति-पत्नी अधिकारों के फैसले और निर्णय लेने के लिए करते हैं। इसलिए , एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत की आवश्यकता को स्थापित करने और समर्थन करने के लिए चार प्रमुख कारणों की पहचान की जा सकती है।

22. पहला, भारत अब अंतरराष्ट्रीय अंतर-अभिभावकों द्वारा बच्चे के अवस्थापन के लिए अभेद्य नहीं है। समझौते के सिद्धांतों की अनुपस्थिति में भारतीय न्यायालय बच्चों के हित को निर्धारित ऐसे करते हैं जैसे किसी भी बच्चे का अवस्थापन किसी भी कस्टडी के विवाद के जैसे हो। इस प्रक्रिया में, पक्षों के बीच लड़ाई अधिकारों को लेकर होती है और बच्चे के हित का वास्तविक मुद्दा कम और अधीनस्थ हो जाता है। माता-पिता के हितों और पत्नियों के अधिकारों का संघर्ष कस्टडी का निर्धारण करता है। अपने अधिकारों को स्थापित करने के लिए अधिक क्षमता वाले माता-पिता केस जीत जाते हैं और परिणामस्वरूप बच्चे के हित का निर्धारण एक मिथ्या और गलत धारणा बनकर रह जाती है। इस तरह के निपटारे को वास्तव में अवस्थापित किये गए बच्चे के हित में नहीं है।

23. दूसरे, भारत में इस तरह का निर्णय बच्चे को अवस्थापित करने वाले माता पिता के लिए खेल जैसा है और वो इसके लिए न्यायालय की भूमिका का उपयोग करते हैं जो कि बच्चे के दीर्घकालिक हितों का निर्धारण करने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है , अर्थात् उस देश के न्यायालय का जहां बच्चे का गलत तरीके से अवस्थापित या अवधारण से पहले उसका घर हो। इसके विपरीत , द हेग समझौते का फायदा यह है कि यह जल्दी से स्थिति को पुनर्स्थापित करता है कि गलत तरीके से अवस्थापित या अवधारण होने से पहले बच्चे को अभ्यस्त निवास के देश में न्यायालय की उचित भूमिका का समर्थन करता है। बच्चे के हित के लिए सही कानून बच्चे के अभ्यस्त निवास के देश का होगा और इसलिए न्यायालय भी उसी देश का होगा। भारत में , भारतीय कानून के अनुसार अधिकारों के निर्धारण में किसी माता-पिता द्वारा विदेशी बच्चे को भारत लाने का कड़ा विरोध कर सकते हैं और यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं हो सकता और बच्चे के मूल का निर्धारण कानून और न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

24. तीसरा, तथ्य यह है कि भारत द हेग कन्वेंशन में शामिल नहीं है , जिससे विदेशी न्यायाधीश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है , जो यह तय करते हे कि क्या किसी बच्चे को विदेशी देश में अपने माता-पिता के साथ रहने देना चाहिए या भारत में अपने भारतीय माता-पिता और विस्तारित परिवार के साथ समय बिताने की अनुमति दी जानी चाहिए। द हेग कन्वेंशन द्वारा की गई गारंटी के बिना बच्चे को मूल देश वापस भेज दिया जाएगा , भले ही विदेशी न्यायाधीश बच्चे को भारत जाने की अनुमति देने के लिए अनिच्छुक हो। इस सिद्धांत के एक तर्कसंगत परिणाम के रूप में ; द हेग कन्वेंशन की सदस्यता भारतीय मूल के बच्चों की भारत वापसी की संभावना बढ़ाएगी , लेकिन उन्हें 93 राष्ट्रों में कैद कर लिया जाएग जो कन्वेंशन के पक्ष हैं।

25. चौथा, यह समझौता कस्टडी और संपर्क के मुद्दों के समाधान के लिए एक संरचना प्रदान करता है, जो माता-पिता अलग होने और अलग-अलग देशों में रहने से उत्पन्न हो सकता है। समझौता ऐसे विभिन्न देशों के न्यायालयों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से बचाता है, जो ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए समान रूप से सक्षम हैं। समझौते की मान्यता और प्रवर्तन प्रावधान पुन: मुकदमेबाजी और संपर्क के मुद्दों की आवश्यकता से बचाते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि उस देश के प्राधिकरणों द्वारा निर्णय लिया जाए, जिसका बच्चा अवस्थापन से पहले निवासी था।

26. इस प्रकार आशा की जा सकती है कि ऊपर बताए गए ठोस आधार के कारण भारत 1980 के हैग समझौते में शामिल होने पर गंभीरता से विचार करेगा। हालांकि, आज तक भारत ने अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरण, 1980 के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

ड़. निगरानी की कार्यवाही के लिए प्रासंगिक कानून और न्यायाधिकरण

27. जहां तक बच्चों की सुरक्षित वापसी के लिए न्यायाधिकरण का संबंध है, यह दोहराया जाना महत्वपूर्ण है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौता 1980 का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, ऐसे माता-पिता, जिनके बच्चे का अपहरण किया गया है , बच्चे की वापसी के लिए अपहरण करने वाले माता-पिता के खिलाफ हैबिस कार्पस की रिट जारी करने के लिए राज्य उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से अपहृत बच्चे की सुरक्षित वापसी के लिए हैबिस कार्पस याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीधे दायर की जा सकती है।

28. जहां तक प्रासंगिक कानून का संबंध है , पीड़ित माता पिता (यदि धर्म से हिंदु हैं) हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षक अधिनियम , 1956 के प्रावधानों का सहारा ले सकते हैं। (यहां एच.एम.जी.ए. 1956 , जो हिंदूओं के बीच अल्पसंख्यक और संरक्षकता से संबंधित कानून के कुछ हिस्सों में संशोधन और संहिता का अधिनियम है। एच.एम.जी.ए. 1956 के प्रावधान पूर्ववर्ती संरक्षक एवं संरक्षण अधिनियम , 18 9 0 (जीडब्ल्यूए) के पूरक हैं। एच.एम.जी.ए. 1956, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (एचएमए) के जैसे ही एक अपर देशीय आवेदन है। यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है।

29. जहां तक संरक्षकता और कस्टडी से संबंधित कानून का संबंध है , संरक्षक एंव संरक्षण अधिनियम, 1890 (जी.डब्ल्यू.ए.) ऐसा अधिनियम है जो संरक्षक और संरक्षण की नियुक्ति के साथ-साथ ही बच्चों की कस्टडी से भी संबंधित है। यह सभी व्यक्तियों, धर्म या निजी कानूनों से मुक्त है और विदेशियों द्वारा भी लागू किया जा सकता है। जी.डब्ल्यू.ए. के प्रावधान निजी कानून से स्वतंत्र हैं और बच्चों की कस्टडी के मामलों का निर्धारण करने के लिए कारकों , प्रक्रियाओं, मानदंडों और संरक्षक की नियुक्ति के अन्य विवरणों को भी निर्धारित करते हैं। जीडब्ल्यूए के तहत एक संरक्षकता और कस्टडी याचिका भी एक वैकल्पिक उपाय है जिसे पीड़ित माता-पिता द्वारा अंतः और अंतर-देशीय माता-पिता के अवस्थापित होने के मामलों में अपनाया जाता है। इसका कारण यह है कि भारतीय माता-पिता के माता-पिता के अधिकारों को खत्म करने के लिए और पीड़ित माता-पिता द्वारा बच्चे की एकमात्र कस्टडी लेने के लिए भारतीय कानून के तहत कोई अन्य वैधानिक उपाय निर्धारित नहीं है। अक्सर , ऐसे विवादों को खत्म करने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है , जो अनुच्छेद 32 के तहत याचिका क्षेत्राधिकार में नहीं है या भारतीय संविधान का 226 सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष संभव निपटाना संभव नहीं है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने ऐसे मामले में संरक्षक न्यायाधीश या परिवारिक न्यायालय या ट्रायल न्यायालय में पुनर्विचार के लिए भेंजा है। चूंकि , यदि उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट रिट क्षेत्राधिकार में उन तथ्यों को निर्धारित करने में असमर्थ है जिसके लिए पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, तो पारिवारिक न्यायालय या ट्रायल कोर्ट में संरक्षक न्यायाधीश के समक्ष अंतर-अभिभावक , अंतर-देशीय बाल हिरासत के मामले रखें जा सकते हैं। इसलिए , अंतर-पारिवारिक बाल हिरासत विवाद को किसी पारिवारिक न्यायालय या परीक्षण न्यायालय में ऐसी स्थिति में संरक्षण न्यायाधीश के पास भेंजा जा सकता है, यहां तक कि अंतर-देशीय बाल अवस्थापन के मामलों में भी जहां उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित विदेशी अदालत के आदेश के बावजूद अवस्थापन के मामले का हल नहीं निकला है, वहां भी ऐसा किया जा सकता है।

30. हालांकि, भारत में न्यायालयों के उदाहरणों से पता चलता है कि बच्चों की हिरासत पर फैसला देने के लिए बच्चे के हित को ध्यान में रखा जाता है और माता-पिता को बाल हिरासत मामलों में भारतीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करने का अधिकार है।

च. अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिसूचना 1980 के नागरिक पहलुओं पर भारत और हेग समझौता

31. अभी तक भारत अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण 1980 के नागरिक पहलुओं पर द हेग कन्वेंशन में शामिल नहीं है। उपरोक्त कानून के वैधानिक प्रावधानों के अलावा , जिसमें बाल हिरासत के मामले अलग-अलग कार्यवाही में अलग-अलग अदालतों में दायर किए गए हैं, द हेग कन्वेंशन के सिद्धांतों को भारतीय न्यायालयों पर लागू नहीं किया जा सकता है। हाल के फैसले से पता चलता है कि भारतीय न्यायालय आम तौर पर बच्चे के कल्याण और बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए अंतर-संरक्षक बच्चे के हिरासत में विवादों का निर्णय लेते हैं। माता-पिता के बीच किसी भी ऐसे बच्चे के हिरासत में विवाद के फैसले के लिए विदेशी कोर्ट द्वारा दिया गया कस्टडी का आदेश इसका उदाहरण है। विदेशी अदालत ने बाल कस्टडी के आदेश को यंत्रीकृत रूप से लागू नहीं किया है और आम तौर पर न्यायालयों को मामले को समझने के बाद किसी भी विदेशी अदालत के कस्टडी के आदेश के बावजूद बच्चे के हित का फैसला करना होता है। इसलिए , भारत में कानून की स्थिति अलग-अलग मामलों में भिन्न होती है और ऐसा कोई उदाहरण मौजूद नहीं है जिसे सार्वभौमिक नियम के रूप में उद्धृत या उल्लेखित किया जा सकता है।

32. भारत, अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर 1980 के द हेग कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है , इसलिए बच्चों की हिरासत से संबंधित मामलों पर भारतीय न्यायालयों द्वारा प्रत्येक मामले पर उसकी मेरिट के आधार पर विचार किया जाता है जोकि बच्चे के हित के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि विदेशी अदालत द्वारा दिए गए आदेश को इस तरह के फैसले में केवल प्रासंगिक कारक माना जाता है।

छ. बाल अपहरण पर भारतीय कानून की स्थिति

33. 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले भारत का 29 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेशों का एक विशाल क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है। भारत के प्रत्येक राज्य में एक व्यक्तिगत उच्च न्यायालय है जो उस राज्य के विशेष क्षेत्र में आंतरिक जिला न्यायालयों को नियंत्रित करता है। उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में अपनाये जाने वाले कानून और नियमों के संबंध में अपने प्रक्रियात्मक नियमों को तैयार करने के लिए स्वतंत्र है। पारिवारिक न्यायालय या ट्रायल कोर्ट अर्थात, संरक्षण न्यायाधीश के मौजूद या पहुंच से दूर होने से चाइल्ड कस्टडी विवादों पर फैसला करने में भिन्नता हो सकती है। इसलिए , अंतर-संरक्षण अंतर-देशीय बाल अवस्थापन का फैसला करने की समय सीमा स्थानीय नियम, प्रथाओं और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

---

34. हालांकि, भारत ने राज्यों में उनके जिले में परिवार न्यायालय का गठन करने के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत राज्य के निर्णय के आधार पर परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 लागू किया है, फिर भी अधिकांश राज्यों में परिवार न्यायालय मौजूद नहीं हैं। इसलिए , भारत के कई राज्यों में अधिकांश न्यायालयों में केवल पारिवारिक न्यायालयों के मामलों के निपटारे के लिए प्रशिक्षित परिवारिक न्यायालय या विशेषज्ञ न्यायाधीश नहीं हैं। इसलिए , न्यायालय में सामान्य सिविल न्यायाधीश अपने अन्य कर्तव्यों और न्यायिक कार्यों के अलावा , संरक्षण और संरक्षक अधिनियम, 1890 के तहत संरक्षक न्यायाधीश भी हो सकता है , ताकि उच्च न्यायालय द्वारा उसे अधिसूचित और नामित किया जा सके। नतीजतन , जब कोई मामला अदालत के न्यायाधीश की भूमिका में सामान्य नागरिक न्यायाधीश के समक्ष होता है, तो वह उस समय सीमा के भीतर बच्चे की कस्टडी विवाद का निर्णय करने में असमर्थ होता है क्योंकि उसका कार्य इस विवाद भिन्न है। इसलिए , ऐसे मामलों में निर्णय आने की समय सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यहां तक कि जब पीठासीन न्यायाधीश किसी पारिवारिक न्यायालय का भी प्रमुख हो तो , फैसले की समय सीमा का बहुत हद तक अन्य कारणों के साथ-साथ परिवारिक न्यायालय से पहले अदालत के पूर्व-अधिग्रहम पर निर्भर हो सकती है और पारिवारिक न्यायालय के कामकाज के कारण समय सीमा का अनुमान लगाना असंभव हो सकता है।

35. भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने माता-पिता के कहने पर नाबालिग की कस्टडी के लिए हबीस कॉर्पस द्वारा रिट जारी करने की याचिका को स्वीकार किया है , जिनपर भारत में विदेशी अदालत के कस्टडी के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप है या बच्चें को उसके माता पिता के अधिकार क्षेत्र वाले देश में फिर से वापस भेंजने की मांग करता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए इस न्यायिक उपाय को शामिल करना निवारण के रूप में सबसे तेज़ और सबसे प्रभावी त्वरित समाधान प्रदान करता है।

36.भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने पीड़ित माता पिता द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए, माता-पिता की सहमति के बिना बच्चे को भारत से अवस्थापित करने के विदेशी अदालत के कस्टडी आदेश या उनके माता-पिता के अधिकारों के कार्यान्वयन की जब मांग कि गई है तब समय-समय पर अंतर-संरक्षण बाल कस्टडी से संबधित याचिकाओं के मामलों में अलग-अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले तीन दशकों में इस विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोणों के साथ अलग-अलग निर्णय भी किए हैं।

37. अगर हाब्स कॉर्पस रिट याचिका में मामले को उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाता है, तो यह उसका खुद का निर्णय होगा और अदालत को उस विशेष मामले में संक्षिप्त जांच या विस्तृत जांच करने का अधिकार है। भारत विस्तृत रुप से लिखित याचिकाओं की प्रक्रिया का पालन करता है, जिसके बाद काफी लंबी सुनवाई होती है। अन्य मामले और न्यायालय के कामकाज के साथ पीठसीन के पूर्व-अधिग्रहण के आधार पर बच्चे के कस्टडी विवाद का निपटारा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना असंभव हो सकता है। यहां तक कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में भी कोई समर्पित परिवारिक न्यायाधीश या कोई परिवारिक प्रभाग नहीं है। इसलिए , न्यायालय की पूर्ण कार्यसूची और अन्य मामलों के साथ पूर्व-अधिग्रहण के आधार पर न्यायालय के समक्ष मामला जाने से पहले प्रत्येक पीठ महत्वपूर्ण मामलों के आधार पर अंतर-माता-पिता के कस्टडी विवादों का निपटारा करेगी। इसके कारण एक बार फिर से समय सीमा का निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है।

38. इस प्रक्रिया की प्रभावशीलता के सवाल का एक बहुत ही सरल जवाब ये है कि यदि संरक्षक न्यायाधीश के समक्ष याचिका का निर्णय विदेशी माता या पिता के पक्ष में किया गया हो , तो मामला वहीं खत्म नहीं होगा। बच्चे की वापसी का निर्देशन देने वाले विदेशी अदालत के आदेश को लागू करने के लिए पीड़ित विदेशी माता-पिता को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार में बच्चे की वापसी के लिए निर्देश देने की मांग करनी पड़ सकती है। इस बीच , अगर संरक्षक न्यायाधीश के निर्णय के खिलाप माता-पिता अपील करते हैं, तो मामला के निपटारे में और देरी हो सकती है। अंततः और जब तक उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय आता है , तब तक सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है और इस प्रकार प्रक्रिया की प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है जब तक की अंतिम अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं हो जाती।

ज. कानूनों के विश्लेषण का निष्कर्ष

39. भारतीय केस के कानून के विश्लेषण से पता चलता है कि 1997 जब तक पीड़ित माता पिता द्वारा किसी न्यायालय से संपर्क किया जाता है, माता-पिता के अधिकारों को बहाल करने के लिए विदेशी अदालत के आदेश के अनुपालन में अवस्थापित किये जाने वाले बच्चे के अभ्यस्त आवास में अविलंब वापसी की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि , 1998 में इस परंपरागत तरीके को बदलते हुए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि मामलों का निर्णय करते समय और बच्चे के हितों को महत्व देते हुए विदेशी न्यायालय द्वारा दिये गए कस्टडी के आदेश पर केवल एक ही बार विचार होगा। उसके बाद , बच्चों के अवस्थापन और कस्टडी से जुड़े मामलों पर मेरिट के आधार पर निर्णय लिया गया और हर व्यक्तिगत निर्णय मामले के तथ्यों पर आधारित है और इसके फैसले के किसी सेट पैटर्न का पालन नहीं किया जाता है।

40. हालांकि, ऊपर दिए गए कुछ हालिया निर्णय एक अलग प्रवृत्ति का संकेत देते हैं कि पीड़ित माता-पिता, जो हैबिस कॉर्पस की रिट में हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में निर्णय के लिए आते हैं , वो केवल इस कारण से उचित नहीं हैं कि बच्चे के हित का निर्धारण केवल परिवार न्यायालय में या संरक्षण न्यायाधीश के समक्ष न्यायिक प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। विदेशी अदालत द्वारा दिए गये चाइल्ड कस्टडी के आदेश को लागू करने में हैबिस कॉर्पस प्रभावी और उन्मुख परिणाम दे रहा है। ये हालिया निर्णय विदेशी अदालत के आदेशों के संबंध में एक प्रवृत्ति का संकेत देते हैं जिसमें पीड़ित माता पिता ऐसे विदेशी अदालत फैसले की वजह से अवस्थापित किये गए बच्चे की वापसी की मांग करते हैं।

41. सामान्य तौर पर यह स्थिती प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है और इस संबंध में कोई आश्वासन या गारंटी नहीं दी जा सकती है कि बच्चें को भारत से विदेशी अदालत के आदेश के आधार पर वापस लौटा दिया जाएगा क्योंकि हर मामले को स्वतंत्र मेरिट पर निर्धारित और फैसला किया जाता है। इस बात की परवाह किए बिना कि हाल के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने विदेशी न्यायालयों के अंतर-संरक्षण बाल अवस्थापन के मामलों में सामान्य सिद्धांतों को माना है।

42. चूंकि, अंतर-देशीय माता-पिता के बाल अवस्थापन को किसी भी क़ानून द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है और भारत में लागू किसी भी मौजूदा संहिता कानून के अंतर्गत अपराध नहीं माना

जाता है, इसलिए न्यायालय के मुद्दों पर भी मामले की मेरिट देखें जाने की प्रवृत्ति फैसले में देरी का कारण बनता है, पीड़ित माता-पिता के अधिकारों को क्षति पहुंचाता है और विदेशी अधिकार क्षेत्र में किसी बच्चे के अविलंब वापसी में देरी करता है।

43. चूंकि भारत में, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में अंतर-माता-पिता के बच्चे का अवस्थापन , स्वीकृति या पहचान के लिए कोई क़ानून नहीं है , समय बीत जाने पर भारतीय न्यायालय अलग-अलग तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मामलों का फैसला करते हैं ताकि फैसला किया जा सके कि पक्षों को क्या राहत दी जानी चाहिए। इसलिए , ऐसे फैसलों में भिन्नता होती है और इसमें कोई सुसंगत दृष्टिकोण नहीं होता। भारतीय न्यायालयों के लिए बच्चे का हित सर्वोपरि है , जिससे भारतीय न्यायालयों में तर्कसंगत दृष्टिकोणों की अनदेखी करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है और तदनुसार, वास्तविक संरचना और परिस्थितियों के आधार पर परंपरागत तरीकों से किए गये निर्णय में भिन्नता हो सकती है , जो अलग-अलग मामलों में अलग-अलग हो सकता है। इसलिए , बाल अपहरण कानून में विधिशास्त्र भिन्न तरीके से लागू होता है।

झ. भारत में विदेश न्यायालयों की स्थिति

44. विदेशी अदालत के आदेश की वैधता को संचालित करने वाले भारतीय संहिता के सिविल प्रक्रिया, 1908 (सी.पी.सी.) की अनुच्छेद 13 में निर्धारित हैं। सीपीसी भारत में सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित कानूनों को एकजुट करने और संशोधित करने का एक अधिनियम है। अनुच्छेद 13 में दिए गए सिद्धांत से विदेशी विवाह-संबंधी फैसले को मान्यता देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के संबंध में सीपीसी की पुष्टि हुई है।

45. जैसा कि ऊपर बताया गया है कि भारतीय अदालतों ने बच्चों को बच्चों के निवास स्थान पर लौटने के लिए अविलंब अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया होगा। अदालतों ने मामले की मेरिट पर विचार किया, जिसके मुताबिक बच्चें का हित सबसे महत्वपूर्ण है।

------.

46. सीपीसी के अनुच्छेद 14 में विदेशी निर्णय के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि न्यायालय विदेशी फैसले की प्रमाणित प्रतिलिपि के दस्तावेज के आधार पर अनुमान लगाएगा कि इस निर्णय को सक्षम न्यायालय के न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया था ; लेकिन इस तरह की धारणा न्यायालय की कमी को मानकर दूर हो सकती है।

ञ. भारत में नाबालिग हेतु आदेशों की लिए कोई व्यवस्था नहीं

47. ऊपर वर्णित भारत में मौजूद बाल अपहरण कानून के संदर्भ में मिरर आर्डर प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि यह ऐसी अवधारणा है जिसे अंग्रेजी कानून के रुप में जाना जाता है और यह भारतीय कानूनी व्यवस्था के अनुसार नहीं है। इसलिए, विदेशी न्यायालय के आदेश के आधार पर मिरर आर्डर जारी करने के लिए भारत में न्यायालय से संपर्क करना संभव नहीं है, क्योंकि भारत में विदेशी अदालत के आदेश का उल्लंघन होने से बच्चों की वापसी फिर से विदेशी मामलों के क्षेत्र में आ सकती है। तदनुसार, भारत में सक्षम न्यायक्षेत्र के न्यायालय में बच्चे की देखभाल के सिद्धांत और सर्वोत्तम हित के नियमों के आधार पर स्वतंत्र न्यायालय में स्वतंत्र न्यायिक उपाय लागू करना होगा। पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करने के लिए भारतीय न्यायालय के समक्ष विदेशी मामलों के कस्टडी या मुलाक़ात देने के आदेश पर केवल एक बार विचार होगा। ऐसी प्रक्रिया में संबंधित बच्चों की स्वतंत्र राय भी सुनी जाएगी। हालांकि , केवल विदेशी अदालत के आदेश के आधार पर बच्चों की वापसी की मांग करना संभव नहीं है। मिरर आर्डर को पारित करने के लिए भारतीय कानून में कोई प्रावधान नहीं है।

48. ट. संभावित समाधान

49. विदेशों में प्रवासी भारतीयों की बढ़ती हुई संख्या से कई समस्याएं पैदा हो रही हैं , जिससे परिवार में होने वाले झगड़ों में वृद्धि हो रही है इसलिए अंतर-संरक्षक माता-पिता द्वारा बच्चे का भारत में होने वाले अवस्थापन को अब एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर सुलझाने की जरूरत है। यह अब एक स्थानीय समस्या नहीं रह गई है। यह एक वैश्विक समस्या है। इन विवादों को निपटाने के लिए एक-दूसरे जुड़े न्यायालयों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर एक साथ आने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जब तक भारत हेग समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं बनता, तब तक यह संभव नहीं हो सकता। अब ऐसा समय आ गया है , जहां भारतीय न्यायालयों को अपनी सीमाओं को इतना बढ़ाना संभव नहीं है कि वो विभिन्न न्यायालयों में होने वाले अलग-अलग विदेशी न्यायालयों के आदेशों के अनुरुप हो सकें। यह महत्वपूर्ण है कि हेग समझौते में निर्धारित सिद्धांतों

का पालन करके कानून की समान नीति बनाने के लिए कुछ स्पष्ट, प्रामाणिक और सार्वभौमिक चाइल्ड कस्टडी कानून भारत में भी लागू किया जाए। अलग-अलग समय में अपनाये जाने वाले अलग-अलग दृष्टिकोण ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते , जिनपर विवेचन के लिए समय-समय पर विचार किया जाता है। हम भारत में अंतर-संरक्षण बाल अवस्थापन के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों की शीघ्र स्वीकृति और कार्यान्वयन के इच्छुक हैं। जब तक भारत अंतर-संरक्षण बाल अवस्थापन पर हेग समझौते का हिस्सा नहीं बन जाता और हेग समझौते को केंद्रीय प्राधिकरण या अन्य समन्वयकारी संगठन बनाकर एक आंतरिक कानून के रूप में चिन्हित किया जाता, न्यायिक फैसलों में असंगतता बनी रहेगी। भारतीय न्यायालय हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग मामलों पर निर्णय देते हैं और वो ऐसे किसी भी सांविधिक या सक्षम प्रावधानों द्वारा निर्देशित नहीं होते हैं, जिससे वो ऐसे मामलों में एकरूपता और स्थिरता प्रदान कर सकें। नतीजतन , निगरानी, अवस्थापन, अंतर-माता-पिता के विवादों और संबंधित पहलुओं के मुद्दों को न्यायिक विवेचन का कोई समान पथ नहीं मिल सकता।

ठ. सामान्य निष्कर्ष

विदेशों में प्रवासी भारतीयों की बढ़ती हुई संख्या से कई समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिससे परिवार में होने वाले झगड़ों में वृद्धि हो रही है इसलिए अंतर-संरक्षक माता-पिता द्वारा बच्चे का भारत में होने वाले अवस्थापन को अब एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर सुलझाने की जरूरत है। यह अब एक स्थानीय समस्या नहीं रह गई है। यह एक वैश्विक समस्या है। इन विवादों को निपटाने के लिए एक-दूसरे जुड़े न्यायालयों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर एक साथ आने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जब तक भारत हेग समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं बनता, तब तक यह संभव नहीं हो सकता। अब ऐसा समय आ गया है, जहां भारतीय न्यायालयों को अपनी सीमाओं को इतना बढ़ाना संभव नहीं है कि वो विभिन्न न्यायालयों में होने वाले अलग-अलग विदेशी न्यायालयों के आदेशों के अनुरुप हो सकें। यह महत्वपूर्ण है कि हेग समझौते में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करके कानून की समान नीति बनाने के लिए कुछ स्पष्ट, प्रामाणिक और सार्वभौमिक चाइल्ड कस्टडी कानून भारत में भी लागू किया जाए। अलग-अलग समय में अपनाये जाने वाले अलग-अलग दृष्टिकोण ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते , जिनपर विवेचन के लिए समय-समय पर विचार किया जाता है। हम भारत में अंतर-संरक्षण बाल अवस्थापन के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों की शीघ्र स्वीकृति और कार्यान्वयन के इच्छुक हैं। हमें इन विवादों के समाधान के लिए इस समझौते में शामिल होने में विलंब नहीं करना चाहिए। अवस्थापित किए गए बच्चों को किसी व्यक्ति के देश में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

51. भारत में अंतर-माता-पिता के बाल अवस्थापन के मुद्दों पर कानून की उपरोक्त विस्तृत स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित दो निष्कर्ष लागू निकाले जा सकते हैं। इन्हें निम्न रुप में चिन्हित और निर्धारित किया जाता है:

1. पहला, भारत अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर आधारित हेग समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है , इसलिए भारतीय न्यायालय "अपस्थापन" की परिभाषा पर न्यायिक ध्यान नहीं देते हैं, जो हेग समझौते में उल्लिखित है। भारत में किसी भी नागरिक या आपराधिक कानून के तहत अंतर-संरक्षण बाल अवस्थापना को किसी अपराध के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, हेग समझौते के मुताबिक इसे अपराध मानना बेहद मुश्किल है। नतीजतन, समझौते में शामिल देश से विदेशी अदालत के आदेश के आधार पर माता-पिता के अधिकारों की आसानी से व्याख्या नहीं की जा सकती। माता-पिता के अधिकारों को स्थापित करना होगा और इसका उल्लंघन करने वाले माता-पिता के खिलाफ नए सिरे से सोचना हुए। ये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गए साक्ष्य के आधार पर भारतीय न्यायालयों के सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन और बच्चे के हित के स्वतंत्र मूल्यांकन पर निर्भर हो सकते हैं।

2. दूसरा, अगर बच्चें को भारत से नहीं लौटाया जाता है तो विदेशी अदालत के आदेश के कार्यान्वयन की मांग में व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती है, जो भारत के विभिन्न न्यायालयों में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। याचिका का चुनाव (भारत के संविधान के तहत हैबिस कार्पस या संरक्षण एंव संरक्षक एक्ट के तहत संरक्षक याचिका), फैसले के लिए समय सीमा निर्धारित करने, मामले की सुनवाई में देरी, साक्ष्य जुटाने में समय लगता है, और अंततः ये सभी भारतीय न्यायालय के आदेश को निष्पादित और अपीलों के निपटारे करने के अलावा अधिक समय लेने वाले कार्य हैं। भारत से बच्चे की वापसी की मांग में तीव्र निर्णय के लिए समय सीमा निर्धारित करना असंभव हो सकता है। इसके अलावा, अगर मामले को भारत के बेहतर न्यायालय में ले जाया गया है, तो वह इस मामले में फिर से अंतिम निष्कर्ष निकाल सकता है। इसके अलावा, निगरानी के अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए लगातार भारत आना पड़ सकता है, क्योंकि भारत से विदेशी अधिकार क्षेत्र में अस्थायी रूप से बच्चे की वापसी करना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा, जब तक की मामला भारतीय न्यायालय के समक्ष अंतिम निर्णय के लंबित है। भारत में कानूनी लड़ाई बोझिल हो सकती है, इसमें समय लगता है और इसमें प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है।

52. इसलिए, पूर्वोक्त स्थिति में अंतर-देशीय मामलों पर भारत में संहिताबद्ध और वैधानिक कानून की आवश्यकता है, अंतर-माता-पिता बाल अवस्थापना समय की मांग है। रिपोर्ट संख्या 218 मार्च 2009 में भारतीय कानून आयोग की सिफारिश के बावजूद कि, भारत को अंतर-देशीय बाल अवस्थापन की समस्या को हल करने के लिए हेग समझौते का हस्ताक्षरकर्ता बनना चाहिए , ऐसा नहीं हुआ और आज तक कोई भी भारतीय कानून इस समस्या को परिभाषित या नियंत्रित नहीं करता है। जिसके परिणाम स्वरुप विवाद जारी रहता है और बच्चे अंतराष्ट्रीय संरक्षक के विवादों में पीड़ित बने रहते हैं।

भारत सरकार

भारत का विधि आयोग

रिपोर्ट सं. 263

बाल संरक्षण (अंतर-देशीय अवस्थापन और प्रतिधारण) विधेयक, 2016

अक्टूबर 2016

डा. न्यायमूर्ती बलबीर सिंह चौहान
पूर्व न्यायधीश सर्वोच्च न्यायालय
अध्यक्ष
भारत का विधि आयोग
भारत सरकार हिन्दुस्तान टाइम्स हाउस
कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
दूरभाष - 23736758, फैक्स - 23365741

D.O.No.6(3)292/2016-LC(LS)

Dr. Justice B.S. Chauhan
Former Judge Supreme Court of India
Chairman
Law Commission of India
Government of India
Hindustan Times House
K.G. Marg, New Delhi-110 001
Telephone 23736758, Fax : 23355741

17th October, 2016

बच्चों की सुरक्षा को आजकल राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक माना जाता है। 'बच्चे के सर्वोत्तम हित' का सिद्धांत बाल अधिकार के समझौता, 1989 के प्रावधानों में वर्णित है, जो 2 सितंबर 199 0 और हेग समझौते के प्रस्तावना और उद्देश्य 1980 में लागू हुए। संक्षेप में बच्चों की रक्षा उनके सर्वश्रेष्ठ हितों की सही व्याख्या पर आधारित होगी।

पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में **सीमा कपूर व अन्य बनाम दीपक कपूर व अन्य** सीआर सं. 6449/2006 , दिनांक 24.02.2016 के आदेश के अनुसार , भारत के विधि आयोग को निर्दिष्ट किया कि, *'अंतर-देशों में शामिल मुद्दों की जांच के लिए, परिवारों में अंतर-माता-पिता के बच्चे के अवस्थापन और विचार करने के लिए कि क्या बाल अपहरण पर हेग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने के लिए क्या सिफारिश की जाना चाहिए। '*

भारत के विधि आयोग ने इसमें शामिल मुद्दों की जांच की और पाया कि आयोग ने पहले ही इन मुद्दों की जांच कर ली है और 30 मई 2009 को **'अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण (1980) के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौते को स्वीकार करने की आवश्यकता '** शीर्षक से 218 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण , 1980 के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत सरकार को सलाह दी गई है, जो 1 दिसंबर, 1983 को लागू हुआ। इन मुद्दों की जांच करते समय विधि आयोग ने पाया कि भारत सरकार ने पहले ही **"अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण विधेयक , 2016"** के नागरिक पहलुओं का मसौदा तैयार किया है , जिसमें 1980 के हैग समझौते के अनुरूप विधेयक लाने का प्रयास किया

गया है और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया है।

मामले के महत्व और समय-समय पर उठाए गए सवालों की सराहना करते हुए भारत के विधि आयोग ने इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने का निर्णय लिया और इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों की पूरी जांच की। उक्त विधेयक के अवलोकन के बाद विधि आयोग का मानना है कि विधेयकों के प्रारूप तैयार करने के बाद विधान न्यायालयों और प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए और हेग समझौता 1980 के साथ प्रावधानों को सुसंगत बनाने के लिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

भारत के विधि आयोग ने इस विधेयक के प्रावधानों को दिखाते हुए एक तुलनात्मक बयान तैयार किया है , जिसे महिला एंव बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया है और विधि आयोग द्वारा अनुशंसित संशोधित विधेयक आयोग द्वारा किए गए परिवर्तन/ संशोधनों को इंगित करता है। विधि आयोग द्वारा अनुशंसित "बाल संरक्षण (अंतर-देशीय अवस्थापन और प्रतिधारण) बिल , 2016" का पाठ अनुलग्नक- II के रूप में संलग्न है। मेरा मानना है कि विधि आयोग की इस 263 वीं रिपोर्ट में बच्चों और उनके माता-पिता से संबंधित मामलों को संबोधित किया गया है और हेग समझौते, 1980 पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत के लिए मंच स्थापित करने का प्रयास है।

मैं सरकार द्वारा विचार के लिए रिपोर्ट संख्या 2631डी की एक प्रति संलग्न कर रहा हूं।

रिपोर्ट तैयार करने में आयोग की सलाहकार सुश्री अदिति सावंत द्वारा किए गए योगदान का आयोग सराहना करता है।

भवदीया,

(डॉ न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान)

श्री रविशंकर प्रसाद
विधि और न्याय के माननीय मंत्री,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

रिपोर्ट सं. 263

बाल संरक्षण (अंतर-देशीय अवस्थापन और प्रतिधारण) विधेयक, 2016

विषय - सूची

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ
1	पृष्ठभूमि	1
2	परिचय	2-3
3	भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय	4-6
4	कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और अमरीका के संयुक्त राज्यों के सर्वोच्च न्यायालयों के फैसलें	7
5	घरेलू हिंसा से बच्चों पर पड़ता प्रभाव	8
6	हैग समझौता 1980 की प्रमुख विशेषताएं	9
7	भारत सरकार की पहल	10-11
8	बाल अपहरण के प्रमुख अंतर-देशीय अवस्थापन	12-13

9	अनुशंसाएँ	14
	महिला एंव बाल विकास मंत्रालय और भारत के विधि आयोग द्वारा अनुमोदित संशोधित विधेयक की वेबसाइट पर ड्राफ्ट बिल के प्रावधानों को प्रदर्शित करते हुए तुलनात्मक वक्तव्य **(अनुलग्नक- I)**	15-32
	भारत के विधि आयोग द्वारा अनुशंसित बाल सुरक्षा (अंतर-देशीय अवस्थापन और प्रतिधारण) विधेयक, 2016 **(अनुलग्नक- II)**	33-43
	संदर्भ	44

1. पृष्ठभूमि

1.1 पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में **सीमा कपूर व अन्य बनाम दीपक कपूर व अन्य** सीआर सं. 6449/2006 , दिनांक 24.02.2016 के आदेश के अनुसार , भारत के विधि आयोग को निर्दिष्ट किया कि, *'अंतर-देशों में शामिल मुद्दों की जांच के लिए, परिवारों में अंतर-माता-पिता के बच्चे के अवस्थापन और विचार करने के लिए कि क्या बाल अपहरण पर हेग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने के लिए क्या सिफारिश की जाना चाहिए।'*

1.2 इस संदर्भ को प्राप्त करने के बाद , भारत के विधि आयोग ने इसमें शामिल मुद्दों की जांच की और पाया कि आयोग ने पहले ही इन मुद्दों की जांच कर ली है और 30 मई 2009 को **'अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण (1980) के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौते को स्वीकार करने की आवश्यकता '** शीर्षक से 218 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है , जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण, 1980 के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत सरकार को सलाह दी गई है, जो 1 दिसंबर , 1983 को लागू हुआ। (इसके बाद में हेग समझौता, 1980 के रूप संदर्भित)

1.3 इन मुद्दों की जांच करते समय विधि आयोग ने पाया कि भारत सरकार ने पहले ही **"अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण विधेयक , 2016"** (इसके बाद विधेयक के रूप में संदर्भित) , के नागरिक पहलुओं का मसौदा तैयार किया है , जिसमें 1980 के हैग समझौते के अनुरूप विधेयक लाने का प्रयास किया गया है और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया है। इस विधेयक को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया है ताकि हितधारक अपनी टिप्पणी दर्ज कर सकें या सुधार हेतु सुझाव दे सके।

2. परिचय

21. दुनिया अब वैश्विक गांव के जैसे हो गई है। वैश्वीकृत स्तर पर नौकरी के अवसर की वजह से सभी संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों की आवाजाही में वृद्धि हुई है। इस प्रकार विभिन्न देशों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों ने अपने परिवार बसाएं हैं। विदेशों में विवाह करने वाले तीन सौ से अधिक भारतीय विदेशों में रहते हैं। जब इस तरह के परिवार टूटते हैं , तो बच्चों (कभी-कभी छोटें बच्चों को भी) परेशानी होती है , क्योंकि उन्हें अपने माता-पिता के बीच अंतर्राष्ट्रीय कानूनी लड़ाई में खींचा जाता है। अंतर-पति-पत्नी बाल अवस्थापन को सबसे दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बच्चों का उनके ही माता-पिता द्वारा सक्षम न्यायालयों के अंतरिम/अंतिम आदेशों का उल्लंघन या माता-पिता के अधिकारों के उल्लंघन करके भारत या अन्य विदेशी अधिकार क्षेत्र से अपहरण कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को एक अलग कानूनी प्रणाली , संस्कृति और भाषा वाले देश में ले जाया जाता है। बच्चे का दूसरे संरक्षकों से संपर्क खत्म हो जाता है और उसे पूरी तरह से अलग समाज में रहना पड़ता है जिसमें विभिन्न परंपराएं और मानदंड होते हैं।

2.2 हेग समझौता, 1980 और अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण विधेयक की प्रस्तावना और उद्देश्य, 'बच्चे के सर्वोत्तम हितों' के सिद्धांत को कहते हैं। दूसरे शब्दों में, बच्चे की वापसी करने में पूर्ववत कानूनों का उद्देश्य बच्चे के हित पर विचार करने के दौरान अधीनस्थ होना चाहिए। बच्चों की रक्षा का उद्देश्य उनके सर्वश्रेष्ठ हितों की सही व्याख्या पर आधारित होगी।

2.3 'बच्चे के सर्वोत्तम हितों' का सिद्धांत बाल अधिकार के समझौते, 1989 के प्रावधानों में भी दिया गया है, जो 2 सितंबर 1990 को लागू हुआ था। भारत ने 11 दिसंबर 1992 को समझौते के मंजूर किया था। बाल न्यायालय (बच्चों का देखभाल एंव संरक्षण) अधिनियम , 2000 (2016 के अधिनियम 2 द्वारा पुन: अधिनियमित) शब्द में 'बच्चे के सर्वोत्तम हित' अनुच्छेद 2 के खण्ड (9) के तहत : *"बच्चे के सर्वोत्तम हित" का अर्थ है कि बच्चे के मूल अधिकारों और जरूरतों, पहचान, सामाजिक कल्याण और शारीरिक , भावनात्मक और बौद्धिक विकास को पूरा करने के लिए बच्चे के बारे में किए गए किसी भी निर्णय का आधार।* के रुप में परिभाषित है।

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय

3.1 **मैग्राथ (बच्चों),** [1893] 1 सीएच 143 में लिंडले एलजे ने कहा:

"विचार या न्यायालय हेतु प्रमुख मुद्दा बच्चे का कल्याण है। लेकिन, बच्चे के कल्याण को केवल पैसे या भौतिक सुविधाओं से ही नहीं मापा जा सकता है। कल्याण शब्द को अपने व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए। भौतिक कल्याण के साथ-साथ बच्चे के नैतिक और धार्मिक कल्याण पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसमें अच्छे संबंधों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है।"

3.2 ये शब्द सदियों बाद भी प्रासंगिक हैं और इनका विभिन्न भारतीय न्यायिक घोषणाओं में जिक्र किया गया है। न्यायालयों ने **लक्ष्मी कांत पांडे बनाम भारत संघ** , एआईआर 1984 एससी 469; गौरव जैन बनाम **भारत संघ**, एआईआर 1997 एससी 2021 ; और नील रतन कुंडु **बनाम अभिजीत कुंडू,** (2008) 9 एससीसी 413 के मामले में बाल अधिकार समझौता , 1989 को संदर्भित किया और बच्चे के सर्वोत्तम हितों के सिद्धांत के महत्व पर बल दिया।

3.3 सर्वोच्च न्यायालय ने **डॉ. वी. रवि चंद्रन बनाम भारत संघ,** (2010) 1 एससीसी 174; और **आरती बंदी बनाम बंदी जगदरक्षा राव,** एआईआर 2014 एससी 918 के मामलों में बच्चों के 'अभ्यस्त निवास' वाले देश में वापस करने का निर्देश दिया, जो उसके सर्वोत्तम हित और कल्याण के निर्धारण के लिए 'अदालतों के सद्भाव' सिद्धांत पर आधारित है, जिसपर कोर्ट ने सबसे अधिक विचार किया।

3.4 **रोक्सन शर्मा बनाम अरुण शर्मा,** एआईआर 2015 एससी 2232 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 'फोरम शॉपिंग' के अभ्यास को अस्वीकार कर दिया था जिसके लिए न्यायिक रूप से निर्धारित होने वाले अन्य संरक्षक को निगरानी अधिकारों की पात्रता आवश्यक होती है। कोर्ट ने कहा कि: *"... बच्चा गुलाम या कोई गेंद नहीं है जो माता-पिता के कहने पर बाउंस हो या इधर-उधर हो। यह केवल बच्चे का कल्याण है जो विचार का केन्द्र बिन्दु है"।*

3.5 ऐसे मामलों में कोर्ट ने अपने पैतृक अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया है ताकि वह बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण में फैसला कर सके। इसके मद्देनजर , कानूनी लड़ाई लड़ रहे

माता-पिता के परस्पर विरोधी हितों के मुद्दे तुच्छ हैं। न्यायालय ने इस वैधानिक क्षेत्राधिकार को पक्षों के संवैधानिक अधिकारों से ऊपर माना।

3.6 सुप्रीम कोर्ट ने रुचि माजू बनाम संजीव मजू, एआईआर 2011 एससी 1952 के मामले में जोर देकर कहा था कि यदि बच्चा न्यायालय की क्षेत्रिय सीमाओं का निवासी नहीं है , तो अदालत को मामले की स्वतंत्रता से जांच करनी चाहिए।

3.7 हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **सूर्य वादनन बनाम तमिलनाडु राज्य,** एआईआर 2015 एससी 2243 के मामले में सभी सिद्धांतों को दोहराया और न्यायालयों ने कई सालों तक अंतरराष्ट्रीय अभिभावकीय अपहरण के मामलों का न्याय करने के लिए इसका पालन किया। न्यायालय ने कहा है कि:

- 'अदालतों और राष्ट्रों के विवेक' के सिद्धांत का सम्मान किया जाना चाहिए और 'बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण' के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए;

- 'अदालतों के के विवेक' के नियम का विशेष न्यायालय द्वारा लिखित रूप में दर्ज विशेष कारणों के मामलों को छोड़कर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए;

- बाल न्यायालय के संबंध में सक्षम न्यायालय की विदेशी अदालतों के अंतःस्थापित आदेश को घरेलू अदालतों द्वारा माना जाना चाहिए; तथा

- कारणों के आधार पर सक्षम विदेशी अदालत के पहले से मौजूद आदेश हो तथा यह अदालत के नियमित आदेश जैसा न हो जब स्थानीय अदालत ने बाल संरक्षण के मुकदमे के जब्त कर लिया हो, स्थानीय अदालतों द्वारा विस्तृत या संक्षिप्त पूछताछ की जानी चाहिए।

3.8 सरल शब्दों में बच्चे का कल्याण प्राथमिक महत्व होना चाहिए और दूसरा, 'न्यायालयों के सद्भाव का सिद्धांत' - 'आत्मनिर्भरता ' के सिद्धांत को माना जाना चाहिए।

3.9 ऐसे मामलों में जहां विदेशी अदालत के क्षेत्राधिकार के संबंध में कोई संदेह नहीं है, "फस्ट स्ट्राइक" का सिद्धांत लागू हो सकता है, अर्थात् भले ही मामलें को पहले जब्त कर लिया गया हो उसे बच्चे के हित में अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। इसके अलावा, अगर कोई मामला किसी विदेशी अदालत में लंबित है और उस अदालत ने अंतरिम आदेश पारित किया है, भारतीय अदालत को इस मामले से आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

3.10 न्यायालयों द्वारा बार-बार कहा गया है कि विदेशों से बच्चे को स्वदेश लौटाना (क) बच्चे के किसी भी नैतिक , शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान का कारण; (ख) बच्चा के भारत में रहने के कारम माता-पिता के लिए किसी कानूनी हर्जाने का कारण; (ग) बच्चे के वापस आने वाले देश, यानी , जहां बच्चे को लाया जा रहा है, के मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों के उल्लंघन का कारण नहीं बनना चाहिए और; (घ) बाल कल्याण के सिद्धांत पर विचार करते हुए बच्चे के प्राथमिक देखभालकर्ता को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

3.11 ऐसे मामलों में, अगर बच्चा विदेशी अदालत के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का 'निवासी' है, तो यह तय करना प्राथमिक होना चाहिए कि क्या विदेशी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बच्चा आता है या नहीं और , इसके बाद विदेशी अदालत के आदेश को उचित आदर और सम्मान दिया जाना चाहिए। किसी भी याचिकाकर्ता को अदालत के अंतरिम या अंतिम आदेश के अनुपालन को अस्वीकार करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है , क्योंकि माता-पिता में से किसी एक की यह राय होगी कि यह आदेश गलत है। **(देखिए सूर्य वंदनन बनाम तमिलनाडु राज्य)**

4. कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और अमरीका के संयुक्त राज्यों के सर्वोच्च न्यायालयों के फैसलें

4.1 **थॉमसन बनाम थॉमसन,** (199 4) 3 एससीआर 551 के मामले में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे से निपटने के दौरान कि शारीरिक, नैतिक या सांस्कृतिक नुकसान का परिमाण क्या होनी चाहिए, जो बच्चे को 'अभ्यस्त निवास' से वापस लाने के आदेश को खत्म कर सकते हैं, समझाया कि नुकसान "एक मात्रा तक" होना चाहिए। यह "पर्याप्त" मनोवैज्ञानिक नुकसान का "गंभीर" जोखिम होना चाहिए। "यह सामान्य रूप से बच्चे को एक माता-पिता से दूर ले जाना और उसे किसी दूसरे को दे देने के अपेक्षा से बड़ा होना चाहिए।"

4.2 **एस (बच्चे),** (2012) यूकेएससी 10 के मामले में ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद के निर्णय रे ई (बच्चों) (अपहरण: कस्टडी अपील), (2011) यूकेसी 27, को संदर्भित किया और कहा कि हेग समझौता, 1980 के अनुच्छेद 13 (बी) के तहत माता-पिता के संबंध में बच्चे के साथ 'आदतन निवास' की स्थिति में वापसी की जा सकती है, जो उनके उद्देश्य के जोखिम पर आधारित नहीं थे, लेकिन फिर भी इस तरह की जल्दबाजी की वजह से बच्चे के लिए पीडादायक हो सकती है।

4.3 **लॉज़ानो बनाम मॉन्टोया अलवेरेज़,** 34 एससीटी 1224 (2014), हेग कन्वेंशन, 1980 के के मामले में घरेलू हिंसा से संबंधित मामला, बच्चे पर घरेलू हिंसा के असर को चिन्हित करते हुए अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि:

> *"बच्चे की वापसी को अस्वीकार कर दिया जा सकता है यदि ऐसा करने से मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होता है..... मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित।"*

5. घरेलू हिंसा से बच्चों पर पड़ता प्रभाव

5.1 अगर कोई महिला घरेलू हिंसा से ग्रस्त है और 'अभ्यस्त निवास' की जगह से बच्चे के साथ भाग जाती है , भले ही हिंसा बच्चे के खिलाफ न हो, तो ऐसे मामले में बच्चे पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, ऐसे मामले में न्यायालय को यह विचार करना होगा कि बच्चे के स्वदेश लौटने के कारण उसको किसी भी नैतिक , शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मनोवैज्ञानिक हानि या माता को कोई अन्य कानूनी हानि हो सकती है या नहीं , इसके साथ कोर्ट को बच्चा भारत में किसके साथ है या इससे मूल अधिकारों या मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है कि नहीं पर भी विचार करना होगा, जैसा कि हेग कन्वेंशन, 1980 में दिया गया था।

5.2 दुर्भाग्य से, विदेशी न्यायिक तलाक, 'हॉलिडे मैरिज' या 'लिम्पिंग मैरिज' के मामलों में शामिल महिलाओं को निगरानी की लड़ाई में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है , जोकि क्षेत्राधिकार, न्यायिक संसाधन और संसाधनों तक से भी संबंधित है। इसे महिलाओं के हितों के खिलाफ पूर्वाग्रह के रूप में देखा जा सकता है। महिला को ऐसी स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए, जहां उसे अपने बच्चों के बीच भेदभाद करना पड़ता हो और किसी विदेशी देश में अपमानजनक रिश्ते का सामना करना पड़ता हो। पति और पत्नी के बीच इस तरह का विवाद पति या पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरे की आशंका भी बनाता है और कई बार पक्ष पुलिस की सुरक्षा और नागरिक समाज/सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद लेना चाहते हैं।

5.3 दिलचस्प बात यह है कि, विकासशील देशों के विशेष आयात के आंकड़े, जहां तलाक के लिए लड़ रहे महिलाओं की परिस्थितियां निराशाजनक है, दिखाता है कि विश्वभर में ऐसे माता-पिता में 68 फीसदी मां होती है; इनमें से 85 प्रतिशत प्रतिवादी मां अपने बच्चों की प्राथमिक देखभालकर्ता थी और 54 प्रतिशत को नागरिकता दिलाकर ऐसे देश रखा गया जहां उनका 'अभ्यस्त निवास' नहीं था।

6. हैग समझौता, 1980 की प्रमुख विशेषताएं

6.2 मूल रूप से , हेग समझौता, 1980 के दो उद्देश्य हैं - पहला, बच्चों को इस तरह के अवस्थापन के हानिकारक प्रभाव से बचाना; और दूसरा, 'अभ्यस्त निवास' के माहौल में बच्चे की त्वरित वापसी और पुन: एकीकरण को सुरक्षित करना ; और ये दोनों उद्देश्य विशिष्ट विचार के अनुरूप हैं को 'बच्चे के सर्वोत्तम हित' का निर्माण करते हैं।

हैग समझौता, 1980 की प्रमुख विशेषताएं हैं:

- यह गलत तरीके से अवस्थापित किये गए बच्चे की वापसी के लिए तीव्र प्रक्रिया सुनिश्चित करता है या अनुबंधित देश में उसके 'अभ्यस्त निवास' को बनाए रखा जाता है;
- यह सुनिश्चित करता है कि किसी अनुबंधित देश में किसी कानून के तहत निगरानी और पहुंच के अधिकार प्रभावी ढंग से दूसरे अनुबंधित देश में लागू किए जाये;
- यह बच्चे को 'अभ्यस्त निवास' के देश में लौटाकर स्थिति को फिर से ठीक करता है;
- इसके तहत बच्चे की वापसी का आदेश निगरानी के मुद्दे का अंतिम रिर्धारण नहीं है, बल्कि यह अधिकार क्षेत्र में भी बच्चे की वापसी सुनिश्चित करता है जो कि निगरानी और पहुंच के मुद्दों को निर्धारित करने के लिए सबसे उपयुक्त है; तथा
- समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक देश में एक केंद्रीय प्राधिकरण स्थापित होगा, जो इस तरह के आवेदनों को प्रोसेस करता है। समझौता कुछ हद तक केंद्रीय प्राधिकरण की भूमिका और कार्य पर निर्भर करता है। इस प्राधिकरण को अन्य बातों के साथ बच्चों की खोज में मदद करना चाहिए ; सौहार्दपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना चाहिए और ; बच्चों की वापसी के लिए प्रक्रिया अनुरोधों में सहायता करनी चाहिए।

7. भारत सरकार की पहल

7.1 अंतर्राष्ट्रीय माता-पिता द्वारा बाल अपहरण के मुद्दे पर हाल ही में तैयार किया गया मसौदा भारतीय विधेयक व्यापक रूप से हेग समझौता, 1980 के अनुरूप है और इसके प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। भारत वर्तमान में हेग समझौता , 1980 का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। यह विधेयक भारत के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए स्टेज निर्धारित करने का प्रयास है।

- यह विधेयक केन्द्रीय प्राधिकरण के गठन के लिए प्रदान किया गया है।
- हेग समझौता, 1980 के अंतर्गत बच्चे की वापसी से संबंधित निर्णय निगरानी के मुद्दे का अंतिम निर्धारण नहीं है।
- यह भारत में और भारत से किसी अन्य हेग समझौता, 1980 के अनुबंधित देश में अवस्थापित किये गए बच्चे के संबंध में केन्द्रीय अधिकारियों की भूमिका को रेखांकित करता है।
- यह बच्चे की सुरक्षित वापसी और बाल अधिकारियों को बच्चे पुनर्स्थापित करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण को उच्च न्यायालय में आवेदन करने की प्रक्रिया करता है।
- यह न्यायालय को निश्चित आधार पर निगरानी से इनकार करने का अधिकार देता है। इससे भारत के न्यायालयों को बच्चे के 'अभ्यस्त निवास' वाले राज्य के फैसले की पहचान करने की अनुमति मिलती है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय न्यायालय जो विदेशी अदालत के अंतरिम/अंतिम आदेश को नहीं मानना चाहते, उसे ऐसा करने के कारणों को रिकॉर्ड करना चाहिए।

7.2 यह विधेयक भारतीय न्यायालयों को अनुबंधित राज्य के केंद्रीय प्राधिकरणों से निर्णय प्राप्त करने की शक्ति देता है, जहां से बच्चे को अवस्थापित किया गया था।

7.3 जहां तक संरक्षक और संरक्षण अधिनियम , 189 0 (18 9 8 का 8) के प्रावधान में भारतीय कानून को दर्शाया गया है , बच्चे की निगरानी के मामले हमेशा ओपन रहते हैं और इनपर अंतिम नहीं दिया जाता क्योंकि इसे हमेशा वर्तमान परिस्थितियों में अस्थायी आदेश माना जाता है। समय बीतने सहित बदलती परिस्थितियों और परिस्थितियों में न्यायालय इस तरह के आदेश को बदल सकता है , अगर बच्चे के हितों और कल्याण के लिए ऐसा आवश्यक हो। इस मामलों (**रोसी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल ,** एआईआर 1 9 73 एससी 2090 ; और **डॉ. आशीष रंजन बनाम डॉ. अनुपमा टंडन ,** (2010) 14 एससीसी 274 ;) में 'एस्टॉपेल' और 'रेड ज्यूकाटाटा' के सिद्धांत लागू नहीं है।

8. बाल अपहरण के प्रमुख अंतर-देशीय अवस्थापन

8.1 अधिकांश देशों द्वारा बाल अपहरण को कठोर माना जाता है; लेकिन अपने माता-पिता द्वारा देश की सीमाओं के पार बच्चे के 'अपहरण' को अपराध के बजाय कानून का उल्लंघन नहीं माना जाता है। राष्ट्रीय और सर्वोच्च दोनों स्तर पर परंपरागत रूप से "बाल अपहरण के मामलों" में लागू होने वाले नियमों की विविधता "माता-पिता द्वारा अपहरण" के कानूनी हल में जटिलता पैदा करती है।

8.2 भारतीय दंड संहिता , 1860 के अनुच्छेद 362 के तहत 'अपहरण' का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार, इसका अर्थ किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान से जाने के लिए प्रेरित करना या कपटपूर्ण तरीके से उसे किसी व्यक्ति को दूर करना है। ऐसे अपहरण , एक अपराध ही नहीं बल्कि अपराधिक कार्य हो जो दंडनीय नहीं है, लेकिन, ऐसा सिर्फ तब तक है जब ऐसा करने वाले अन्य अपराध करने का इरादा न रखता हो , ऐसी स्थिती में यह अपराध के रूप में दंडनीय होता है। 'अभिभावक अपहरण' या तथाकथित 'अपहरणकर्ता' के मामले में ज्यादातर समय बच्चे के खुद के माता-पिता शामिल होते हैं। बच्चे को उसकी कस्टडी का अधिकरा खोने के डर के कारण उसके माता-पिता द्वारा ही किसी अन्य स्थान पर ले जाया जाता है यानि इस तरह का अपहरण जैसा कि पहले कहा गया है, माता-पिता के प्यार और स्नेह के कारण किया जाता है न की बच्चे को नुकसान पहुंचाने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसलिए , हेग समझौता, 1980 में हालांकि 'अपहरण' शब्द का उपयोग किया जाता है , इसका यह मतलब नहीं है कि इसे आपराधिक विधिशास्त्र के तहत अपहरण के एक अन्य मामलों की तरह देखा जाये। जैसा कि हेग समझौता , 1980 के तहत 'अपहरण' शब्द को अधिक उपयुक्त शब्दावली के लिए संक्षिप्त रूप माना जाता है , इसलिए इसमें "अवस्थापन या प्रतिधारण" शब्द लिखा गया है। इसलिए, शुरूआती समय में विधि आयोग की राय है कि वर्तमान विधेयक में 'अपहरण' शब्द का इस्तेमाल न किया जाए।

8.3 ऐसा हो सकता है कि , गलत तरीके से बच्चे का अवस्थापन और अवधारण न केवल माता-पिता के लिए गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बन जाये , बल्कि इसका बच्चे के विकास पर भी

गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, ऐसे गलत तरीके से अवस्थापित और प्रतिधारण किये गये बच्चे की कस्टडी के मामले में सक्षम अदालत के आदेश का उल्लंघन हो सकता है। इस पृष्ठभूमि में कई देशों ने इस तरह के गलत तरीके से अवस्थापन और प्रतिधारण को एक दंडनीय अपराध बनाए रखा है। यूनाइटेड किंगडम में **बाल अपहरण अधिनियम , 1984** में ऐसे कड़े प्रावधान हैं जो इस तरह के गलत तरीके से अवस्थापन और प्रतिधारण को एक दंडनीय अपराध मानते हैं और इस तरह के अपराध के कारण सात साल तक की कारावास हो सकती है।

9. अनुशंसाएँ

चूंकि, भारत के विधि आयोग ने पहले ही रिपोर्ट जमा कर दी है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी विधेयक का मसौदा तैयार किया है , हमारा मानना हैं कि विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। हालांकि , मसौदा विधेयक के अवलोकन पर विधि आयोग का मानना है कि इसके लिए पूर्ववर्ती चर्चाओं , विधायी उदाहरणों और प्रथाओं को बिलों के मसौदे तैयार करने और हेग समझौता, 1980 के साथ अपने प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन की आवश्यकता है। महिला एंव बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर ड्राफ्ट बिल के प्रावधानों को प्रदर्शित करते हुए तुलनात्मक वक्तव्य रखा गया है और भारत के विधि आयोग द्वारा अनुशंसित संशोधित विधेयक जो विधि आयोग द्वारा किए गए परिवर्तन/संशोधनों को इंगित करते हैं , **अनुलग्नक- I** के रूप में संलग्न है। भारत के विधि आयोग द्वारा अनुशंसित बच्चों के संरक्षण (इंटर-कंट्री रिमूवल एंड रिटेंशन) विधेयक 2016 का पाठ, **अनुलग्नक - II** के रूप में संलग्न है।

[Justice Dr. B.S. Chauhan]
Chairman

[Justice Ravi R. Tripathi]
Member

[Prof. (Dr.) S. Sivakumar]
Member

[Dr. Sanjay Singh]
Member-Secretary

[Dr. Suresh Chandra]
Ex-officio Member

[Dr. G. Narayana Raju]
Ex-officio Member

अनुलग्नक -I

महिला एंव बाल विकास मंत्रालय (डब्लू.सी.डी.) की वेबसाइट पर रखे गए ड्राफ्ट बिल के प्रावधान और भारत के विधि आयोग द्वारा अनुमोदित संशोधित विधेयक का तुलनात्मक वक्तव्य

डब्लू.सी.डी. द्वारा तैयार विधेयक	**संशोधित विधेयक**
अंतर्राष्ट्रीय बाल अवस्थापन विधेयक , 2016 के नागरिक पहलू क **विधेयक**	**बाल संरक्षण (अंतर-देशीय अवस्थापन और प्रतिधारण) विधेयक, 2016** क **विधेयक**
किसी भी अनुबंधित देश में गलत तरीके से अवस्थापित या प्रतिधारण किये गए बच्चों की शीघ्र वापसी को सुरक्षित करना , यह सुनिश्चित करना कि किसी भी अनुबंधित देश के कानून के तहत कस्टडी और एसेस के अधिकार अन्य अनुबंधित देश में सम्मानित हैं, और केन्द्रीय प्राधिकरण स्थापित करना और इससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए।	किसी अनुबंधित देश में गलत तरीके से अवस्थापित या प्रतिधारण किये गए बच्चों की शीघ्र वापसी को **सुनिश्चित** करना, यह सुनिश्चित करना कि किसी भी अनुबंधित देश के कानून के तहत कस्टडी और एसेस के अधिकार **अन्य अनुबंधित** देश में **प्रभावी ढंग से** सम्मानित हैं, और **अन्य बातों के साथ ऐसे बच्चों की खोज में सहायता के लिए सहायता प्रदान करने, सौहार्दपूर्ण समाधानों को प्रोत्साहित करने** और बच्चों की वापसी के लिए अनुरोध की प्रक्रिया में मदद करने और इससे जुड़े मामलों या प्रासंगिक घटनाओं के लिए केंद्रीय प्राधिकरण स्थापित करना।
जहां कस्टडी से संबंधित मामलों में बच्चों के हित सबसे महत्वपूर्ण हैं;	**जहां बाल अधिकारों पर समझौते , 1989** जिसे 2 सितंबर, 1 99 0 को लागू किया गया था, **को ध्यान में रखते हुए** बच्चों के सर्वोच्च हित उनके कस्टडी से संबंधित मामलों में सबसे महत्वपूर्ण हैं;
और जहां भारत अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौते में शामिल है;	
और जहां कथित समझौता 1980 , 1 दिसंबर 1 9 83 को	और जहां अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरण , के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौता 1980, **1 दिसंबर 1983 को लागू हुआ;**

लागू हुआ;	
और जहां कथित समझौते का मुख्य उद्देश्य किसी भी अनुबंधित राज्य में गलत तरीके से अवस्थापित गए या प्रतिधारण किये गए बच्चों की त्वरित वापसी को सुरक्षित रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुबंधित देश के कानून के तहत कस्टडी के अधिकार और अन्य सम्प्रेषण का उस देश में सम्मान किया जाता है;	और जहां **तथित समझौते को लागू करना के लिए आवश्यक होगा क्योंकि यह ऐसे बच्चे की त्वरित वापसी से संबंधित हैं जिसे कथित रूप से उसके अभयस्थ देश के कस्टडी और पहुंच के अधिकारों के उल्लंघन करके अनुबंधित राज्य में गलत तरीके से अवस्थापित या प्रतिधारण किया गया है;**
और जहां अनुबंधित देश में गलत तरीके से अवस्थापित गए या प्रतिधारण किये गए बच्चों की शीघ्र वापसी को आवश्यक माना गया है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुबंध देश के कानून के तहत हि कस्टडी और पहुंच के अधिकार अन्य अनुबंधित राज्यों में सम्मानित किए जाते हैं , और इस प्रकार समझौते के प्रावधानों को प्रभावित करना;	
इसे भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है:-	इसे भारत गणराज्य के (_____) वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है: -
अध्याय 1 **प्रारंभिक**	**अध्याय 1** **प्रारंभिक**
1. (1) इस विधेयक को अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण विधेयक , 2016	1. **संक्षिप्त शीर्षक, क्षेत्र, आवेदन और प्रारंभ**

के नागरिक पहलु कहा जा सकता है। (2) यह संपूर्ण भारत (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) में लागू होता है। (3) आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस तारीख को लागू हो सकती है: बशर्ते कि इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तारीखें निर्धारित कि जा सकती हैं और इस अधिनियम के प्रारंभ में इस तरह के प्रावधान में किसी भी संदर्भ को उस प्रावधान के लागू होने के संदर्भ में लाया जाएगा।	(1) इस अधिनियम को **बाल संरक्षण (अंतर-देशीय अवस्थापन और प्रतिधारण) अधिनियम, 2016** कहा जा सकता है। (2) यह जम्मू और कश्मीर **राज्य** को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। **(3) इस अधिनियम के प्रावधान हर बच्चे पर लागू होंगे जिनकी उम्र सोलह वर्ष नहीं हैं और जिन्हें भारत में उनकी राष्ट्रीयता, धर्म या स्थिति के बावजूद, भारत में गलत तरीके से अवस्थापित या प्रतिधारण किया गया है।** (4) आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस तारीख को लागू हो सकती है: बशर्ते कि इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तारीखें निर्धारित कि जा सकती हैं और इस अधिनियम के प्रारंभ में इस तरह के प्रावधान में किसी भी संदर्भ को उस प्रावधान के लागू होने के संदर्भ में लाया जाएगा।
2. इस अधिनियम में, जब तक अतितरिक्त संदर्भ की आवश्यकता न हो - **(क)**"आवेदक" का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है जो समझौते के अनुसार केंद्रीय प्राधिकरण या किसी अन्य पार्टी की केंद्रीय प्राधिकरण के समक्ष गलत तरीके से अवस्थापित या प्रतिधारण किये गये बच्चे की वापसी या समझौते के अनुसार पहुंच के अधिकारों के प्रभावी करने या ऐसी व्यवस्था करने के लिए आवेदन करता है; **(ख)** "केंद्रीय प्राधिकरण" का मतलब अनुच्छेद 4 के तहत	2. **परिभाषा** इस अधिनियम में, जब तक अतितरिक्त संदर्भ की आवश्यकता न हो - **(क)**"आवेदक" का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है जो समझौते के अनुसार केंद्रीय प्राधिकरण या किसी अन्य देश की केंद्रीय प्राधिकरण के समक्ष गलत तरीके से अवस्थापित या प्रतिधारण किये गये बच्चे की वापसी या **कथित** समझौते के अनुसार पहुंच के अधिकारों के प्रभावी करने या ऐसी व्यवस्था करने के लिए आवेदन करता है; **(ख)** "केंद्रीय प्राधिकरण" का मतलब **अनुच्छेद 4 के तहत गठित** केंद्रीय

स्थापित केंद्रीय प्राधिकरण; (ग) "अनुबंधित देश" का मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता देश; (घ) "समझौता" का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौता , जिसपर 25 अक्टूबर, 1980 को हेग में हस्ताक्षर किए गए थे , जैसा कि पहली अनुसूची में निर्धारित किया गया था; (ङ) "अध्यक्ष" का मतलब केन्द्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष; (च) बच्चे का "अभ्यस्त निवास" वह जगह है जहां बच्चे माता-पिता दोनों के साथ रहते थे ; या, अगर माता-पिता अलग-अलग रह रहे हैं , माता-पिता में से किसी एक के साथ अलग समझौते के तहत या अन्य संरक्षकों या न्यायालय के आदेश के तहत निहित सहमति के साथ; या कुछ अवधि के लिए स्थायी आधार पर माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ, जो भी मामला हो। (छ) "सदस्य" का मतलब केन्द्रीय प्राधिकरण का सदस्य है और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है, अगर कोई हो तो; (ज) "निर्धारित" मतलब इस अधिनियम के तहत किए गए नियमों द्वारा निर्धारित; (झ) किसी बच्चे के संबंध में "पहुंच का अधिकार" बच्चे के अभ्यस्त निवास के अलावा किसी जगह पर सीमित समय के लिए बच्चे की देखभाल का अधिकार है; (ञ) बच्चे के संबंध में "हिरासत या कस्टडी के अधिकार" में बच्चे का किसी व्यक्ति द्वारा देखभाल का अधिकार हैं और	प्राधिकरण; (ग) "अनुबंधित देश" का मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता देश; (घ) "समझौता" का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के सिविल नागरिक पर हेग समझौता, जिसपर 25 अक्टूबर , 1980 को हेग में हस्ताक्षर किया गया था, जैसा कि अनुसूची में निर्धारित किया गया था; (ङ) "अध्यक्ष" का मतलब केन्द्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष; (च) बच्चे का "अभ्यस्त निवास" वह जगह है जहां बच्चे माता-पिता दोनों के साथ रहते थे; या, अगर माता-पिता अलग-अलग रह रहे हैं, माता-पिता में से किसी एक के साथ अलग समझौते के तहत या अन्य संरक्षकों या न्यायालय के आदेश के तहत निहित सहमति के साथ; या कुछ अवधि के लिए स्थायी आधार पर माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ, जो भी हो। (छ) "सदस्य" का मतलब केन्द्रीय प्राधिकरण का सदस्य है और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है, अगर कोई हो तो; (ज) "निर्धारित" मतलब इस अधिनियम के तहत किए गए नियमों द्वारा निर्धारित; (झ) किसी बच्चे के संबंध में "पहुंच का अधिकार" बच्चे के अभ्यस्त निवास के अलावा किसी जगह पर सीमित समय के लिए बच्चे की देखभाल का अधिकार है; (ञ) बच्चे के संबंध में "हिरासत के अधिकार" में बच्चे के विकास और कल्याण के संबंध में लंबे समय तक निर्णय लेने और विशेष रूप से बच्चे के निवास स्थान का निर्धारण करने के लिए बच्चे का किसी व्यक्ति द्वारा देखभाल करने का अधिकार शामिल है।

जो विशेष रूप से बच्चे के निवास स्थान को निर्धारित करने का अधिकार है।	
3. (1) इस अधिनियम का आशय बच्चे का भारत में अवस्थापन या भारत में प्रतिधारण गलत माना जाता है जहां -	**3. गलत तरीके से अवस्थापन या प्रतिधारण**
(क)यह अनुबंधित देश के कानून के तहत व्यक्ति , संस्था या किसी अन्य निकाय के या तो संयुक्त रूप से या अकेले हिरासत या कस्टडी के अधिकारों का उल्लंघन हो , जिसमें बच्चा नियमित रूप से अवस्थापन या प्रतिधारण के पहले निवासी था; तथा **(ख)** अवस्थापन या प्रतिधारण के समय इन अधिकारों को या तो संयुक्त रूप से या अकेले लागू किया गया था , किसी व्यक्ति , संस्था या किसी अन्य निकाय द्वारा अवस्थापन या प्रतिधारण के लिए ऐसा किया जाता है।	(1) इस अधिनियम का आशय बच्चे का भारत में अवस्थापन या भारत में प्रतिधारण गलत माना जाता है जहां - (क)**ऐसा कार्य** जिसमें अनुबंधित देश के कानून के तहत व्यक्ति , संस्था या किसी अन्य निकाय के या तो संयुक्त रूप से या अकेले हिरासत या कस्टडी के अधिकारों का उल्लंघन हो , जिसमें बच्चा नियमित रूप से अवस्थापन या प्रतिधारण के पहले निवासी था; तथा (ख) अवस्थापन या प्रतिधारण के समय इन अधिकारों को या तो संयुक्त रूप से या अकेले लागू किया गया था , किसी व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य निकाय द्वारा अवस्थापन या प्रतिधारण के लिए **इसका प्रयोग किया गया होगा।**
(2) ऊपर उप-अनुच्छेद (1) में वर्णित हिरासत के अधिकार विशेष रूप से उत्पन्न हो सकते हैं:	(2) **अधिनियम** में **निर्दिष्ट** हिरासत के अधिकार विशेष रूप से उत्पन्न हो सकते हैं-
(क)कानून के प्रचालन के द्वारा; **(ख)** न्यायिक या प्रशासनिक निर्णय के कारण; या **(ग)**अनुबंधित देश के कानून के तहत कानूनी प्रभाव वाले वाले	**(क)**कानून के प्रचालन के द्वारा; **या**

समझौते के कारण जिसका बच्चा अवस्थापन या प्रतिधारण से पहले निवासी था।	**(ख)** न्यायिक या प्रशासनिक निर्णय के कारण; या **(ग)** अनुबंधित देश के कानून के तहत कानूनी प्रभाव वाले वाले समझौते के कारण जिसका बच्चा अवस्थापन या प्रतिधारण से पहले निवासी था।
अध्याय ॥ **केन्द्रीय प्राधिकरण की संरचना, शक्तियां और कार्य**	**अध्याय** ॥ **केन्द्रीय प्राधिकरण की संरचना, शक्तियां और कार्य**
4. (1) केन्द्र सरकार कि ओर से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार के किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा जिसका पद भारत सरकार में संयुक्त सचिव से नीचे न हो, उसे केन्द्रीय प्राधिकरण कहा जाएगा।	**4. केंद्रीय प्राधिकरण का गठन** (1) केंद्र सरकार**,** आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करने और उसे सौंपा कार्यों का पालन करने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण कहे जाने वाले प्राधिकरण का गठन कर सकता है।
(2) इस तरह का केंद्रीय प्राधिकरण**,** जब तक अनुभाग **xx** के तहत कार्यालय से हटाए नहं जाते तीन साल से अधिक की अवधि तक इस पद पर नहीं रहेगा या जब तक उसकी उम्र साठ साल नहीं हो जाती**,** जो भी पहले हो।	**(2) केन्द्रीय प्राधिकरण में शामिल होंगे** - **(क) एक अध्यक्ष, जो जिसका रैंक भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा, और** **(ख) दो सदस्य जिनमें से एक को दस साल तक एक वकील का रुप में कार्य करने का अनुभव होगा और दुसरे सदस्य को बच्चों के अंतर-देशीय अवस्थापन या प्रतिधारण और बाल कल्याण की अवधारणा से संबंधित मामलों में योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता होगी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ती के समय निर्धारित किया जा सकता है।**
(3) यदि केंद्रीय प्राधिकरण के कार्यालय में मृत्यु **,** निष्कासन या अन्यथा के कारण आकस्मिक कोई पद खाली होता है **,** तो ऐसी रिक्ति को उप-अनुच्छेद (1) के प्रावधानों के अनुसार 90 दिन की अवधि के भीतर फिर से नियुक्ति करके भरा जाएगा और वह व्यक्ति पूर्व प्राधिकरण के शेष कार्यकाल तक पद पर रहेगा जिसके	**(3) केन्द्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य का कार्यकाल उस तारीख से तीन वर्ष होगा, जिस पर वह सेवा-निवृत्ति हो या जो भी पहले हो।**

लिए उसे उस कार्यालय में केन्द्रीय प्राधिकरण की जगह पर नियुक्त किया गया है।	**(4) मृत्यु, इस्तीफा या बीमारी या अन्य अक्षमता के कारण कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थता होने से यदि केंद्रीय प्राधिकरण में अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद के लिए कोई मौलिक रिक्ति होती है, तो ऐसी रिक्ति को उप-अनुच्छेद (2) के प्रावधानों के अनुसार 90 दिन की अवधि के भीतर फिर से नियुक्ति करके भरा जाएगा** और वह व्यक्ति पूर्व प्राधिकरण के शेष कार्यकाल तक पद पर रहेगा जिसके लिए उसे उस कार्यालय में केन्द्रीय प्राधिकरण की जगह पर नियुक्त किया गया है।
(5 - डब्ल्यूसीडी द्वारा ऐसा कोई प्रस्तावित खंड नहीं है)	**(5) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के लिए देय वेतन और भत्तें, और अन्य नियमों और शर्तें, निर्धारित कि जा सकती हैं।**
	5. केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति: - **(1) केन्द्र सरकार, केन्द्रीय प्राधिकरण को इस अधिनियम के तहत कार्य के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यकता के अनुसार अधिकारी और अन्य कर्मचारी प्रदान कर सकती है।** **(2) केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के लिए देय वेतन और भत्तें, और अन्य नियमों और शर्तें, निर्धारित कि जा सकती हैं।**
5. केन्द्रीय प्राधिकरण या उसकी ओर से कोई अन्य प्राधिकरण निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए सभी उचित उपाय करेगा, अर्थात्: -	**6. केन्द्रीय प्राधिकरण का कार्य** केन्द्रीय प्राधिकरण या **इस प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी** निम्नलिखित सभी कार्यों को करते समय सभी उचित उपाय करेंगे**,** अर्थात्: **-**
(क)भारत में गलत तरीके से अवस्थापित किये गए या प्रतिधारण किये गए बच्चे के आवास का पता लगाने के लिए और जहां भारत में बच्चे के निवास स्थान अज्ञात है **,** केंद्रीय प्राधिकरण बच्चे की पहचान करने के लिए पुलिस	**(क)**भारत में **या भारत के बाहर** गलत तरीके से अवस्थापित किये गए या प्रतिधारण किये गए बच्चे के आवास का पता लगाने के लिए और जहां भारत में बच्चे के निवास स्थान **ज्ञात नहीं** है**,** केंद्रीय प्राधिकरण बच्चे की

की सहायता कर सकता है;	पहचान करने के लिए पुलिस की सहायता कर सकता है;
(ख) कैद या जबरदस्ती किसी भी ऐसे बच्चे या किसी अन्य इच्छुक पार्टियों को पूर्वग्रहण रोकने के लिए, इस तरह के अनंतिम उपाय आवश्यक हो सकते हैं;	(ख) कैद या जबरदस्ती किसी भी ऐसे बच्चे या किसी अन्य इच्छुक पार्टियों को पूर्वग्रहण रोकने के लिए , इस तरह के अनंतिम उपायों को आवश्यक माना जा सकता है;
(ग) देश में ऐसी किसी भी बच्चे की स्वैच्छिक वापसी को सुरक्षित करने के लिए जिसमें इस बच्चे का निवास स्थल था या ऐसे मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा दावा किया जा रहा है कि बच्चे को गलत तरीके से भारत में अवस्थापित या प्रतिधारण किया गया है, और वह व्यक्ति अनुबंधित देश में बच्चे की वापसी का विरोध कर रहा हो जिसमें बच्चे का अभ्यस्थ निवास है;	(ग) देश में ऐसी किसी भी बच्चे की स्वैच्छिक वापसी को सुरक्षित करने के लिए जिसमें इस बच्चे का निवास स्थल था या ऐसे मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा दावा किया जा रहा है कि बच्चे को गलत तरीके से भारत में अवस्थापित या प्रतिधारण किया गया है, और वह व्यक्ति अनुबंधित देश में बच्चे की वापसी का विरोध कर रहा हो जिसमें बच्चे का अभ्यस्थ निवास है;
(घ) जहां वांछनीय हो, किसी भी ऐसे बच्चे से संबंधित जानकारी को अनुबंधित देश के उपयुक्त अधिकारियों से साझा करने के लिए;	(घ) जहां वांछनीय हो, किसी भी ऐसे बच्चे से संबंधित जानकारी को अनुबंधित देश के उपयुक्त अधिकारियों से साझा करने के लिए;
(ङ) किसी भी अनुबंधित देश में समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में अनुरोध पर भारत के कानून के अनुसार सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए;	(ङ) किसी भी अनुबंधित देश में समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में अनुरोध पर भारत के कानून के अनुसार सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए;
(च) अनुबंधित देश में ऐसे किसी बच्चे की वापसी हेतु न्यायिक कार्यवाही करने के लिए जिसमें उस बच्चे का निवास स्थान है, और उपयुक्त मामलों में , भारत में मौजूद किसी बच्चे तक पहुंच के अधिकारों का प्रभावी इस्तेमाल के लिए न्यायिक कार्यवाही करने या संगठित करने या व्यवस्था स्थापित करने के लिए;	(च) अनुबंधित देश में ऐसे किसी बच्चे की **सुरक्षित** वापसी हेतु न्यायिक कार्यवाही करने के लिए जिसमें उस बच्चे का निवास स्थान है , और उपयुक्त मामलों में, भारत में मौजूद किसी बच्चे तक पहुंच के अधिकारों का प्रभावी इस्तेमाल के लिए न्यायिक कार्यवाही करने या संगठित करने या व्यवस्था स्थापित करने के लिए;
(छ) जहां सहायता या सलाह के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने	(छ) आवश्यक परिस्थितियों में कानूनी सहायता या सलाह के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने के लिए;
	(ज) जहां कानूनी सहायता या सलाह प्रदान करने के लिए कानूनी परिस्थितियों की आवश्यकता है;
	(झ) अनुबंधित देश में, जिसमें बच्चे का अभ्यस्थ निवास है बच्चे की

के लिए कानूनी परिस्थितियों की आवश्यकता है; **(ज)** अनुबंधित देश में, जिसमें बच्चे का अभ्यस्थ निवास है बच्चे की सुरक्षित वापसी को सुरक्षित करने के लिए इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करना आवश्यक और उपयुक्त हो सकता है; **(झ)** समझौते के तहत भारत के दायित्वों के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य कार्य। 6. अनुच्छेद 5 में निर्दिष्ट किसी भी मामले की जांच करते समय केन्द्रीय प्राधिकरण के पास सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908, और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में मुकदमा चलाने के लिए सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्: (1) किसी व्यक्ति की गवाही शपथ को जांचने की; (2) किसी भी दस्तावेज़ की खोज और उत्पादन; (3) हलफनामा पर सबूत प्राप्त करना; (4) किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या कॉपी की मांग; (5) गवाहों या दस्तावेजों के जांच के लिए कमीशन जारी करना। **अध्याय III** **केंद्रीय प्राधिकरण में आवेदन की प्रक्रिया**	सुरक्षित वापसी को सुरक्षित करने के लिए इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था **करना** आवश्यक और उपयुक्त हो सकता है; **(ज)** समझौते के तहत भारत के दायित्वों के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य कार्य। **7. केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकार** **इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों को निर्वहन के लिए** निम्न मामलों में केन्द्रीय प्राधिकरण के पास केस दर्ज करते समय **सिविल कोर्ट की संवैधानिक संहिता, 1908** (**1908 का 5**) के समान अधिकार होंगे, अर्थात्: - (1) किसी व्यक्ति की गवाही शपथ को जांचने की; (2) आवश्यक दस्तावेजों की खोज और उत्पादन; (3) हलफनामा पर सबूत प्राप्त करना; (4) **भारतीय साक्ष्य अधिनियम** , **1872 (1972 का 1) के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 124 के प्रावधानों के अधीन**, किसी भी कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या **दस्तावेज या ऐसे रिकॉर्ड या दस्तावेज** की एक प्रति की मांग करना; (5) गवाहों या दस्तावेजों के जांच के लिए कमीशन जारी करना। **अध्याय III** **केंद्रीय प्राधिकरण में आवेदन की प्रक्रिया**

7. (1) अनुबंधित देश , या कोई व्यक्ति , संस्था या अन्य निकाय के उचित प्राधिकरण दावा करता है कि बच्चे को हिरासत के अधिकारों के उल्लंघन करके भारत में गलत तरीके से अवस्थापित है या प्रतिधारण किया गया है , तो बच्चे की वापसी के लिए वह सहायता हेतु केंद्रीय प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है। (2) उप-अनुच्छेद (1) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन काफी हद तक इस अधिनियम के नियमों में निर्धारित रूप में होंगे। (3) उप- अनुच्छेद (1) के तहत निम्न प्रकार से आवेदन किया जा सकता है - (क) हिरासत या कस्टडी के अधिकारों के उल्लंघन का दावा करने वाले किसी भी प्रासंगिक निर्णय या समझौते की विधिवत प्रमाणित प्रति; (ख) केंद्रीय प्राधिकरण या अनुबंधित देश जिसमें उस बच्चे का अभ्यस्त निवास हो उसके अन्य सक्षम प्राधिकारी से या अनुबंधित देश के कानून को निर्धारित करने से संबंधित योग्य व्यक्ति से हिरासत के अधिकार का संबंधित उल्लंघन किया गया इसका प्रमाण पत्र या हलफनामा; (ग) कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ 8. जहां , अनुच्छेद 6 के तहत किसी आवेदन की प्राप्ति पर केन्द्रीय प्राधिकरण को यह विश्वास करने का कारण है कि जिस	**8. केन्द्रीय प्राधिकरण को आवेदन करने की प्रक्रिया।** (1) अनुबंधित देश , या कोई व्यक्ति , संस्था या **कोई** अन्य निकाय के उचित प्राधिकरण दावा करता है कि बच्चे को हिरासत के अधिकारों के उल्लंघन करके भारत में गलत तरीके से अवस्थापित है या प्रतिधारण किया गया है , तो बच्चे की वापसी के लिए वह सहायता हेतु केंद्रीय प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है। (2) उप- अनुच्छेद (1) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन **ऐसे प्रारूप में होंगे, जिसे** निर्धारित किया जा सकता है। (3) उप- अनुच्छेद (1) के तहत निम्न प्रकार से आवेदन के साथ किया **जाएगा -** (क) हिरासत या कस्टडी के अधिकारों के उल्लंघन का दावा करने वाले किसी भी प्रासंगिक निर्णय या समझौते की विधिवत प्रमाणित प्रति; (ख) केंद्रीय प्राधिकरण या अनुबंधित देश जिसमें उस बच्चे का अभ्यस्त निवास हो उसके **किसी** अन्य सक्षम प्राधिकारी से या **प्रतिनिधी** या अनुबंधित देश के कानून को निर्धारित करने से संबंधित योग्य व्यक्ति से हिरासत के अधिकार का संबंधित उल्लंघन किया गया इसका प्रमाण पत्र या हलफनामा; (ग) कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ **8. अनुबंधित देश को आवेदनों का स्थानांतरण** जहां, **अनुच्छेद 8** के तहत किसी आवेदन की प्राप्ति पर केन्द्रीय प्राधिकरण को यह विश्वास करने का कारण है कि **जिसके** संबंध में आवेदन किया गया है , वह किसी अन्य अनुबंधित देश में है , वह तुरंत उस अनुबंधित देश के उपयुक्त प्राधिकारी को आवेदन प्रेषित करेगा और तदनुसार उपयुक्त प्राधिकारी या आवेदक

बच्चे के संबंध में आवेदन किया गया है , वह किसी अन्य अनुबंधित देश में है , वह तुरंत उस अनुबंधित देश के उपयुक्त प्राधिकारी को आवेदन प्रेषित करेगा और तदनुसार उपयुक्त प्राधिकारी या आवेदक को सूचित करेगा, जैसा भी मामला हो।

9. जहां केंद्रीय प्राधिकरण से अनुरोध किया गया हो कि वह अनुच्छेद 5 (डी) के तहत किसी बच्चे से संबंधित जानकारी प्रदान करे, वह पुलिस अधिकारी से अनुरोध कर सकता है कि वह उस बच्चे से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में लिखित रूप में रिपोर्ट दे, जो प्रासंगिक हो।

अध्याय IV

आवेदन स्वीकार करने से केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा इनकार

10. केन्द्रीय प्राधिकरण को अगर यह जाहिर होता है कि इस आवेदन में समझौते की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है या यह आवेदन अन्यथा अच्छी तरह से स्थापित नहीं है, अनुच्छेद 7 के तहत किए गए आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है, किसी आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करने पर केन्द्रीय प्राधिकरण तुरंत उचित प्राधिकरण या व्यक्ति , संस्थान या को सूचित करेगा , **जैसा कि मामला हो सकता है** , **आवेदक को अनुच्छेद 8 के उप- अनुच्छेद (1) में निर्दिष्ट किया गया है।**

10. पुलिस से रिपोर्ट मांगना

जहां केन्द्रीय प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है कि वह **अनुच्छेद 6 के खंड (ए) और (डी) के तहत** किसी बच्चे से संबंधित जानकारी प्रदान करें , वह संबंधित रिपोर्ट के लिए **केंद्रीय प्राधिकरण** के समक्ष आने वाले बच्चे से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में लिखित में पुलिस से रिपोर्ट की मांग कर सकता है।

अध्याय IV

आवेदन स्वीकार करने से केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा इनकार

11. आवेदन स्वीकार करने से केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा इनकार

(1) केन्द्रीय प्राधिकरण को अगर यह जाहिर होता है कि इस आवेदन में समझौते की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है या यह आवेदन अन्यथा **अच्छी तरह से भरा नहीं गया है,** अनुच्छेद 8 के तहत किए गए आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा **किसी आवेदन को स्वीकार करने से इनकार** करने पर उचित प्राधिकारी या व्यक्ति , संस्था या **किसी** भी अन्य संस्था आवेदन करने वाले को सूचित करेगा और इनकार के कारण बताएगा।

12. अतिरिक्त जानकारी

(1) केन्द्रीय प्राधिकरण केवल अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी की

अन्य निकाय को इस तरह के इनकार करने का कारण बताएगा। 11. केन्द्रीय प्राधिकरण को केवल अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी की आवश्यकता के आधार पर किसी आवेदन को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। जहां ऐसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेजों की आवश्यकता है , अनुरोधित केन्द्रीय प्राधिकरण आवेदक को इन अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी प्रदान करने के लिए कह सकता है। यदि आवेदक अनुरोधित केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उचित अवधि के भीतर ऐसा नहीं करता है , तो अनुरोधित केन्द्रीय प्राधिकरण यह तय कर सकता है कि वह अब आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। 12. अनुच्छेद 7 के तहत किए गए आवेदन को केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकार करने से इनकार करने पर पीड़ित कोई भी पक्ष भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव से अपील कर सकता है। इस तरह की अपील केंद्रीय प्राधिकरण के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर की जाएगी।	आवश्यकता के **आधार** पर किसी आवेदन को अस्वीकार नहीं **करेगा।** (2) केन्द्रीय प्राधिकरण , **जहां ऐसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेजों की आवश्यकता है** आवेदक को इन अतिरिक्त दस्तावेज या सूचना प्रदान करने के लिए कहें , और यदि आवेदक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उचित अवधि के भीतर ऐसा नहीं करता है , तो आवेदन को संसाधित **न करने का निर्णय** ले सकता है। **13. केंद्र सरकार को अपील** (1) खंड **8** के तहत केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन स्वीकार न करने से परेशान कोई भी पक्ष , **केन्द्रीय सरकार को ऐसे निषेध के खिलाफ अपील कर सकते हैं जो निर्धारित किया जा सकता है।** (2) इस तरह की अपील केंद्रीय प्राधिकरण के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की **अवधि** के भीतर की जाएगी; **और अपील का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा, लेकिन अपील प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह के बाद नहीं किया जाएगा।** **अध्याय** V **उच्च न्यायालय में आवेदन की प्रक्रिया** **14. उच्च न्यायालय में आवेदन करने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण की शक्ति** किसी बच्चे की वापसी के लिए किसी अन्य तरीके से पूर्वाभ्यास के बिना **अनुच्छेद 8** के तहत आवेदन किया गया है , तो केंद्रीय प्राधिकरण , अनुबंधित देश को जिसमें बच्चे का अभ्यस्त निवास है बच्चे की वापसी

अध्याय V

उच्च न्यायालय में आवेदन की प्रक्रिया

13. किसी बच्चे की वापसी के लिए किसी अन्य तरीके से पूर्वाभ्यास के बिना अनुच्छेद 6 के तहत आवेदन किया गया है, तो केंद्रीय प्राधिकरण, अनुबंधित देश को जिसमें बच्चे का अभ्यस्त निवास है बच्चे की वापसी का निर्देश देने के लिए उस उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है, जिसके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में बच्चा शारीरिक रूप से उपस्थित है।

14. अनुच्छेद 14 के तहत अगर उच्च न्यायालय में आवेदन किया जाता है, तो न्यायालय, आवेदन निर्धारित होने से पहले किसी भी समय संबंधित बच्चे के कल्याण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य के लिए उपयुक्त,या कार्यवाही लंबित होने से बच्चे के लिए निवास के लिए या बाधित होकर बच्चे की वापसी को रोकने के लिए या आवेदन के निर्धारण हेतु प्रासंगिक परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन को रोकने के लिए अंतरिम दिशा-निर्देश दे सकता है।

15. अनुच्छेद 10 के तहत किए गए आवेदन पर जहां उच्च न्यायालय संतुष्ट हो, कि : -

(क)जिस बच्चे के बारे में आवेदन किया गया है, उसे खंड 3 के तहत भारत में गलत तरीके से अवस्थापित है या रखा गया का निर्देश देने के लिए उस उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है, जिसके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में बच्चा शारीरिक रूप से उपस्थित है।

15. उच्च न्यायालयों द्वारा अंतरिम आदेश

अनुच्छेद 14 के तहत अगर उच्च न्यायालय में आवेदन किया जाता है , तो न्यायालय, आवेदन निर्धारित होने से पहले किसी भी समय संबंधित बच्चे के कल्याण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य के लिए, **या बच्चे के लिए ऐसे प्रावधान कर** उपयुक्त, या कार्यवाही लंबित होने से बच्चे के लिए निवास के लिए या बाधित होकर बच्चे की **वापसी,या अन्यथा के लिए** आवेदन के निर्धारण हेतु प्रासंगिक परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन को रोकने के लिए अंतरिम दिशा-निर्देश दे सकता है।

16. बच्चे को अनुबंधित देश में वापस करने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति

अनुच्छेद 14 के तहत किए गए आवेदन पर जहां उच्च न्यायालय संतुष्ट हो, कि : -

(क)जिस बच्चे के बारे में आवेदन किया गया है , उसे खंड 3 के तहत भारत में गलत तरीके से अवस्थापित है या रखा गया है; तथा,

(ख) कथित रूप से अवस्थापित या प्रतिधारण की तारीख और इस आवेदन की तारीख के बीच का अंतर एक वर्ष से अधिक का नहीं है;

ऐसे अनुबंधित देश में बच्चे की वापसी को तुरंत आदेश दिया जाएगा जिसमें बच्चे का अभ्यस्त निवास था;

अगर उच्च न्यायालय संतुष्ट नहीं है कि बच्चा अपने नए वातावरण में व्यवस्थित नहीं है तो उच्च न्यायालय, अनुबंधित देश को बच्चे की वापसी

है; तथा, (ख) कथित रूप से अवस्थापित या प्रतिधारण की तारीख और इस आवेदन की तारीख के बीच का अंतर एक वर्ष से अधिक का नहीं है; ऐसे अनुबंधित देश में बच्चे की वापसी को तुरंत आदेश दिया जाएगा जिसमें बच्चे का अभ्यस्त निवास था; उच्च न्यायालय, अनुबंधित देश को बच्चे की वापसी का आदेश दे सकता है जिसमें उस बच्चे का अभ्यस्त निवास है, बशर्ते कि कथित रूप से अवस्थापित या प्रतिधारण की तिथि और आवेदन की तिथि के बीच एक वर्ष से अधिक का अंतर न हो और बच्चा अपने नए वातावरण में बसा न हो। 16. (1) अनुच्छेद 15 के प्रावधानों के बावजूद , उच्च न्यायालय बच्चे की वापसी का आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है , यदि व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय इसका विरोध करते हुए दावा करते हैं कि, (क)बच्चे की देखभाल करने वाले व्यक्ति , संस्था या किसी अन्य निकाय द्वारा वास्तव में अवस्थापन या प्रतिधारण के समय हिरासत के अधिकारों का उल्लंधन नहीं किया जा रहा था, या उसे अवस्थापित या प्रतिधारण के लिए पहले सहमति या बाद में सहमति दी गई थी;	का आदेश दे सकता है जिसमें उस बच्चे का अभ्यस्त निवास है , बशर्ते कि कथित रूप से अवस्थापित या प्रतिधारण की तिथि और आवेदन की तिथि के बीच एक वर्ष से अधिक का अंतर न हो और बच्चा अपने नए वातावरण में बसा न हो। **17. बच्चे की वापसी के संभावित अपवाद** **(1)** अनुच्छेद 16 में **कुछ भी निहित होने के बावजूद** , उच्च न्यायालय बच्चे की वापसी का आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है , यदि व्यक्ति, संस्था या **कोई** अन्य निकाय **वापसी का विरोध** करते हुए दावा करते हैं कि, **(क)** बच्चे की देखभाल करने वाले व्यक्ति , संस्था या **किसी** अन्य निकाय द्वारा वास्तव में अवस्थापन या प्रतिधारण के समय हिरासत के अधिकारों का उल्लंधन नहीं किया जा रहा था , या उसे अवस्थापित या प्रतिधारण के लिए पहले सहमति या बाद में सहमति दी गई थी; **(ख)** **बच्चे** वापसी से बच्चे को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाये जाने का खतरा है या वापसी से बच्चा एक **गैर अनुकूल** माहौल में चला जाएगा। **(ग) वह व्यक्ति जो कथित तौर पर गलत तरीके से अवस्थापन या प्रतिधारण में शामिल है , घरेलू हिंसा अधिनियम , 2005 (43 का 43) कके महिलाओं की सुरक्षा के खंड 3 में परिभाषित रूप में 'घरेलू हिंसा' में शामिल था।** **(2)** उच्च न्यायालय भी बच्चे की वापसी का आदेश देने से इनकार कर सकता है यदि - **(क) कोर्ट** को यह पता चलता है कि बच्चा वापस लौटने से इंकार कर

या, **(ख)** बच्चे वापसी से बच्चे को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाये जाने का खतरा है या वापसी से बच्चा एक असहनीय माहौल में चला जाएगा। (2) उच्च न्यायालय भी बच्चे की वापसी का आदेश देने से इनकार कर सकता है यदि यह पता चलता है कि बच्चा वापस लौटने से इंकार कर रहा हैं और उसकी उम्र उतनी हो चुकी है जिस पर उसके विचारों को ध्यान में रखना उचित है। (3) यदि मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित अनुरोधित देश के मौलिक सिद्धांतों द्वारा अनुमति नहीं हो तो बच्चे की वापसी को अस्वीकार कर दिया जा सकता है। (4) इस खंड के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उच्च न्यायालय बच्चे के अभ्यस्त निवास वाले अनुबंधित देश के उपयुक्त प्राधिकरण से बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित कोई भी जानकारी मांग सकता है। (5) उच्च न्यायालय, इस खंड के तहत बच्चे के अभ्यस्त निवास वाले अनुबंधित देश को बच्चे की वापस करने का आदेश केवल आधार पर नहीं देगा कि भारत के किसी अदालत या भारत के किसी न्यायालय द्वारा इस तरह के बच्चे की हिरासत से संबंधित आदेश दिया गया है बल्कि, उच्च न्यायालय खंड 10 के तहत	रहा हैं और उसकी उम्र **परिपक्व** उतनी हो चुकी है जिस पर **उसके** विचारों को ध्यान में रखना उचित है। **(ख)** मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित अनुरोधित देश के मौलिक सिद्धांतों के **तहत** अनुमति नहीं हो तो बच्चे की वापसी को अस्वीकार कर दिया जा सकता है। **(ग) उच्च न्यायालय** इस खंड के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उच्च न्यायालय बच्चे के अभ्यस्त निवास वाले अनुबंधित देश के उपयुक्त प्राधिकरण से बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित कोई भी जानकारी मांग सकता है, **अनुपयुक्त रूप में**; **(3)** उच्च न्यायालय, इस खंड के तहत बच्चे के अभ्यस्त निवास वाले अनुबंधित देश को बच्चे की वापस करने का आदेश केवल आधार पर नहीं देगा कि - (i) भारत के किसी अदालत या भारत के किसी न्यायालय द्वारा इस तरह के बच्चे की हिरासत से संबंधित आदेश दिया गया है, या (ii) भारत में किसी बच्चे की हिरासत से संबंधित न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त निर्णय: **बशर्ते** बाल अदालत से संबंधित ऐसे आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय के कारणों को दर्ज किया जाएगा। **18. भारत में बच्चे तक व्यक्ति , संस्था या किसी अन्य संस्था की पहुंच के अधिकार** **(1)** उपयुक्त प्राधिकरण, या कोई व्यक्ति, **किसी** संस्थान या किसी अन्य

आदेश जारी करने में इस तरह के फैसले के कारणों को भी ध्यान में रखेगा। 17. (1) उपयुक्त प्राधिकरण , या कोई व्यक्ति , संस्थान या कोई अन्य अनुबंधित देश भारत में मौजूद बच्चे के संबंध में आवेदन में निर्दिष्ट व्यक्ति के अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं। (2) उप-खंड (1) के तहत किए गए आवेदन को इस तरह के किया जाएगा कि उसे निर्धारित किया जा सकें । 18. (1) भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति की पहुंच के अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए किसी अन्य तरीके से पूर्वाग्रह के बिना , केन्द्रीय प्राधिकरण उच्च न्यायालय में उन अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए न्यायालय के आदेश हेतु आवेदन कर सकता है। (2) उप-खंड (1) के तहत किए गए किसी आवेदन पर अगर उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि उस व्यक्ति को जिसकी ओर से आवेदन किया गया है, आवेदन में निर्दिष्ट बच्चे के ऐसेस का अधिकार हैं , पहुंच के उन अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक आदेश दे सकता है जैसा हो सकता है। 19. (1) खंड 3 के आशय के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए	अनुबंधित देश भारत में मौजूद बच्चे के संबंध में आवेदन में निर्दिष्ट व्यक्ति के अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं। **(2)** उप-खंड (1) के तहत किए गए आवेदन को इस तरह के किया जाएगा कि उसे निर्धारित किया जा सकें । **19. भारत में किसी भी बच्चे को किसी भी व्यक्ति की पहुंच के अधिकारों के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन** **(1)** उपयुक्त प्राधिकरण, या व्यक्ति, संस्था या अनुंबधित देश का **कोई** अन्य निकाय भारत में मौजूद बच्चे को किसी व्यक्ति की पहुंच के अधिकारों को प्रभावी करने में सहायता के लिए आवेदन में निर्दिष्ट कर केंद्रीय प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं। **(2)** जहां उप-खंड (1) के तहत किए गए किसी आवेदन पर अगर उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि उस व्यक्ति को जिसकी ओर से आवेदन किया गया है , आवेदन में निर्दिष्ट बच्चे के ऐसेस का अधिकार हैं , **न्यायालय**, **ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है जिसे आवश्यक माना जा सकता है**, **पहुंच के उन अधिकारों के प्रभाव को सुरक्षित करने के लिए आदेश दें सकते हैं।** **20. विदेशी कानून के सबूत की आवश्यकताओं में छूट** **(1) उच्च न्यायालय** खंड 3 के आशय के तहत सुनिश्चित करने के दौरान कि गलत तरीके से अवस्थापित या प्रतिधारण हो रहा है या नहीं , उच्च न्यायालय औपचारिक रूप से चिन्हित किये जाने वाले **कानूनों का संज्ञान** उस कानून के प्रमाण हेतु विशिष्ट प्रक्रियाओं के बिना या विदेशी निर्णयों की पहचान के लिए जो लागू हो , बच्चे के अभ्यस्त निवास के देश में

कि गलत तरीके से अवस्थापित या प्रतिधारण हो रहा है या नहीं , उच्च न्यायालय औपचारिक रूप से चिन्हित किये जाने वाले न्यायिक या प्रशासनिक निर्णयों का संज्ञान उस कानून के प्रमाण हेतु विशिष्ट प्रक्रियाओं के बिना या विदेशी निर्णयों की पहचान के लिए जो लागू हो, बच्चे के अभ्यस्त निवास के देश में औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त है या नहीं के बिना, ले सकता है। (2) उच्च न्यायालय , किसी बच्चे को उसके अभ्यस्त निवास के अनुबंधित देश को वापस करने के लिए खंड 13 के तहत आदेश देने से पहले, अनुबंधित देश जिसमें उस बच्चे का अभ्यस्त निवास है उसके संबंधित अधिकारियों से निर्णय प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण से अनुरोध करता है कि क्या उस बच्चे को भारत में अवस्थापित या प्रतिधारण करना खंड 3 के तहत गलत है। 20. बच्चे के अभ्यस्त निवास वाले अनुबंधित देश को बच्चे की वापसी के लिए खंड 13 के तहत निर्णय करने पर उच्च न्यायालय बच्चे को भारत में अवस्थापित या भारत में प्रतिधारण करने वाले व्यक्ति को केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किए गए खर्च का भुगतान करने का आदेश दे सकता है। इन खर्चों में बच्चे को ढूंढने में लगी लागत, केन्द्रीय प्राधिकरण के कानूनी प्रतिनिधित्व की लागत और संविदाकारी देश में बच्चे को लौटने में होने वाले खर्च शामिल हो सकते हैं, जिसमें उस बच्चे का अभ्यस्त निवास होता है।	औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त है या नहीं के बिना, ले सकता है। **(2)** उच्च न्यायालय, किसी बच्चे को उसके अभ्यस्त निवास के अनुबंधित देश को वापस करने के लिए **खंड 15** के तहत आदेश देने से पहले, अनुबंधित देश जिसमें उस बच्चे का अभ्यस्त निवास है उसके संबंधित अधिकारियों से निर्णय प्राप्त करने के लिए **केन्द्रीय प्राधिकरण को निर्देशित** करता है कि क्या उस बच्चे को भारत में अवस्थापित या प्रतिधारण करना **खंड 3 के तहत** गलत है। **21. लागत** **(1) उच्च न्यायालय, बच्चे के अभ्यस्त निवास वाले अनुबंधित देश को बच्चे की वापसी के लिए खंड 15 के तहत आदेश देते समय उस व्यक्ति को जिसने उस बच्चे को भारत में अवस्थापित किया है , या जिसने भारत में बच्चे का प्रतिधारण किया है, को केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किए गए खर्चों का भुगतान करने का आदेश दें सकता है।** **(2) उप-खंड (1) में उल्लिखित खर्च में बच्चे का पता लगाने में लगा खर्च , केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा किए गए कानूनी कार्यवाही की लागत और अनुबंधित देश में बच्चे को लौटने में किए गए खर्च , जिसमें बच्चे का अभ्यस्त निवास है, शामिल हो सकती है।** **22. माता-पिता के हिरासत के अधिकारों के निर्धारण को कवर न करने के लिए निर्णयादेश** **खंड 16** के तहत उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेश को उस बच्चे की हिरासत से संबंधित किसी भी योग्यता के प्रश्न रुप में नहीं माना

21. खंड 13 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेश को उस बच्चे की हिरासत से संबंधित किसी भी योग्यता के प्रश्न रुप में नहीं माना जाएगा। 22. जहां किसी बच्चे को अभ्यस्त निवास वाले अनुबंधित देश को बच्चे की वापसी के लिए खंड 13 के तहत निर्णय दिया गया है, केंद्रीय प्राधिकरण अनुबंधित देश में बच्चे की वापसी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करेगा जो कि आदेश के अनुसार किया जाना आवश्यक है। **अध्याय** V । **भारत से अवस्थापित किये गए बच्चे के संबंध में आवेदन** 23. (1) भारत में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय ने दावा	जाएगा। **23. अनुबंधित देश में बच्चे की वापस के लिए व्यवस्था** जहां किसी बच्चे को अभ्यस्त निवास वाले अनुबंधित देश को बच्चे की वापसी के लिए खंड 13 के तहत निर्णय दिया गया है, केंद्रीय प्राधिकरण **आदेश जारी होने के 60 दिनों के भीतर** अनुबंधित देश में बच्चे की वापसी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करेगा दो कि आदेश के अनुसार किया जाना आवश्यक है। **अध्याय** V । **भारत से अवस्थापित किये गए बच्चे के संबंध में आवेदन** **24. बच्चे को भारत लौटाने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को आवेदन** (1) भारत में किसी व्यक्ति , संस्था या **कोई** अन्य निकाय ने दावा किया है कि किसी बच्चे को अनुबंधित देश से गलत अवस्थापित किया गया है या किसी ऐसे व्यक्ति, संस्था या **कोई** अन्य निकाय की हिरासत के अधिकारों के उल्लंघन कर अनुबंधित देश में गलत रूप से प्रतिधारण किया गया है , तो उस बच्चे को भारत लौटने में सहायता के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं। (2) **उप-खंड (1) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन को निर्धारित रूप में बनाया जाएगा।** (3) उप-खंड (1) के तहत किसी आवेदन की प्राप्ति पर केन्द्रीय प्राधिकरण भारत में उस बच्चे की वापसी में हासिल करने में सहायता के लिए **किसी भी तरीके से** तत्काल अनुबंध राज्य में स्थित उपयुक्त प्राधिकारी को

किया है कि किसी बच्चे को अनुबंधित देश से गलत अवस्थापित किया गया है या किसी ऐसे व्यक्ति , संस्था या अन्य निकाय की हिरासत के अधिकारों के उल्लंघन कर अनुबंधित देश में गलत रूप से प्रतिधारण किया गया है , तो उस बच्चे को भारत लौटने में सहायता के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं।	आवेदन करेगा, **यदि निर्दिष्ट किया गया है,** जिस देश पर बच्चे के अवस्थापन या प्रतिधारण का आरोप लगाया गया है।
(2) उप-खंड (1) के तहत किसी आवेदन की प्राप्ति पर केंद्रीय प्राधिकरण भारत में उस बच्चे की वापसी में हासिल करने में सहायता के लिए अनुबंधित देश के उपयुक्त प्राधिकारी को उचित तरीके से आवेदन करेगा , जिस देश पर बच्चे के अवस्थापन या प्रतिधारण का आरोप लगाया गया है।	**(खंड 16 के मद्देनजर उच्च न्यायालय की घोषणा शक्तियों से संबंधित प्रावधान आवश्यक नहीं है)**
(3) उप-खंड (1) में उल्लिखित हिरासत के अधिकारों में कानून के संचालन से किसी भी व्यक्ति , संस्था या अन्य निकाय को प्राप्त होने वाली हिरासत के अधिकार शामिल हैं; **(क)**न्यायिक या प्रशासनिक निर्णय के कारण; या **(ख)** भारत के कानून के तहत कानूनी प्रभाव रखने वाले समझौते के कारण	**अध्याय** V II **पहुंच के अधिकार**
24. उच्च न्यायालय, अनुबंधित देश के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा किए गए आवेदन पर घोषित कर सकता है कि उस अनुबंधित देश में बच्चे का अवस्थापन या प्रतिधारण अनुच्छेद	25. **भारत में व्यक्ति**, **संस्था या निकाय का पहुंच का अधिकार** भारत में कोई व्यक्ति , संस्था या किसी अन्य निकाय ने दावा किया है कि व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य निकाय की पहुंच के अधिकारों के उल्लंघन कर किसी बच्चे को किसी अनुबंधित देश में गलत तरीके से अवस्थापित कर दिया गया है या अनुबंधित देश में गलत तरीके से प्रतिधारण किया गया है तो, पहुंच के अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन को व्यवस्थित करने या बच्चे हासिल करने में सहायता के लिए केन्द्रीय

3 के तहत गलत है।	प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है, **जिसके लिए प्रारूप निर्धारित किया जा सकता है।**
अध्याय V II **पहुंच के अधिकार**	**26. भारत में किसी भी व्यक्ति, संस्था या निकाय की पहुंच के अधिकार के लिए अनुबंधित देश के केंद्रीय प्राधिकरण को आवेदन** **खंड 25 के तहत** पहुंच के अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन को व्यवस्थित करने या सुरक्षा हेतु व्यवस्था करने के लिए आवेदन **खंड 24 के तहत** बच्चे की वापसी के आवेदन के प्रारुप **में ही** अनुबंधित देश के केंद्रीय प्राधिकरण को तत्काल प्रस्तुत किया जाएगा।
25. भारत में कोई व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय ने दावा किया है कि व्यक्ति, संस्था या अन्य निकाय की पहुंच के अधिकारों के उल्लंघन कर किसी बच्चे को किसी अनुबंधित देश में गलत तरीके से अवस्थापित कर दिया गया है या अनुबंधित देश में गलत तरीके से प्रतिधारण किया गया है तो , पहुंच के अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन को व्यवस्थित करने या बच्चे हासिल करने में सहायता के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है।	**27. केन्द्रीय प्राधिकरणों के बीच पहुंच के अधिकार सुरक्षित करने के लिए समन्वय** **खंड 26** के तहत किसी आवेदन की प्राप्ति पर पहुंच के अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन को व्यवस्थित करने, या **सुरक्षित** करने में सहायता के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण तुरंत अनुबंधित देश, जिसमें बच्चे को **गलत तरीके** से अवस्थापित किया गया है , या प्रतिधारण किया गया है, के उचित प्राधिकारी को **निर्धारित प्रारुप** में आवेदन करेगा, यदि **निर्दिष्ट** है।
26. पहुंच के अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन को व्यवस्थित करने या सुरक्षित करने की व्यवस्था करने के लिए आवेदन , अनुबंधित देश के केन्द्रीय प्राधिकरणों को बच्चे की वापसी के लिए आवेदन के जैसे ही प्रस्तुत किया जा सकता है।	**अध्याय V III** **अपराध और दंड**
27. उप-धारा (1) के तहत किसी आवेदन की प्राप्ति पर केंद्रीय प्राधिकरण पहुंच के अधिकारों के प्रभावी कार्यन्वयन को व्यवस्थित या सुरक्षित करने की व्यवस्था करने में सहायता के लिए	**28. गलत तरीके से अवस्थापन या प्रतिधारण के लिए सजा** इस अधिनियम के खंड 3 के उप-खंड (2) के मामले में माता-पिता की हिरासत से या तो खुद के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बच्चे

अनुबंधित देश के उचित प्राधिकारी को उचित तरीके से आवेदन करेगा, जिस अनुबंधित देश में बच्चे को अवस्थापित करना या जिसमें प्रतिधारण करने का आरोप लगाया गया है।	का गलत तरीके से अवस्थापित या प्रतिधारण किया गया है , इसे गलत तरीके से अवस्थापन या प्रतिधारण का अपराध कहा जाता है और दंडनीय होगा जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या दस हजार रुपए या दोनों हो सकता है।
(28. डब्ल्यूसीडी द्वारा ऐसा कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है)	29. **जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के लिए सजा** जो भी व्यक्ति खंड 6 के खंड (ए) के तहत बच्चे की स्थिति या सूचना से संबंधित जानबूझकर गलत बयान, या महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा करता है जिसका खुलासा करना बाध्य है, इस अधिनियम की धारा 15 या धारा 16 के तहत किए गए आदेश के अनुसरण में बच्चे की सुरक्षित वापसी को रोकने का कारण होता है, ऐसे अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया जा सकता है जिसके लिए तीन महीने तक की कारावास की सजा हो सकती है या पांच हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
(29. डब्ल्यूसीडी द्वारा ऐसा कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है)	**अध्याय IX** **विविध** 30. **शीघ्र प्रक्रिया** **(1)** अनुबंधित देशों के न्यायिक या प्रशासनिक प्रधिकरणों को बच्चों की वापसी के लिए कार्यवाही में शीघ्रता से कार्य करना होगा।

अध्याय V III **विविध** 28. (1) अनुबंधित देशों के न्यायिक या प्रशासनिक प्रधिकरणों को बच्चों की वापसी के लिए कार्यवाही में शीघ्रता से कार्य करना होगा। (2) अगर संबंधित न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकरण किसी कार्यवाही के प्रारंभ होने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता, तो आवेदक या अनुरोधित देश का केंद्रीय प्राधिकरण अपनी स्वयं की पहल पर या अगर अनुरोध करने वाले राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के कहने पर देरी के कारणों पर बयान मांगने का अधिकार होगा। अनुरोधित देश के केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा कोई उत्तर मिलने के बाद वह प्राधिकरण अनुरोधित देश के केंद्रीय प्राधिकरण, या आवेदक को , जैसा भी मामला हो , उत्तर भेजेगा।	**(2)** अगर संबंधित न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकरण किसी कार्यवाही के प्रारंभ होने की तारीख से छह सप्ताह की **अवधि** भीतर किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता, तो आवेदक या अनुरोधित देश का केंद्रीय प्राधिकरण अपनी स्वयं के **प्रस्ताव** पर या अगर अनुरोध करने वाले राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के कहने पर देरी के कारणों पर बयान मांगने का अधिकार होगा। **(3)** अनुरोधित देश के केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा **कोई जानकारी या** उत्तर मिलने के बाद वह प्राधिकरण अनुरोधित देश के केंद्रीय प्राधिकरण, या आवेदक को, जैसा भी मामला हो, उत्तर भेजेगा। **31. रिपोर्ट और रिटर्न** **(1)** केन्द्रीय प्राधिकरण एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो कि इस अधिनियम के तहत अपनी गतिविधियों का पूर्ण विवरण केंद्र सरकार को निर्दिष्ट **प्रारुप** में किया जाएगा। **(2) केन्द्रीय प्राधिकरण , उप-खंड (1) के तहत रिपोर्ट करने के अतिरिक्त, अपनी गतिविधियों के संबंध में विवरण या अन्य प्रासंगिक जानकारी को प्रस्तुत करेगा जिसकी केंद्र सरकार को समय-समय पर आवश्यकता पड़ सकती है।** **(3) उप-खंड (1) के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट में निम्न शामिल होगा -** **(क)**केंद्रीय प्राधिकरण को आवेदकों द्वारा प्रस्तुत बच्चों की वापसी के लिए आवेदनों का संक्षिप्त रिकॉर्ड। **(ख)** आवेदन जमा करने की तारीख के एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित बच्चों की वापसी के आवेदन के बारे में विस्तृत जानकारी और ऐसे बच्चों की वर्तमान स्थिति और ऐसे मामलों को हल करने

29. केन्द्रीय प्राधिकरण , महिला एंव बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार को वार्षिक रूप से इस तरह की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। (डब्ल्यूसीडी द्वारा बनाए गए खंड 29 और 33 का आयोग द्वारा तैयार किए गए खंड 31 में विलय कर दिया गया है)	के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा उठाए गए विशिष्ट कार्यों की जानकारी। (ग) उन देशों की सूची जिसमें खंड (ख) में वर्णित बच्चों को गलत ढंग से अवस्थापित किया गया है या उनको प्रतिधारण किया गया है, जो देश अपने कर्तव्यों के संबंध में आवेदकों द्वारा भारत में बच्चों की वापसी के समझौते में निर्धारित किए गए दायित्वों को पूरा करने में असफल रहे हैं। **(4) केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जिन मामलो को बंद कर दिया गया है और इस तरह की सहायता की मांग करने वाले व्यक्ति, संस्था या निकाय को इसका कारण बता दिया गया है उन मामलों को छोड़कर हर छह महीने में एक बार गलत तरीके से हटाए गए या बनाए रखा बच्चे के बारे में सहायता का अनुरोध करने वाले माता-पिता को केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा सूचित करना होगा।**
(32. डब्ल्यूसीडी द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है)	**32. रिकॉर्ड्स का रखरखाव** **केन्द्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के तहत अपने नोटिस में लाए गए आवेदनों, और या मामलों से संबंधित विस्तृत और अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।**
30. केंद्र सरकार , केंद्रीय प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य या केंद्रीय प्राधिकरण में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी मुकदमा , अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के अनुसरण में जो कुछ भी अच्छे विश्वास में किया गया है या	**33. सद्भावना में लिया गया कार्रवाई का संरक्षण** केंद्र सरकार , केंद्रीय प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य या **केंद्रीय प्राधिकरण में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति** के खिलाफ कोई भी मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी , इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के अनुसरण में जो कुछ भी अच्छे विश्वास में किया गया है या किया जाना है।

किया जाना है।	**34. केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य और अधिकारियों को सरकारी कर्मचारी होंगे** केन्द्रीय प्राधिकरण के **प्रत्येक** सदस्य और अधिकारी और **इस अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी** को भारतीय दंड संहिता, **1860** (1860 का 45) की धारा 21 के तहत एक सार्वजनिक कर्मचारी माना जाएगा।
31. केन्द्रीय प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत एक सार्वजनिक कर्मचारी माना जाएगा।	**35. निर्देश देने की शक्ति** (1) इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन मे केन्द्रीय प्राधिकरण को राष्ट्रीय हित से संबंधित नीति के मामलों पर निर्देशित किया जाएगा, जिसे कि केंद्र सरकार द्वारा दिया जा सकता है।
32. (1) इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन मे केन्द्रीय प्राधिकरण को राष्ट्रीय हित से संबंधित नीति के मामलों पर निर्देशित किया जाएगा, जिसे कि केंद्र सरकार द्वारा दिया जा सकता है।	(2) यदि राष्ट्रीय उद्देश्यों से संबंधित नीति मामला है या केंद्र सरकार और केंद्रीय प्राधिकरण के बीच कोई विवाद पैदा होता है , तो उस पर केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
(2) यदि राष्ट्रीय उद्देश्यों से संबंधित नीति मामला है या केंद्र सरकार और केंद्रीय प्राधिकरण के बीच कोई विवाद पैदा होता है , तो उस पर केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।	**36. नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति** (1) केंद्र सरकार **आधिकारिक राजपत्र में** अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
33. केन्द्रीय प्राधिकरण केंद्र सरकार को अपनी गतिविधियों के संबंध में विवरण या अन्य सूचनाओं प्रस्तुत करनी होगी, जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार मांग सकता है।	(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना ऐसे नियम निम्नलिखित या सभी मामलों के लिए प्रदान किये जा सकते हैं, अर्थात्: -
34. (1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।	

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना ऐसे नियम निम्नलिखित या सभी मामलों के लिए प्रदान किये जा सकते हैं, अर्थात्: - (क) भारत में गलत तरीके से अवस्थापित किये गए या प्रतिधारण किये गए बच्चे की वापसी हेतु केन्द्रीय प्राधिकरण में आवेदन के जमा करने में सहायता के लिए (ख) भारत में गलत तरीके से अवस्थापित किये गए या प्रतिधारण किये गए बच्चे की वापसी हेतु केन्द्रीय प्राधिकरण में आवेदन के जमा करने में सहायता के लि (ग) केन्द्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति/ केंद्रीय प्राधिकरण के कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रक्रिया (घ) खंड 7 के तहत केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन स्वीकार करने से इनकार के मामले में प्रक्रिया (3) इस अधिनियम (उप-खंड (1)) के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को बनाये जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके तीस दिन की अवधि के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष पेश किया जाएगा, जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक सत्रों में हो सकता है, और यदि सत्र की समाप्ति से पहले या सत्र के उत्तरार्द्ध सत्र के तुरंत बाद दोनों सदनों नियम में कोई संशोधन करने में सहमत हैं या दोनों ही सदन सहमत हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए ,	**(क) धारा 4 के उप-धारा (2) के खंड (बी) के तहत केंद्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता और अनुभव;** **(ख) धारा 4 के उप-धारा (5) के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के लिए वेतन और भत्ते और नियम एवं शर्तें;** **(ग) धारा 5 के उप-धारा (2) के तहत केन्द्रीय प्राधिकारी के कर्मचारियों और कर्मचारियों की सेवा की वेतन और भत्ते और नियम और शर्तें;** **(घ) धारा 8 के उप-धारा (2) के तहत गलत तरीके से अवस्थापित किये गए या भारत में प्रतिधारण किये गए बच्चे की वापसी करने में सहायता के लिए केंद्रीय प्राधिकरण को आवेदन का प्रारुप; धारा 13 के उप-धारा (1) के तहत केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन स्वीकार करने से इनकार करने के मामले में केंद्र सरकार को अपील करने की प्रक्रिया;** **(ङ) धारा 18 के उप-धारा (2) के तहत, भारत में बच्चे के पहुंच के अधिकारों के कार्यान्वयन को सुरक्षित करने में सहायता के लिए केंद्रीय प्राधिकरण को आवेदन का प्रारुप;** **(च) धारा 24 के उप-धारा (2) के तहत अनुबंधित देश में गलत तरीके से अवस्थापित किये गए या भारत में प्रतिधारण किये गए बच्चे की वापसी करने में सहायता के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को आवेदन का प्रारुप;** **(छ) धारा 25 के तहत अनुबंधित देश में गलत तरीके से अवस्थापित किये गए या भारत में प्रतिधारण किये गए बच्चों तक पहुंच के अधिकारों के आयोजन या हासिल करने में**

उसके बाद नियम केवल इस तरह के संशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभाव नहीं होगा , जैसा भी मामला हो ; हालांकि, ऐसा कोई संशोधन या विलोपन होगा उस नियम के तहत पहले किए गए निर्णयों की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। 35. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है , तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समझे जाने वाले ऐसे प्रावधान बना सकती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हों: बशर्ते इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद इस खंड के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। (2) इस खंड के तहत किए गए प्रत्येक आदेश को जल्द से जल्द संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।	**सहायता के लिए आवेदन का प्रारूप; तथा** **(ज)फॉर्म का प्रारुप जिसमें वार्षिक रिपोर्ट धारा 31 के उप-धारा (1) के तहत तैयार की जाएगी;** **(3)** इस अधिनियम (उप-खंड (1)) के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को बनाये जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके तीस दिन की अवधि के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष पेश किया जाएगा , जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक सत्रों में हो सकता है , और यदि सत्र की समाप्ति से पहले या सत्र के उत्तरार्द्ध सत्र के तुरंत बाद दोनों सदनों नियम में कोई संशोधन करने में सहमत हैं या दोनों ही सदन सहमत हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए , उसके बाद नियम केवल इस तरह के संशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभाव नहीं होगा , जैसा भी मामला हो; हालांकि, ऐसा कोई संशोधन या विलोपन होगा उस नियम के तहत पहले किए गए निर्णयों की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। **37. कठिनाइयों को दूर करने के लिए शक्ति** (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है, तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समझे जाने वाले ऐसे प्रावधान बना सकती है , जो इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हों: बशर्ते इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद इस खंड के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

	(2) इस खंड के तहत किए गए **ऐसे आदेश** को जल्द से जल्द संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अनुलग्नक -II

बाल संरक्षण (अंतर-देशीय अवस्थापन और प्रतिधारण) विधेयक, 2016

क

विधेयक

किसी अनुबंधित देश में गलत तरीके से अवस्थापित या प्रतिधारण किये गए बच्चों की शीघ्र वापसी को सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि किसी भी अनुबंधित देश के कानून के तहत कस्टडी और एसेस के अधिकार अन्य अनुबंधित देश में प्रभावी ढंग से सम्मानित हैं , और अन्य बातों के साथ ऐसे बच्चों की खोज में सहायता के लिए सहायता प्रदान करने, सौहार्दपूर्ण समाधानों को प्रोत्साहित करने और बच्चों की वापसी के लिए अनुरोध की प्रक्रिया में मदद करने और इससे जुड़े मामलों या प्रासंगिक घटनाओं के लिए केंद्रीय प्राधिकरण स्थापित करना।

जहां बाल अधिकारों पर समझौते, 1989 जिसे 2 सितंबर, 1 99 0 को लागू किया गया था, को ध्यान में रखते हुए बच्चों के सर्वोच्च हित उनके कस्टडी से संबंधित मामलों में सबसे महत्वपूर्ण हैं;

और जहां अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरण , के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौता 1980, 1 दिसंबर 1983 को लागू हुआ;

और जहां तथित समझौते को लागू करना के लिए आवश्यक होगा क्योंकि यह ऐसे बच्चे की त्वरित वापसी से संबंधित हैं जिसे कथित रूप से उसके अभयस्थ देश के कस्टडी और पहुंच के अधिकारों के उल्लंघन करके अनुबंधित राज्य में गलत तरीके से अवस्थापित या प्रतिधारण किया गया है;

इसे भारत गणराज्य के (_____) वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है: -

अध्याय ।

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक, क्षेत्र, आवेदन और प्रारंभ**

(1) इस अधिनियम को बाल संरक्षण (अंतर-देशीय अवस्थापन और प्रतिधारण) अधिनियम, 2016 कहा जा सकता है।

(2) यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है।

(3) इस अधिनियम के प्रावधान हर बच्चे पर लागू होंगे जिनकी उम्र सोलह वर्ष नहीं हैं और जिन्हें भारत में उनकी राष्ट्रीयता, धर्म या स्थिति के बावजूद, भारत में गलत तरीके से अवस्थापित या प्रतिधारण किया गया है।
(4) आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस तारीख को लागू हो सकती है:

बशर्ते कि इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तारीखें निर्धारित कि जा सकती हैं और इस अधिनियम के प्रारंभ में इस तरह के प्रावधान में किसी भी संदर्भ को उस प्रावधान के लागू होने के संदर्भ में लाया जाएगा।

2. **परिभाषा**
इस अधिनियम में, जब तक अतितरिक्त संदर्भ की आवश्यकता न हो -

(क)"आवेदक" का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है जो समझौते के अनुसार केंद्रीय प्राधिकरण या किसी अन्य देश की केंद्रीय प्राधिकरण के समक्ष गलत तरीके से अवस्थापित या प्रतिधारण किये गये बच्चे की वापसी या **कथित** समझौते के अनुसार पहुंच के अधिकारों के प्रभावी करने या ऐसी व्यवस्था करने के लिए आवेदन करता है;

(ख) "केंद्रीय प्राधिकरण" का मतलब **अनुच्छेद** 4 के तहत गठित केंद्रीय प्राधिकरण;

(ग)"अनुबंधित देश" का मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता देश;

(घ)"समझौता" का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के सिविल नागरिक पर हेग समझौता , जिसपर 25 अक्टूबर , 1980 को हेग में हस्ताक्षर किया गया था , जैसा कि अनुसूची में निर्धारित किया गया था;

(ङ)"अध्यक्ष" का मतलब केन्द्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष;

(च)बच्चे का "अभ्यस्त निवास" वह जगह है जहां बच्चे माता-पिता दोनों के साथ रहते थे ; या, अगर माता-पिता अलग-अलग रह रहे हैं , माता-पिता में से किसी एक के साथ अलग समझौते के तहत या अन्य संरक्षकों या न्यायालय के आदेश के तहत निहित सहमति के साथ; या कुछ अवधि के लिए स्थायी आधार पर माता-पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ, जो भी हो।

(छ)"सदस्य" का मतलब केन्द्रीय प्राधिकरण का सदस्य है और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है, अगर कोई हो तो;

(ज)"निर्धारित" मतलब इस अधिनियम के तहत किए गए नियमों द्वारा निर्धारित;

(झ) किसी बच्चे के संबंध में "पहुंच का अधिकार" बच्चे के अभ्यस्त निवास के अलावा किसी जगह पर सीमित समय के लिए बच्चे की देखभाल का अधिकार है;

(ञ) बच्चे के संबंध में "हिरासत के अधिकार" में बच्चे के विकास और कल्याण के संबंध में लंबे समय तक निर्णय लेने और विशेष रूप से बच्चे के निवास स्थान का निर्धारण करने के लिए बच्चे का किसी व्यक्ति द्वारा देखभाल करने का अधिकार शामिल है।

3. गलत तरीके से अवस्थापन या प्रतिधारण

(1) इस अधिनियम का आशय बच्चे का भारत में अवस्थापन या भारत में प्रतिधारण गलत माना जाता है जहां -

(क) ऐसा कार्य जिसमें अनुबंधित देश के कानून के तहत व्यक्ति , संस्था या किसी अन्य निकाय के या तो संयुक्त रूप से या अकेले हिरासत या कस्टडी के अधिकारों का उल्लंघन हो, जिसमें बच्चा नियमित रूप से अवस्थापन या प्रतिधारण के पहले निवासी था; तथा

(ख) अवस्थापन या प्रतिधारण के समय इन अधिकारों को या तो संयुक्त रूप से या अकेले लागू किया गया था , किसी व्यक्ति , संस्था या किसी अन्य निकाय द्वारा अवस्थापन या प्रतिधारण के लिए इसका प्रयोग किया गया होगा।

(2) अधिनियम में निर्दिष्ट हिरासत के अधिकार विशेष रूप से उत्पन्न हो सकते हैं-

(क) कानून के प्रचालन के द्वारा; या

(ख) न्यायिक या प्रशासनिक निर्णय के कारण; या

(ग) अनुबंधित देश के कानून के तहत कानूनी प्रभाव वाले वाले समझौते के कारण जिसका बच्चा अवस्थापन या प्रतिधारण से पहले निवासी था।

अध्याय ॥

केन्द्रीय प्राधिकरण की संरचना, शक्तियां और कार्य

4. केंद्रीय प्राधिकरण का गठन

(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करने और उसे सौंपा कार्यों का पालन करने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण कहे जाने वाले प्राधिकरण का गठन कर सकता है।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण में शामिल होंगे -

(क) एक अध्यक्ष, जो जिसका रैंक भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा, और

(ख) दो सदस्य जिनमें से एक को दस साल तक एक वकील का रुप में कार्य करने का अनुभव होगा और दुसरे सदस्य को बच्चों के अंतर-देशीय अवस्थापन या प्रतिधारण और बाल कल्याण की अवधारणा से संबंधित मामलों में योग्यता , अनुभव और विशेषज्ञता होगी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ती के समय निर्धारित किया जा सकता है।

(3) केन्द्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य का कार्यकाल उस तारीख से तीन वर्ष होगा, जिस पर वह सेवा-निवृत्ति हो या जो भी पहले हो।

(4) मृत्यु, इस्तीफा या बीमारी या अन्य अक्षमता के कारण कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थता होने से यदि केंद्रीय प्राधिकरण में अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद के लिए कोई मौलिक रिक्ति होती है, तो ऐसी रिक्ति को उप-अनुच्छेद (2) के प्रावधानों के अनुसार 90 दिन की अवधि के भीतर फिर से नियुक्ति करके भरा जाएगा और वह व्यक्ति पूर्व प्राधिकरण के शेष कार्यकाल तक पद पर रहेगा जिसके लिए उसे उस कार्यालय में केन्द्रीय प्राधिकरण की जगह पर नियुक्त किया गया है।

(5) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के लिए देय वेतन और भत्तें, और अन्य नियमों और शर्तें, निर्धारित कि जा सकती हैं।

5. केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति: -

(1) केन्द्र सरकार, केन्द्रीय प्राधिकरण को इस अधिनियम के तहत कार्य के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यकता के अनुसार अधिकारी और अन्य कर्मचारी प्रदान कर सकती है।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के लिए देय वेतन और भत्तें, और अन्य नियमों और शर्तें, निर्धारित कि जा सकती हैं।

6. केन्द्रीय प्राधिकरण का कार्य

केन्द्रीय प्राधिकरण या इस प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी निम्नलिखित सभी कार्यों को करते समय सभी उचित उपाय करेंगे, अर्थात्: -

(क)भारत में या भारत के बाहर गलत तरीके से अवस्थापित किये गए या प्रतिधारण किये गए बच्चे के आवास का पता लगाने के लिए और जहां भारत में बच्चे के निवास स्थान ज्ञात नहीं है, केंद्रीय प्राधिकरण बच्चे की पहचान करने के लिए पुलिस की सहायता कर सकता है;

(ख) कैद या जबरदस्ती किसी भी ऐसे बच्चे या किसी अन्य इच्छुक पार्टियों को पूर्वग्रहण रोकने के लिए, इस तरह के अनंतिम उपायों को आवश्यक माना जा सकता है;

(ग) देश में ऐसी किसी भी बच्चे की स्वैच्छिक वापसी को सुरक्षित करने के लिए जिसमें इस बच्चे का निवास स्थल था या ऐसे मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा दावा किया जा रहा है कि बच्चे को गलत तरीके से भारत में अवस्थापित या प्रतिधारण किया गया है , और वह व्यक्ति अनुबंधित देश में बच्चे की वापसी का विरोध कर रहा हो जिसमें बच्चे का अभ्यस्थ निवास है;

(घ) जहां वांछनीय हो, किसी भी ऐसे बच्चे से संबंधित जानकारी को अनुबंधित देश के उपयुक्त अधिकारियों से साझा करने के लिए;

(ङ) किसी भी अनुबंधित देश में समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में अनुरोध पर भारत के कानून के अनुसार सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए;

(च) अनुबंधित देश में ऐसे किसी बच्चे की सुरक्षित वापसी हेतु न्यायिक कार्यवाही करने के लिए जिसमें उस बच्चे का निवास स्थान है , और उपयुक्त मामलों में , भारत में मौजूद किसी बच्चे तक पहुंच के अधिकारों का प्रभावी इस्तेमाल के लिए न्यायिक कार्यवाही करने या संगठित करने या व्यवस्था स्थापित करने के लिए;

(छ) आवश्यक परिस्थितियों में कानूनी सहायता या सलाह के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने के लिए;

(ज) जहां कानूनी सहायता या सलाह प्रदान करने के लिए कानूनी परिस्थितियों की आवश्यकता है;

(झ) अनुबंधित देश में, जिसमें बच्चे का अभ्यस्थ निवास है बच्चे की सुरक्षित वापसी को सुरक्षित करने के लिए इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था करना आवश्यक और उपयुक्त हो सकता है;

(ञ) समझौते के तहत भारत के दायित्वों के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य कार्य।

7. केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकार

इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों को निर्वहन के लिए निम्न मामलों में केन्द्रीय प्राधिकरण के पास केस दर्ज करते समय सिविल कोर्ट की संवैधानिक संहिता, 1908 (1908 का 5) के समान अधिकार होंगे, अर्थात्: -

(1) किसी व्यक्ति की गवाही शपथ को जांचने की;

(2) आवश्यक दस्तावेजों की खोज और उत्पादन;

(3) हलफनामा पर सबूत प्राप्त करना;

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1972 का 1) के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 124 के प्रावधानों के अधीन , किसी भी कार्यालय से कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज या ऐसे रिकॉर्ड या दस्तावेज की एक प्रति की मांग करना;

(5) गवाहों या दस्तावेजों के जांच के लिए कमीशन जारी करना।

अध्याय III
केंद्रीय प्राधिकरण में आवेदन की प्रक्रिया

8. केन्द्रीय प्राधिकरण को आवेदन करने की प्रक्रिया

(1) अनुबंधित देश, या कोई व्यक्ति, संस्था या कोई अन्य निकाय के उचित प्राधिकरण दावा करता है कि बच्चे को हिरासत के अधिकारों के उल्लंघन करके भारत में गलत तरीके से अवस्थापित है या प्रतिधारण किया गया है, तो बच्चे की वापसी के लिए वह सहायता हेतु केंद्रीय प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है।

(2) उप- अनुच्छेद (1) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रारूप में होंगे, जिसे निर्धारित किया जा सकता है।

(3) उप- अनुच्छेद (1) के तहत निम्न प्रकार से आवेदन के साथ किया जाएगा -

(क) हिरासत या कस्टडी के अधिकारों के उल्लंघन का दावा करने वाले किसी भी प्रासंगिक निर्णय या समझौते की विधिवत प्रमाणित प्रति;

(ख) केंद्रीय प्राधिकरण या अनुबंधित देश जिसमें उस बच्चे का अभ्यस्त निवास हो उसके **किसी** अन्य सक्षम प्राधिकारी से या **प्रतिनिधी** या अनुबंधित देश के कानून को निर्धारित करने से संबंधित योग्य व्यक्ति से हिरासत के अधिकार का संबंधित उल्लंघन किया गया इसका प्रमाण पत्र या हलफनामा;

(ग) कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़

8. अनुबंधित देश को आवेदनों का स्थानांतरण

जहां, अनुच्छेद 8 के तहत किसी आवेदन की प्राप्ति पर केन्द्रीय प्राधिकरण को यह विश्वास करने का कारण है कि जिसके संबंध में आवेदन किया गया है , वह किसी अन्य अनुबंधित देश में है , वह तुरंत उस अनुबंधित देश के उपयुक्त प्राधिकारी को आवेदन प्रेषित करेगा और तदनुसार उपयुक्त प्राधिकारी या आवेदक को सूचित करेगा , जैसा कि मामला हो सकता है , आवेदक को अनुच्छेद 8 के उप- अनुच्छेद (1) में निर्दिष्ट किया गया है।

10. पुलिस से रिपोर्ट मांगना

जहां केन्द्रीय प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है कि वह अनुच्छेद 6 के खंड (ए) और (डी) के तहत किसी बच्चे से संबंधित जानकारी प्रदान करें, वह संबंधित रिपोर्ट के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के समक्ष आने वाले बच्चे से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में लिखित में पुलिस से रिपोर्ट की मांग कर सकता है।

अध्याय IV

आवेदन स्वीकार करने से केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा इनकार

11. आवेदन स्वीकार करने से केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा इनकार

(1) केन्द्रीय प्राधिकरण को अगर यह जाहिर होता है कि इस आवेदन में समझौते की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है या यह आवेदन अन्यथा अच्छी तरह से भरा नहीं गया है, अनुच्छेद 8 के तहत किए गए आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा किसी आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करने पर उचित प्राधिकारी या व्यक्ति , संस्था या किसी भी अन्य संस्था आवेदन करने वाले को सूचित करेगा और इनकार के कारण बताएगा।

12. अतिरिक्त जानकारी

(1) केन्द्रीय प्राधिकरण केवल अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी की आवश्यकता के आधार पर किसी आवेदन को अस्वीकार नहीं करेगा।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण , जहां ऐसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेजों की आवश्यकता है आवेदक को इन अतिरिक्त दस्तावेज या सूचना प्रदान करने के लिए कहें , और यदि आवेदक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उचित अवधि के भीतर ऐसा नहीं करता है , तो आवेदन को संसाधित न करने का निर्णय ले सकता है।

13. केंद्र सरकार को अपील

(1) खंड 8 के तहत केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन स्वीकार न करने से परेशान कोई भी पक्ष, केन्द्रीय सरकार को ऐसे निषेध के खिलाफ अपील कर सकते हैं जो निर्धारित किया जा सकता है।

(2) इस तरह की अपील केंद्रीय प्राधिकरण के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर की जाएगी ; और अपील का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा, लेकिन अपील प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह के बाद नहीं किया जाएगा।

अध्याय V

उच्च न्यायालय में आवेदन की प्रक्रिया

14. उच्च न्यायालय में आवेदन करने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण की शक्ति

किसी बच्चे की वापसी के लिए किसी अन्य तरीके से पूर्वाभ्यास के बिना अनुच्छेद 8 के तहत आवेदन किया गया है , तो केंद्रीय प्राधिकरण , अनुबंधित देश को जिसमें बच्चे का अभ्यस्त निवास है बच्चे की वापसी का निर्देश देने के लिए उस उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है, जिसके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में बच्चा शारीरिक रूप से उपस्थित है।

15. उच्च न्यायालयों द्वारा अंतरिम आदेश

अनुच्छेद 14 के तहत अगर उच्च न्यायालय में आवेदन किया जाता है , तो न्यायालय, आवेदन निर्धारित होने से पहले किसी भी समय संबंधित बच्चे के कल्याण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य के लिए, या बच्चे के लिए ऐसे प्रावधान कर उपयुक्त, या कार्यवाही लंबित होने से बच्चे के लिए निवास के लिए या बाधित होकर बच्चे की वापसी,या अन्यथा के लिए आवेदन के निर्धारण हेतु प्रासंगिक परिस्थितियों में किसी भी परिवर्तन को रोकने के लिए अंतरिम दिशा-निर्देश दे सकता है।

16. बच्चे को अनुबंधित देश में वापस करने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति

अनुच्छेद 14 के तहत किए गए आवेदन पर जहां उच्च न्यायालय संतुष्ट हो , कि : -

(क)जिस बच्चे के बारे में आवेदन किया गया है , उसे खंड 3 के तहत भारत में गलत तरीके से अवस्थापित है या रखा गया है; तथा,

(ख) कथित रूप से अवस्थापित या प्रतिधारण की तारीख और इस आवेदन की तारीख के बीच का अंतर एक वर्ष से अधिक का नहीं है;

ऐसे अनुबंधित देश में बच्चे की वापसी को तुरंत आदेश दिया जाएगा जिसमें बच्चे का अभ्यस्त निवास था;

अगर उच्च न्यायालय संतुष्ट नहीं है कि बच्चा अपने नए वातावरण में व्यवस्थित नहीं है तो उच्च न्यायालय, अनुबंधित देश को बच्चे की वापसी का आदेश दे सकता है जिसमें उस बच्चे का अभ्यस्त निवास है, बशर्ते कि कथित रूप से अवस्थापित या प्रतिधारण की तिथि और आवेदन की तिथि के बीच एक वर्ष से अधिक का अंतर न हो और बच्चा अपने नए वातावरण में बसा न हो।

17. बच्चे की वापसी के संभावित अपवाद

(1) अनुच्छेद 16 में **कुछ भी निहित होने के बावजूद,** उच्च न्यायालय बच्चे की वापसी का आदेश देने के लिए बाध्य नहीं है , यदि व्यक्ति, संस्था या **कोई** अन्य निकाय **वापसी का विरोध** करते हुए दावा करते हैं कि,

(क)बच्चे की देखभाल करने वाले व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य निकाय द्वारा वास्तव में अवस्थापन या प्रतिधारण के समय हिरासत के अधिकारों का उल्लंधन नहीं किया जा रहा था, या उसे अवस्थापित या प्रतिधारण के लिए पहले सहमति या बाद में सहमति दी गई थी;

(ख) बच्चे वापसी से बच्चे को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाये जाने का खतरा है या वापसी से बच्चा एक गैर अनुकूल माहौल में चला जाएगा।

(ग) वह व्यक्ति जो कथित तौर पर गलत तरीके से अवस्थापन या प्रतिधारण में शामिल है, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (43 का 43) कके महिलाओं की सुरक्षा के खंड 3 में परिभाषित रूप में 'घरेलू हिंसा' में शामिल था।

(2) उच्च न्यायालय भी बच्चे की वापसी का आदेश देने से इनकार कर सकता है यदि -

(क) कोर्ट को यह पता चलता है कि बच्चा वापस लौटने से इंकार कर रहा हैं और उसकी उम्र परिपक्व उतनी हो चुकी है जिस पर उसके विचारों को ध्यान में रखना उचित है।

(ख) मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित अनुरोधित देश के मौलिक सिद्धांतों के तहत अनुमति नहीं हो तो बच्चे की वापसी को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

(ग) उच्च न्यायालय इस खंड के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उच्च न्यायालय बच्चे के अभ्यस्त निवास वाले अनुबंधित देश के उपयुक्त प्राधिकरण से बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित कोई भी जानकारी मांग सकता है, अनुपयुक्त रूप में;

(3) उच्च न्यायालय, इस खंड के तहत बच्चे के अभ्यस्त निवास वाले अनुबंधित देश को बच्चे की वापस करने का आदेश केवल आधार पर नहीं देगा कि -

1. भारत के किसी अदालत या भारत के किसी न्यायालय द्वारा इस तरह के बच्चे की हिरासत से संबंधित आदेश दिया गया है, या
2. भारत में किसी बच्चे की हिरासत से संबंधित न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त निर्णय:

बशर्ते बाल अदालत से संबंधित ऐसे आदेश पारित करते हुए उच्च न्यायालय के कारणों को दर्ज किया जाएगा।

18. भारत में बच्चे तक व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य संस्था की पहुंच के अधिकार

(1) उपयुक्त प्राधिकरण, या कोई व्यक्ति, किसी संस्थान या किसी अन्य अनुबंधित देश भारत में मौजूद बच्चे के संबंध में आवेदन में निर्दिष्ट व्यक्ति के अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं।

(2) उप-खंड (1) के तहत किए गए आवेदन को इस तरह के किया जाएगा कि उसे निर्धारित किया जा सकें ।

19. भारत में किसी भी बच्चे को किसी भी व्यक्ति की पहुंच के अधिकारों के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन

(1) उपयुक्त प्राधिकरण, या व्यक्ति, संस्था या अनुंबधित देश का कोई अन्य निकाय भारत में मौजूद बच्चे को किसी व्यक्ति की पहुंच के अधिकारों को प्रभावी करने में सहायता के लिए आवेदन में निर्दिष्ट कर केंद्रीय प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं।

(2) जहां उप-खंड (1) के तहत किए गए किसी आवेदन पर अगर उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि उस व्यक्ति को जिसकी ओर से आवेदन किया गया है, आवेदन में निर्दिष्ट बच्चे के ऐसेस का अधिकार हैं, न्यायालय, ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है जिसे आवश्यक माना जा सकता है, पहुंच के उन अधिकारों के प्रभाव को सुरक्षित करने के लिए आदेश दें सकते हैं।

20. विदेशी कानून के सबूत की आवश्यकताओं में छूट

(1) उच्च न्यायालय खंड 3 के आशय के तहत सुनिश्चित करने के दौरान कि गलत तरीके से अवस्थापित या प्रतिधारण हो रहा है या नहीं, उच्च न्यायालय औपचारिक रूप से चिन्हित किये जाने वाले कानूनों का संज्ञान उस कानून के प्रमाण हेतु विशिष्ट प्रक्रियाओं के बिना या विदेशी निर्णयों की पहचान के लिए जो लागू हो , बच्चे के अभ्यस्त निवास के देश में औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त है या नहीं के बिना, ले सकता है।

(2) उच्च न्यायालय, किसी बच्चे को उसके अभ्यस्त निवास के अनुबंधित देश को वापस करने के लिए खंड 15 के तहत आदेश देने से पहले , अनुबंधित देश जिसमें उस बच्चे का अभ्यस्त निवास है उसके संबंधित अधिकारियों से निर्णय प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को निर्देशित करता है कि क्या उस बच्चे को भारत में अवस्थापित या प्रतिधारण करना खंड 3 के तहत गलत है।

21. लागत

(1) उच्च न्यायालय, बच्चे के अभ्यस्त निवास वाले अनुबंधित देश को बच्चे की वापसी के लिए खंड 15 के तहत आदेश देते समय उस व्यक्ति को जिसने उस बच्चे को भारत में अवस्थापित किया है , या जिसने भारत में बच्चे का प्रतिधारण किया है, को केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किए गए खर्चों का भुगतान करने का आदेश दें सकता है।

(2) उप-खंड (1) में उल्लिखित खर्च में बच्चे का पता लगाने में लगा खर्च, केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा किए गए कानूनी कार्यवाही की लागत और अनुबंधित देश में बच्चे को लौटने में किए गए खर्च, जिसमें बच्चे का अभ्यस्त निवास है, शामिल हो सकती है।

22. माता-पिता के हिरासत के अधिकारों के निर्धारण को कवर न करने के लिए निर्णयादेश

खंड 16 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेश को उस बच्चे की हिरासत से संबंधित किसी भी योग्यता के प्रश्न रुप में नहीं माना जाएगा।

23. अनुबंधित देश में बच्चे की वापस के लिए व्यवस्था

जहां किसी बच्चे को अभ्यस्त निवास वाले अनुबंधित देश को बच्चे की वापसी के लिए खंड 13 के तहत निर्णय दिया गया है, केंद्रीय प्राधिकरण आदेश जारी होने के 60 दिनों के भीतर अनुबंधित देश में बच्चे की वापसी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करेगा दो कि आदेश के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

अध्याय V ।

भारत से अवस्थापित किये गए बच्चे के संबंध में आवेदन

24. बच्चे को भारत लौटाने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को आवेदन

(1) भारत में किसी व्यक्ति, संस्था या कोई अन्य निकाय ने दावा किया है कि किसी बच्चे को अनुबंधित देश से गलत अवस्थापित किया गया है या किसी ऐसे व्यक्ति , संस्था या कोई अन्य निकाय की हिरासत के अधिकारों के उल्लंघन कर अनुबंधित देश में गलत रूप से प्रतिधारण किया गया है, तो उस बच्चे को भारत लौटने में सहायता के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं।

(2) उप-खंड (1) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन को निर्धारित रूप में बनाया जाएगा।

(3) उप-खंड (1) के तहत किसी आवेदन की प्राप्ति पर केन्द्रीय प्राधिकरण भारत में उस बच्चे की वापसी में हासिल करने में सहायता के लिए किसी भी तरीके से तत्काल अनुबंध राज्य में स्थित उपयुक्त प्राधिकारी को आवेदन करेगा, यदि निर्दिष्ट किया गया है, जिस देश पर बच्चे के अवस्थापन या प्रतिधारण का आरोप लगाया गया है।

अध्याय V ॥

पहुंच के अधिकार

25. भारत में व्यक्ति, संस्था या निकाय का पहुंच का अधिकार

भारत में कोई व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य निकाय ने दावा किया है कि व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य निकाय की पहुंच के अधिकारों के उल्लंघन कर किसी बच्चे को किसी अनुबंधित देश में गलत तरीके से अवस्थापित कर दिया गया है या अनुबंधित देश में गलत तरीके से प्रतिधारण किया गया है तो, पहुंच के अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन को व्यवस्थित करने या बच्चे हासिल करने में सहायता के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है, जिसके लिए प्रारूप निर्धारित किया जा सकता है।

26. भारत में किसी भी व्यक्ति, संस्था या निकाय की पहुंच के अधिकार के लिए अनुबंधित देश के केंद्रीय प्राधिकरण को आवेदन

खंड 25 के तहत पहुंच के अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन को व्यवस्थित करने या सुरक्षा हेतु व्यवस्था करने के लिए आवेदन खंड 24 के तहत बच्चे की वापसी के आवेदन के प्रारुप में ही अनुबंधित देश के केंद्रीय प्राधिकरण को तत्काल प्रस्तुत किया जाएगा।

27. केन्द्रीय प्राधिकरणों के बीच पहुंच के अधिकार सुरक्षित करने के लिए समन्वय

खंड 26 के तहत किसी आवेदन की प्राप्ति पर पहुंच के अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन को व्यवस्थित करने , या सुरक्षित करने में सहायता के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण तुरंत अनुबंधित देश, जिसमें बच्चे को गलत तरीके से अवस्थापित किया गया है , या प्रतिधारण किया गया है, के उचित प्राधिकारी को निर्धारित प्रारुप में आवेदन करेगा, यदि निर्दिष्ट है।

अध्याय V III
अपराध और दंड

28. गलत तरीके से अवस्थापन या प्रतिधारण के लिए सजा

इस अधिनियम के खंड 3 के उप-खंड (2) के मामले में माता-पिता की हिरासत से या तो खुद के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बच्चे का गलत तरीके से अवस्थापित या प्रतिधारण किया गया है , इसे गलत तरीके से अवस्थापन या प्रतिधारण का अपराध कहा जाता है और दंडनीय होगा जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या दस हजार रुपए या दोनों हो सकता है।

29. जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के लिए सजा

जो भी व्यक्ति खंड 6 के खंड (ए) के तहत बच्चे की स्थिति या सूचना से संबंधित जानबूझकर गलत बयान, या महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा करता है जिसका खुलासा करना बाध्य है, इस अधिनियम की धारा 15 या धारा 16 के तहत किए गए आदेश के अनुसरण में बच्चे की सुरक्षित वापसी को रोकने का कारण होता है , ऐसे अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया जा सकता है जिसके लिए तीन महीने तक की कारावास की सजा हो सकती है या पांच हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

अध्याय IX
विविध

30. शीघ्र प्रक्रिया

(1) अनुबंधित देशों के न्यायिक या प्रशासनिक प्रधिकरणों को बच्चों की वापसी के लिए कार्यवाही में शीघ्रता से कार्य करना होगा।

(2) अगर संबंधित न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकरण किसी कार्यवाही के प्रारंभ होने की तारीख से छह सप्ताह की **अवधि** भीतर किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता, तो आवेदक या अनुरोधित देश का केंद्रीय प्राधिकरण अपनी स्वयं के **प्रस्ताव** पर या अगर अनुरोध करने वाले राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के कहने पर देरी के कारणों पर बयान मांगने का अधिकार होगा।

(3) अनुरोधित देश के केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा **कोई जानकारी या** उत्तर मिलने के बाद वह प्राधिकरण अनुरोधित देश के केंद्रीय प्राधिकरण, या आवेदक को, जैसा भी मामला हो, उत्तर भेजेगा।

31. रिपोर्ट और रिटर्न

(1) केन्द्रीय प्राधिकरण एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो कि इस अधिनियम के तहत अपनी गतिविधियों का पूर्ण विवरण केंद्र सरकार को निर्दिष्ट प्रारुप में किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण , उप-खंड (1) के तहत रिपोर्ट करने के अतिरिक्त , अपनी गतिविधियों के संबंध में विवरण या अन्य प्रासंगिक जानकारी को प्रस्तुत करेगा जिसकी केंद्र सरकार को समय-समय पर आवश्यकता पड़ सकती है।

(3) उप-खंड (1) के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट में निम्न शामिल होगा -

(क)केंद्रीय प्राधिकरण को आवेदकों द्वारा प्रस्तुत बच्चों की वापसी के लिए आवेदनों का संक्षिप्त रिकॉर्ड।

(ख) आवेदन जमा करने की तारीख के एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित बच्चों की वापसी के आवेदन के बारे में विस्तृत जानकारी और ऐसे बच्चों की वर्तमान स्थिति और ऐसे मामलों को हल करने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा उठाए गए विशिष्ट कार्यों की जानकारी।

(ग)उन देशों की सूची जिसमें खंड (ख) में वर्णित बच्चों को गलत ढंग से अवस्थापित किया गया है या उनको प्रतिधारण किय़ा गया है , जो देश अपने कर्तव्यों के संबंध में आवेदकों द्वारा भारत में बच्चों की वापसी के समझौते में निर्धारित किए गए दायित्वों को पूरा करने में असफल रहे हैं।

(4) केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जिन मामलो को बंद कर दिया गया है और इस तरह की सहायता की मांग करने वाले व्यक्ति , संस्था या निकाय को इसका कारण बता दिया गया है उन मामलों को छोड़कर हर छह महीने में एक बार गलत तरीके से हटाए गए या बनाए रखा बच्चे के बारे में सहायता का अनुरोध करने वाले माता-पिता को केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा सूचित करना होगा।

32. रिकॉर्ड्स का रखरखाव

केन्द्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के तहत अपने नोटिस में लाए गए आवेदनों , और या मामलों से संबंधित विस्तृत और अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखेगा , जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

33. सद्भावना में लिया गया कार्रवाई का संरक्षण

केंद्र सरकार, केंद्रीय प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य या केंद्रीय प्राधिकरण में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी मुकदमा , अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी , इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के अनुसरण में जो कुछ भी अच्छे विश्वास में किया गया है या किया जाना है।

34. केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य और अधिकारियों को सरकारी कर्मचारी होंगे

केन्द्रीय प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य और अधिकारी और इस अधिनियम के तहत कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के तहत एक सार्वजनिक कर्मचारी माना जाएगा।

35. निर्देश देने की शक्ति

(1) इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन मे केन्द्रीय प्राधिकरण को राष्ट्रीय हित से संबंधित नीति के मामलों पर निर्देशित किया जाएगा , जिसे कि केंद्र सरकार द्वारा दिया जा सकता है।

(2) यदि राष्ट्रीय उद्देश्यों से संबंधित नीति मामला है या केंद्र सरकार और केंद्रीय प्राधिकरण के बीच कोई विवाद पैदा होता है, तो उस पर केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

36. नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति

(1) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना ऐसे नियम निम्नलिखित या सभी मामलों के लिए प्रदान किये जा सकते हैं, अर्थात्: -

(क)धारा 4 के उप-धारा (2) के खंड (बी) के तहत केंद्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता और अनुभव;

(ख) धारा 4 के उप-धारा (5) के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के लिए वेतन और भत्ते और नियम एवं शर्तें;

(ग) धारा 5 के उप-धारा (2) के तहत केन्द्रीय प्राधिकारी के कर्मचारियों और कर्मचारियों की सेवा की वेतन और भत्ते और नियम और शर्तें;

(घ) धारा 8 के उप-धारा (2) के तहत गलत तरीके से अवस्थापित किये गए या भारत में प्रतिधारण किये गए बच्चे की वापसी करने में सहायता के लिए केंद्रीय प्राधिकरण को आवेदन का प्रारुप ; धारा 13 के उप-धारा (1) के तहत केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन स्वीकार करने से इनकार करने के मामले में केंद्र सरकार को अपील करने की प्रक्रिया;

(ङ) धारा 18 के उप-धारा (2) के तहत , भारत में बच्चे के पहुंच के अधिकारों के कार्यान्वयन को सुरक्षित करने में सहायता के लिए केंद्रीय प्राधिकरण को आवेदन का प्रारुप;

(च) धारा 24 के उप-धारा (2) के तहत अनुबंधित देश में गलत तरीके से अवस्थापित किये गए या भारत में प्रतिधारण किये गए बच्चे की वापसी करने में सहायता के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को आवेदन का प्रारुप;

(छ) धारा 25 के तहत अनुबंधित देश में गलत तरीके से अवस्थापित किये गए या भारत में प्रतिधारण किये गए बच्चों तक पहुंच के अधिकारों के आयोजन या हासिल करने में सहायता के लिए आवेदन का प्रारूप; तथा

(ज) फॉर्म का प्रारुप जिसमें वार्षिक रिपोर्ट धारा 31 के उप-धारा (1) के तहत तैयार की जाएगी;

(3) इस अधिनियम (उप-खंड (1)) के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को बनाये जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके तीस दिन की अवधि के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष पेश किया जाएगा, जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक सत्रों में हो सकता है , और यदि सत्र की समाप्ति से पहले या सत्र के उत्तरार्द्ध सत्र के तुरंत बाद दोनों सदनों नियम में कोई संशोधन करने में सहमत हैं या दोनों ही सदन सहमत हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, उसके बाद नियम केवल इस तरह के संशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; हालांकि, ऐसा कोई संशोधन या विलोपन होगा उस नियम के तहत पहले किए गए निर्णयों की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

37. कठिनाइयों को दूर करने के लिए शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है, तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समझे जाने वाले ऐसे प्रावधान बना सकती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हों: बशर्ते इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद इस खंड के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(2) इस खंड के तहत किए गए **ऐसे आदेश** को जल्द से जल्द संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

संदर्भ:

- पाम संगेरा, अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण - ए हार्श रियलिटी
- चाइकोना एट अल , अमेरिकी न्याय विभाग , बाल न्याय और अपराध कार्यक्रम का कार्यालय, माता-पिता द्वारा अंतर्राष्ट्री□य बाल अपहरण के समाधान के मुद्दे 2001
- नीता मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण और घरेलू हिंसा: क्यों बच्चों को हिंसा होने वाले घर में वापस भेजा जाता है, बिजनेस स्टैंडर्ड, 2016
- एडम पाइप, बच्चे के सर्वोत्तम हितों का क्या अर्थ है ?, 2014
- अनिल मल्होत्रा, अपवादित बच्चों के अधिकार, द हिंदू, 2016।
- अनिल और रणजीत मल्होत्रा , भारत, अंतर-देशीय माता-पिता बाल अनवस्थापन और कानून
- यूरोपीय संसद, आंतरिक नीतियों नीति के लिए निदेशालय-जनरल
  विभाग सी: नागरिक अधिकार और संवैधानिक मामलों के नागरिक स्वतंत्रता,
  यूरोपीय संघ में न्याय और घरेलू मामलों के सीमा- पार माता-पिता द्वारा बच्चे का अपहरण, 2015

- गोल्डबर्ग और शेट्टी, अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग कन्वेंशन के तहत बंटवारे के उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, बर्कली, 2015
- मैरी क्रॉफर्ड, गलत तरीके से हटाने, परामर्श पत्रिका, 2015
- यूएस राज्य विभाग , अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग कन्वेंशन , कन्वेंशन का कानूनी विश्लेषण, 51 संघीय रजिस्टर 10494
- अमेरिका, राज्य विभाग, अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण , 2007 के नागरिक अपील पर हेग कन्वेंशन के साथ अनुपालन पर रिपोर्ट
- वीनर, अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण और घरेलू हिंसा, फोर्डहम लॉ रिव्यू, 2000
- वीनर, असहनीय परिस्थितियों और बच्चों के लिए परामर्श: हेग अपहरण मामले में स्विट्जरलैंड के उदाहरण के बाद, अमेरिकी विश्वविद्यालय लॉ रिव्यू, 2008।
- हेनरी ब्रुमैन , कैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बाल हिरासत के मामलों जटिलता पैदा करते हैं , टेलीग्राफ, 2012
- अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग कन्वेंशन के लिए एलीसा पेरेज़-वेरा स्पष्टीकरण रिपोर्ट